SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का

केंद्रीय रेशम बोर्ड में संपत्ति प्रबंधन पर प्रतिवेदन

संघ सरकार

वस्त्र मंत्रालय

2026 का प्रतिवेदन संख्या 26

(अनुपालन लेखापरीक्षा – सिविल)

केंद्रीय रेशम बोर्ड में संपत्ति प्रबंधन पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

वस्त्र मंत्रालय

2026 का प्रतिवेदन संख्या 26

(अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

.... **को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा गया**

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	ii
कार्यकारी सारांश	vi
अध्याय 1 - परिचय	1
अध्याय 2 - संपत्ति प्रबंधन पर नीतिगत ढांचा	9
अध्याय 3 - भूमि प्रबंधन	17
अध्याय 4 - भवनों एवं स्टाफ क्वार्टर्स का प्रबंधन	41
अध्याय 5 - संपत्ति की सुरक्षा	63
अध्याय 6 - सिएसबी में निगरानी तंत्र	79
अध्याय 7 - निष्कर्ष	85
संक्षिप्ताक्षर	89
अनुलग्नक	93

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सौंपने हेतु तैयार की गई है। यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2016 एवं लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 (अगस्त 2020 में संशोधित) के अनुसार तैयार की गई है।

भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम के तहत अर्थात, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) का गठन भारत में रेशम उत्पादन एवं रेशम उद्योग की वृद्धि एवं विकास की देखरेख करने वाली मुख्य संस्था के रूप में किया था। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने 2016-17 के दौरान सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल पर अपनी कब्ज़े वाली 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14 एकड़) भूमि का विवरण अपलोड किया है।

अनुपालन लेखापरीक्षा में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी प्रक्रियाओं/प्रणालियों जैसे कि भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स का स्वामित्व, उनका उपयोग तथा उनकी सुरक्षा का मूल्यांकन किया गया।

इस लेखापरीक्षा के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड से मिली सहायता के प्रति लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है एवं उसकी सराहना करती है। साथ ही, लेखापरीक्षा की सभी अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में केंद्रीय रेशम बोर्ड के आश्वासन की भी लेखापरीक्षा सराहना करती है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय, केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) की स्थापना 9 अप्रैल 1949 को केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अंतर्गत, भारत में सेरिकल्चर (रेशम उत्पादन) एवं रेशम उद्योग के विकास एवं वृद्धि की निगरानी करने वाली शीर्ष संस्था के तौर पर की गयी थी। बेंगलुरु में स्थित सीएसबी का सचिवालय (केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय) एक शीर्ष एजेंसी है जिसकी नौ संस्थान सहायता करते हैं एवं इन संस्थानों को आगे क्षेत्रीय इकाईयों से सहायता मिलती है। सीएसबी ने 2016-17 के दौरान सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल पर अपने कब्ज़े वाली 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14 एकड़) भूमि का विवरण अपलोड किया। सीएसबी ने अपनी वेबसाइट पर भी भूमि का विवरण अपलोड किया (जनवरी 2019 में) जिसमें भूमि प्राप्त करने के तरीके एवं उसके उपयोग की जानकारी शामिल थी।

सीएसबी को वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने, पौषक पौधों की खेती, रेशम के कीटों के स्वस्थ बीज पालने, विकसित करने एवं बांटने के बेहतर तरीके खोजने; कच्चे रेशम की गुणवत्ता, उत्पादन एवं विपणन को बेहतर बनाने एवं सेरीकल्चर (रेशम उत्पादन) एवं रेशम उद्योग से जुड़े सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का काम सौंपा गया है।

अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) इन उद्देश्यों के साथ किया गया था कि यह पता लगाया जा सके कि क्या:

(i) सीएसबी के पास मौजूद कुल भूमि एवं संपत्ति का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक सही प्रणाली है एवं निगरानी का तंत्र प्रभावी एवं कुशल है;

(ii) सीएसबी की भूमि/भवनों/संपत्ति का उपयोग वांछित उद्देश्य के लिए प्रभावी ढंग से किया गया, पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया गया और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए;

(iii) बंद/विलय की गई इकाईयों की भूमि एवं संपत्ति की सुरक्षा और उपयोग के लिए प्रणाली मौजूद थी और वह कुशल है; एवं

(iv) अनुप्रयुक्त/खाली भूमि/भवनों/अन्य संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किराए की वसूली हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रणाली कुशल थी।

लेखापरीक्षा में भूमि, भवनों एवं स्टाफ क्वार्टर्स के स्वामित्व, उपयोग एवं सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज़ों/जानकारी की जाँच शामिल थी।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2023 तक मौजूद 159 कार्यात्मक/परिचालित इकाईयों में से 43 एवं 2018-19 से 2022-23 के बीच बंद/विलय की गई 129 इकाईयों में से 21 इकाईयों को चुना। इस तरह, लेखापरीक्षा ने कुल 288 इकाईयों (अर्थात 159 + 129) की सूची में से कुल 64 इकाईयों (यानी 43 + 21) को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (स्ट्राटिफ़ाइड रैन्डम सांपलिंग) का इस्तेमाल करके समीक्षा के लिए चुना।

अनुपालन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

सीएसबी के पुनर्गठन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) को भेजे गए नोट में, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने बताया था (13 मार्च 2018) कि कुल 288 इकाईयाँ थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 मार्च 2018 तक, 23 अतिरिक्त इकाईयाँ थीं जो सीएसबी द्वारा दी गई 288 इकाईयों की सूची में शामिल नहीं थीं। इससे सीएसबी द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीसीईए को दी गई इकाईयों की संख्या की जानकारी की पूर्णता एवं सटीकता पर संदेह पैदा होता है। इसलिए, लेखापरीक्षा सीएसबी की कार्यात्मक एवं बंद इकाईयों की वास्तविक संख्या की पुष्टि नहीं कर सका।

(पैरा संख्या 2.1.2)

सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) (2016-17) एवं सीएसबी की वेबसाइट (जनवरी 2019) पर दी गई जानकारी के अनुसार, सीएसबी के पास 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14 एकड़) भूमि थी। हालाँकि, संस्थानों एवं केंद्रीय कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि आंकड़ों से तैयार की गई 288 इकाइयों की भूमि संबंधी जानकारी के आधार पर, सीएसबी के पास 217.82 लाख वर्ग मीटर (5,382.53 एकड़) भूमि थी। लेखापरीक्षा के दौरान नमूना चयनित 17 इकाइयों में भौतिक सत्यापन करते समय भूमि के स्वामित्व के विवरण में भी विसंगतियां पाई गईं। केंद्रीय कार्यालय एवं संस्थानों द्वारा बताए गए भूमि डेटा में विसंगतियों को देखते हुए, लेखापरीक्षा इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि सीएसबी के सभी इकाइयों के पास मौजूद बताई गई भूमि के आंकड़े पूरे हैं या नहीं।

(पैरा संख्या 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 एवं 2.1.8)

सीएसबी समयबद्ध तरीके से समय-समय पर सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) वेब पोर्टल में भूमि और भवनों के अद्यतन विवरण अपलोड करना सुनिश्चित करे।

(अनुशंसा संख्या 1)

सीएसबी ने अपनी भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स के अभिलेख रखने, उनकी देखभाल करने एवं सुरक्षा आदि के बारे में दिशानिर्देश देने के लिए कोई भूमि एवं संपत्ति प्रबंधन नीति या नियमावली नहीं बनाई है। सीएसबी के पास संपत्ति प्रबंधन से जुड़े कामों की देखरेख के लिए कोई संपदा विभाग नहीं था। सीएसबी के पास अपनी भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स के बारे में कोई सूचना प्रणाली नहीं थी। संस्थानों एवं केंद्रीय कार्यालय द्वारा बताई गई भूमि के क्षेत्र में अंतर था फिर भी सीएसबी ने भूमि एवं भवनों के डेटा का मिलान नहीं किया है।

(पैरा संख्या 2.1.6 एवं 2.1.7)

सीएसबी ने, सही आकार देने के लिए, 129 इकाईयाँ बंद कर दीं जिनमें से 22 इकाईयों के पास 7.92 लाख वर्ग मीटर (195.62 एकड़) भूमि थी। बंद या विलय की गई इकाईयों की भूमि या संपत्ति के इस्तेमाल के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे। परिणामस्वरूप, नौ बंद इकाइयों की 117.21 एकड़ भूमि संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंपी गई और वह तीन से पांच साल तक व्यर्थ पड़ी रही।

(पैरा संख्या 2.2)

सीएसबी निम्नलिखित बातों को तय करने के लिए एक तय समय-सीमा में भूमि एवं संपत्ति प्रबंधन नीति/नियमावली बनाए:

(i) कब्ज़े में मौजूद भूमि के लिए दस्तावेजीकरण की सही प्रणाली, साथ ही मूल स्वामित्व विलेख/पट्टे समझौते की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ii) मूल दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखना एवं भूमि को बाड़/सीमा दीवारों से सुरक्षित रखना, साथ ही भूमि एवं संपत्ति का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करना;

(iii) सभी बंद/विलय की गई इकाईयों की आधारभूत संरचना की सुरक्षा एवं उसका उपयोग; एवं

(iv) भूमि एवं संपत्ति के बारे में रिपोर्टिंग के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली।

(अनुशंसा संख्या 2)

नमूने के तौर पर चुनी गई 64 इकाईयों के लिए सीएसबी ने कुल 103.44 लाख वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहित की/खरीदी/पट्टे पर ली थी। 48 इकाईयां, जिनमें भूमि था, में से 25 इकाईयों के मामले में सीएसबी के पास स्वामित्व/बिक्री विलेख/खाता/पट्टा नहीं था। नमूने में सम्मिलित 64 इकाईयों में से छह मामलों में सीएसबी की भूमि/भवनों पट्टे पर दी गई थीं लेकिन छह में से चार मामलों में या तो पट्टे के समझौते नहीं थे या उनकी समय-सीमा खत्म हो चुकी थी। तीन इकाईयों के मामले में केवल मूल दस्तावेज़ों की प्रतियाँ

उपलब्ध थीं। पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी इकाईयों के कब्ज़े वाली भूमि का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया, विशेषकर भूमि के हस्तांतरण/बिक्री के मामलों में। नमूने में शामिल 64 में से 49 इकाईयों में संपत्ति रजिस्टर को ठीक से अनुरक्षित नहीं किया गया था।

(पैरा संख्या 3.1, 3.2, 3.3 एवं 3.4)

सीएसबी, राज्य सरकार (सरकारों) में उचित स्तर पर अधिकारियों के साथ जुड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई करे और विक्रय विलेख/पट्टा समझौते करके अपने पक्ष में भूमि का स्वामित्व प्राप्त करे और उन मामलों में सीएसबी के नाम पर खाता प्राप्त करना सुनिश्चित करे जहां भूमि सीएसबी के पक्ष में पंजीकृत/हस्तांतरित की गई है।

(अनुशंसा संख्या 3)

सीएसबी पट्टे पर दी गई सभी संपत्तियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करे और पट्टे के समझौतों की उपलब्धता के साथ-साथ पट्टे के बकाया किराए की वसूली सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, सीएसबी पट्टा समझौतों के समय पर नवीनीकरण, पट्टे के किराए की समय पर वसूली और ऐसी संपत्तियों के उचित रखरखाव और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करे।

(अनुशंसा संख्या 4)

सीएसबी अपने कब्जे में भूमि की बिक्री/समर्पण/अधिग्रहण के तुरंत बाद सर्वेक्षण और सीमांकन के अनिवार्य आचरण के लिए निर्देश जारी करे।

(अनुशंसा संख्या 5)

नमूने में सम्मिलित 43 चालू इकाईयों में से 17 इकाईयों जिनके पास कुल 40.58 लाख वर्ग मीटर भूमि थी, इनमें से 15.80 लाख वर्ग मीटर भूमि (39 *प्रतिशत*) खाली/अप्रयुक्त पड़ी थी। पांच इकाईयों में 50 *प्रतिशत* से ज़्यादा खाली भूमि थी। नमूने में शामिल 21 बंद/विलय की गई इकाईयों में से आठ इकाईयों के पास 2.88 लाख वर्ग मीटर भूमि थी। तीन बंद/विलय की गई इकाईयों में भूमि का इस्तेमाल न होने के मामले देखे गए।

(पैरा संख्या 3.5 एवं 3.6)

सीएसबी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे कि भूमि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और कार्यात्मक/बंद/विलय की गई इकाइयों की खाली भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने या भूमि को समर्पित/हस्तांतरित करने के लिए प्रयास किया जाए। सीएसबी रेशम उत्पादन विभाग/अन्य विभागों को पट्टे पर दी गई भूमि का अलग

डेटाबेस बनाए रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित करे और इसके रखरखाव की निगरानी के लिए पट्टे पर दी गई भूमि का नियमित भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करे।

(अनुशंसा संख्या 6)

नमूना लिए गए 43 कार्यात्मक इकाइयों में से 12 इकाइयों में, 14.89 लाख वर्ग फुट भवन क्षेत्र में से 70,529 वर्ग फुट क्षेत्र बेकार पड़ा था। इसके अतिरिक्त, 43 कार्यात्मक इकाइयों में से 26 इकाइयों के पास 626 स्टाफ क्वार्टर्स थे। इनमें से केवल 255 आवास ही कब्जे में थे एवं शेष 371 आवास खाली थे। साथ ही, 371 खाली आवासों में से 96 आवासों को सीएसबी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया गया था।

(पैरा संख्या 4.1 एवं 4.2)

सीएसबी ने नमूने में शामिल 21 बंद/विलय की गई इकाइयों में से 11 इकाइयों में अपने भवनों का निर्माण किया है। इन 11 इकाइयों में से, छः इकाइयों का निर्मित क्षेत्र 31 मार्च 2023 तक 79,161 वर्ग फुट था एवं शेष पांच इकाइयों का निर्मित क्षेत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, 21 बंद/विलय की गई इकाइयों में से पांच में स्टाफ क्वार्टर्स की सुविधा प्रदान की गई थी। आरईसी भद्रासी ने कोई जानकारी नहीं दी एवं हालांकि बीएसएफ बांगुरिया ने भवनों एवं आवासों की उपलब्धता की पुष्टि की लेकिन लेखापरीक्षा को उनका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखापरीक्षा में ऐसे भवन देखे गए जो खाली थे, जर्जर हालत में थे एवं जिनका रखरखाव नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सीएसबी ने चार यूनिटों, जिनकी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, में बिजली के बिल, संपत्ति/नगरपालिका कर एवं सुरक्षा प्रभार पर खर्च किया था।

(पैरा संख्या 4.4)

सीएसबी भवनों/कर्मचारियों के क्वार्टरों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करे और समय पर नवीनीकरण और मरम्मत के लिए कार्रवाई करे, समय-समय पर निरीक्षण करके टूट-फूट को रोक सकता है। सीएसबी कार्यात्मक/बंद भवनों के समर्पित/हस्तांतरण या अप्रयुक्त भवनों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के प्रभावी उपयोग के लिए तत्काल कार्रवाई भी शुरू करे।

(अनुशंसा संख्या 7)

सीएसबी ने 48 नमूना इकाईयां, जिनमें भूमि है, में से 18 में स्वामित्व वाली भूमि के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों जैसे कि बाड़/सीमा दीवारों को लागू नहीं किया है। उचित सुरक्षा उपायों की कमी के कारण 86,768 वर्ग मीटर (21.44 एकड़) भूमि पर अतिक्रमण हुआ, जिसका

मार्गदर्शन मूल्य लगभग ₹6.88 करोड़ है। संस्थानों या केंद्रीय कार्यालय को कार्रवाई करने के लिए अतिक्रमणों की रिपोर्टिंग न करने के मामले पाए गए, जो प्रशासनिक चूक एवं आंतरिक नियंत्रण की कमी का संकेत देते हैं।

(पैरा संख्या 5.1)

सीएसबी भूमि के अतिक्रमण को रोकने और सुरक्षा के लिए भूमि में बाड़ लगाने/सीमा दीवार बनाने का काम करे।

(अनुशंसा संख्या 8)

लेखापरीक्षा के दौरान चार इकाइयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान की गई मैपिंग (गूगल अर्थ एप्लिकेशन का उपयोग करके) एवं सीएसबी द्वारा प्रदान किए गए सर्वेक्षण डेटा की सीएसबी के भूमि अभिलेख से तुलना करने पर, यह पाया गया कि सीएसबी के पास 2.30 लाख वर्ग मीटर (56.90 एकड़) भूमि का कब्ज़ा नहीं था, जिसका मार्गदर्शन मूल्य ₹113.10 करोड़ था।

(पैरा संख्या 5.2)

भूमि/भवन/अप्रयुक्त खाली भूमि/विवादित भूमि/अतिक्रमित भूमि आदि के भौतिक सत्यापन एवं सुरक्षा उपायों से संबंधित गतिविधियाँ, भूमि एवं संपत्ति प्रबंधन पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए सीएसबी के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध को नहीं सौंपी गई थीं। सीएसबी ने इकाइयों/संस्थानों/केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध भूमि, भवनों एवं आधारभूत संरचना का भौतिक सत्यापन नहीं किया।

(पैरा संख्या 6.1 एवं 6.1.1)

सीएसबी द्वारा वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा खरीदी/निर्मित संपत्तियों का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे लाभार्थियों द्वारा योजना निधियों से निर्मित संपत्तियों पर सीएसबी की निगरानी प्रणाली के साथ-साथ लाभार्थियों द्वारा निर्मित ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा पर लेखापरीक्षा टिप्पणी करने में असमर्थ रहा।

(पैरा संख्या 6.1.2)

सीएसबी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीएसबी फंड के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा बनाई गई संपत्तियों के विवरण को समय-समय पर निरीक्षण और अधिदेश के अनुसार ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा के साथ रिकार्ड करने, बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए एक तंत्र तैयार करे।

(अनुशंसा संख्या 9)

सीएसबी का नियामक बोर्ड ने सीएसबी की संपत्ति प्रबंधन के मामलों की उचित निगरानी नहीं की, भले ही जानकारी दर्ज करने, स्वामित्व विलेख रखने, संपति की सुरक्षित अभिरक्षा, एवं सर्वेक्षण/अतिक्रमण आदि पर समय-समय पर रिपोर्टिंग के अभाव जैसी कमियां पाई गई थीं।

(पैरा संख्या 6.2)

सीएसबी का नियामक बोर्ड समय-समय पर सीएसबी के संपत्ति प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र तैयार करे जिसमें उसके कब्जे में संपत्ति के हक और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(अनुशंसा संख्या 10)

11 नवंबर 2024 को आयोजित समापन बैठक के दौरान, प्रबंधन ने आम तौर पर सभी अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि प्रत्येक अनुशंसा से संबंधित इकाइयों से विवरण सत्यापित करने के बाद मौजूदा तंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें लागू किया जाएगा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा का सुझाव है कि यह अभ्यास सभी केंद्रीय रेशम बोर्ड इकाइयों में किया जाना चाहिए एवं केवल लेखापरीक्षा नमूने तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

अंत में, अभिलेख की अनुपलब्धता और सूचना नहीं प्रदान करने के साथ-साथ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में अशुद्धियों और सीएसबी में उपलब्ध परिसंपत्तियों और आधारभूत संरचना से संबंधित केंद्रीय कार्यालय/संस्थानों/इकाइयों में अपर्याप्त डेटा के रखरखाव को देखते हुए, लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि *सीएसबी के लिए यह आवश्यक है कि वह इकाइयों/संस्थानों/केंद्रीय कार्यालय द्वारा रखी गई संपत्ति को अभिलेखित करने, बनाए रखने, अद्यतन करने और अंत में रिपोर्ट करने के लिए एक व्यापक योजना स्थापित करे और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर गतिविधियों की देखरेख और समन्वय के लिए जिम्मेदारी तय करे ताकि नियामक बोर्ड को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए विवरण समय-समय पर दिया जा सके। नियामक बोर्ड सीएसबी के कब्जे वाली संपत्ति के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए भी कदम उठाए एवं निर्देश दे।*

वस्त्र मंत्रालय ने (06 फरवरी 2026 में) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई विस्तृत जांच और रचनात्मक अवलोकन के लिए लेखापरीक्षा प्रति अपनी सराहना व्यक्त की।

लेखापरीक्षा की सभी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सीएसबी के आश्वासन की लेखापरीक्षा सराहना करता है और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, मंत्रालय के डाटा निगरानी एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से एक विशेष मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया गया है और सीएसबी सहित मंत्रालय के अधीन अचल संपत्तियों के व्यापक प्रबंधन के लिए एक संपदा निगरानी डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है जिसके लिए लेखापरीक्षा सराहना व्यक्त करता है।

अध्याय - 1

परिचय

अध्याय 1: परिचय

1.1 परिचय

केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत में रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग के विकास और विकास की निगरानी के लिए एक शीर्ष एजेंसी के रूप में केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित किया गया था (अप्रैल 1949)।

बेंगलुरु में स्थित सीएसबी सचिवालय (केंद्रीय कार्यालय/मुख्यालय) एक शीर्ष एजेंसी है जिसे नौ संस्थानों[1] द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो आगे क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। अध्यक्ष[2], उपाध्यक्ष[3] और सीएसबी के सदस्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सदस्य सचिव बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता है एवं इन्हें निदेशकों, वैज्ञानिकों, उप निदेशकों, सहायक निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सीएसबी को वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान करने, पोषक पौधों की खेती, स्वस्थ रेशम के कीड़ों के बीजों के पालन, विकास और वितरण के उन्नत तरीके तैयार करने, कच्चे रेशम की गुणवत्ता, उत्पादन और विपणन में सुधार करने और रेशम उत्पादन तथा रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का दायित्व सौंपा गया है।

1.2 केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा धारित भूमि

सीएसबी ने 2016-17 के दौरान सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल में अपने स्वामित्व वाली भूमि का 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14[4] एकड़) का विवरण

---

[1] *(i) केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसटीआरआई) बेंगलुरु; (ii) केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीएसआरटीआई) मैसूर; (iii) सीएसआरटीआई पम्पोर; (iv) सीएसआरटीआई बेरहामपुर; (v) केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआरटीआई) रांची; (vi) राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (एनएसएसओ) बेंगलुरु; (vii) बेसिक तसर रेशमकीट बीज संगठन (बीटीएसएसओ) बिलासपुर; (viii) केंद्रीय मुगा एरी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (सीएमईआरटीआई) लहदोईगढ़; और (ix) मुगा एरी रेशमकीट बीज संगठन (एमईएसएसओ) गुवाहाटी।*

[2] *अध्यक्ष का पद अगस्त 2019 से रिक्त है।*

[3] *संयुक्त सचिव (रेशम), वस्त्र मंत्रालय वास्तविक उपाध्यक्ष हैं।*

[4] *एक एकड़ 4,046.86 वर्ग मीटर/40 गुंटा के बराबर है।*

अपलोड किया। सीएसबी ने अपनी वेबसाइट पर भूमि का विवरण भी अपलोड किया (जनवरी 2019) जिसमें भूमि प्राप्त करने के तरीके और उसके उपयोग का ब्यौरा सम्मिलित है, जो नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका 1.1 - सीएसबी के भूमि स्वामित्व का विवरण

(वर्ग मीटर में भूमि)

प्राप्ति का तरीका	उपयोग की विधि				
	कार्यालय	अनुसंधान और विकास	टाउनशिप	अन्य$	कुल योग
राज्य सरकार/एजेंसी द्वारा आबंटित	29,28,781.33	1,05,79,081.91	55,700.55	0.00	1,35,63,563.79
दान/उपहार[5]	0.00	2,14,120.92	0.00	0.00	2,14,120.92
फ्री होल्ड[6]	0.00	5,18,300.00	0.00	0.00	5,18,300.00
भूमि अधिग्रहण अधिनियम	2,22,081.33	2,62,314.86	42,587.28	0.00	5,26,983.47
केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/एजेंसी द्वारा पट्टा	1,82,906.90	4,99,142.09	3,738.70	3,00,000.00	9,85,787.69
क्रय किया	3,76,047.37	13,58,716.18	28,100.46	0.00	17,62,864.01
अन्य@	1,57,827.00	4,451.54	0.00	0.00	1,62,278.54
कुल योग	**38,67,643.93**	**1,34,36,127.50**	**1,30,126.99**	**3,00,000.00**	**1,77,33,898.42**

नोट - जिन सरकार/विभागों ने सीएसबी को भूमि आबंटित/पट्टे पर दी है, उनके नाम जीएलआईएस पोर्टल में उल्लिखित नहीं हैं।

$ यद्यपि इसे जीएलआईएस पोर्टल में 'अन्य' के अंतर्गत अपलोड किया गया था, लेकिन भूमि को अनुसंधान और विकास के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है।

@ यद्यपि इसे जीएलआईएस पोर्टल में 'अन्य' के अंतर्गत अपलोड किया गया था, 1,57,827 वर्ग मीटर और 4,451.54 वर्ग मीटर क्षेत्र को क्रमशः जम्मू और कश्मीर और ओडिशा की राज्य सरकारों से पट्टे पर लिया गया था।

[5] दान/उपहार में दी गई भूमि दो इकाइयों से संबंधित है, अर्थात, बीएसएफ गवीमाता (2,10,436.72 वर्ग मीटर) और आरईसी कामनगर (3,684.20 वर्ग मीटर)। बीएसएफ गवीमाता के लिए भूमि श्री सिद्धलिंगेश्वर मठ, गवीमाता द्वारा निःशुल्क उपहार में दी गई थी। हालांकि, आरईसी कामनगर के पास भूमि दान का स्रोत उपलब्ध नहीं था।

[6] फ्रीहोल्ड भूमि का अर्थ है भूमि का स्थायी स्वामित्व। भूमि का मालिक संपत्ति को बेच, हस्तांतरित या संशोधित कर सकता है।

1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा समीक्षा में भूमि, भवनों और कर्मचारी क्वार्टरों के स्वामित्व, उपयोग और सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों/सूचना की जांच सम्मिलित थी। 31 मार्च 2023 को 159 कार्यात्मक/परिचालन इकाइयों में से 43 और 2018-19 से 2022-23 तक 129 बंद/विलय की गई इकाइयों में से 21 का लेखापरीक्षा किया गया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण (स्ट्राटिफ़ाइड रैन्डम सांपलिंग) का उपयोग करके समीक्षा के लिए कुल 288 इकाइयों (अर्थात 159 + 129) की सूची में से कुल 64 इकाइयों (अर्थात 43 + 21) का चयन किया। नमूना इकाइयों की सूची ***अनुलग्नक 1*** के रूप में संलग्न है।

पैरा संख्या 2.1.8, 3.1, 3.2 (ग), 3.3, 4.1, 4.4, 5.1.1 और 5.2 में हुई चर्चा के अनुसार कुछ सूचनाएं जैसे भूमि विवरण, पट्टे का विवरण, अतिक्रमण विवरण, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई परिसंपत्तियों का विवरण आदि उपलब्ध नहीं कराए गए हैं[7]। नमूना कार्यात्मक इकाइयों अर्थात सीएसटीआरआई बेंगलुरु और एसएसटीएल कोडाथी की जांचसूची की हस्ताक्षरित प्रति में आंशिक/गलत सूचना है। इसके अतिरिक्त, दो नमूनाकृत बंद इकाइयों, अर्थात् आरईसी भद्रासी और बीएसएफ बंगुरिया का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा भूमि/भवनों के उचित स्वामित्व, भूमि/भवनों के उपयोग/गैर-उपयोग, भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टरों के गैर-उपयोग के कारण राजस्व की हानि/टाले जा सकने वाले व्यय, मकान किराया भत्ते के टाले जा सकने वाले भुगतान, अस्थायी पट्टे के किराए की हानि आदि की पुष्टि और टिप्पणी नहीं कर सकी।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या -

(i) सीएसबी के पास मौजूद कुल भूमि और संपत्ति का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक सही प्रणाली मौजूद है एवं निगरानी का तंत्र प्रभावी और कुशल है;

(ii) सीएसबी की भूमि/भवन/संपत्ति का उपयोग वांछित उद्देश्य के लिए प्रभावी ढंग से किया गया, पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया गया और अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए;

[7] ***दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने का मुख्य कारण इन दस्तावेजों/विवरणों की अनुपलब्धता थी।***

(iii) बंद/विलय की गई इकाइयों की भूमि और संपत्ति की सुरक्षा और उपयोग के लिए प्रणाली मौजूद थी और वह कुशल है; एवं

(iv) अनुप्रयुक्त/खाली भूमि/भवनों/अन्य संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किराए की वसूली हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रणाली कुशल थी।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

भूमि और संपत्ति के दस्तावेजीकरण की प्रणाली का आकलन करने और पर्यवेक्षी तंत्र की प्रभावशीलता और दक्षता की जांच करने के लिए लेखापरीक्षा मानदंड में सम्मिलित हैं:

(i) भूमि स्वामित्व, पट्टा, किराया/पट्टे के निर्धारण और वसूली के संदर्भ में सीएसबी द्वारा जारी नीतियां/प्रक्रियाएं/निर्देश;

(ii) भूमि और भवनों के लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट और सर्वेक्षण रिपोर्ट;

(iii) संपत्ति प्रबंधन से संबंधित स्थायी समिति[8]/नियामक बोर्ड की बैठकों का एजेंडा और कार्यसूची;

(iv) भूमि/भवनों/पट्टे/किराया वसूली से संबंधित प्रबंधन सूचना रिपोर्ट;

(v) केंद्रीय रेशम बोर्ड के पक्ष में स्वत्व विलेख;

(vi) केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किए गए लीज़/किराया समझौते;

(vii) सीएसबी, वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार के बीच भूमि और भवनों के संदर्भ में दिशा-निर्देश/निर्देश/पत्राचार और सीएसबी के पुनर्गठन पर निर्देश; और

(viii) संपत्ति प्रबंधन विंग/केंद्रीय रेशम बोर्ड विभाग के अभिलेख।

1.6 लेखापरीक्षा पद्धति

10 नवंबर 2023 को सीएसबी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन के साथ लेखापरीक्षा शुरू हुई जिसमें लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई। इसके बाद केंद्रीय कार्यालय और चयनित नमूना इकाइयों का दौरा किया गया ताकि डेटा एकत्र किया जा सके, भूमि और भवनों का भौतिक सत्यापन किया जा सके, जहां भी संभव हो भूमि क्षेत्र का मानचित्रण किया जा सके और प्रबंधन के साथ चर्चा की जा सके। भौतिक रूप से दौरा नहीं

[8] *केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 6(3) के अनुसार, एक स्थायी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके सदस्यों में से नियामक बोर्ड द्वारा चुने गए पांच अन्य सदस्य होंगे। स्थायी समिति ऐसी शक्तियों और ऐसे कर्तव्यों का प्रयोग करेगी जो नियामक बोर्ड द्वारा सौंपे जा सकते हैं।*

किए गए चयनित इकाइयों के संबंध में सूचना संबंधित इकाइयों/संस्थानों को प्रश्नावली जारी करके एकत्र की गई थी। भौतिक रूप से निरीक्षण की गई भूमि क्षेत्र का मानचित्रण 'गूगल अर्थ' एप्लिकेशन का उपयोग करके किया गया था और भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स की तस्वीरें 'जीपीएस मैप कैमरा' एप्लिकेशन का उपयोग करके ली गई थीं। 5 अगस्त 2024 को लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सीएसबी को सूचित किया गया और 11 नवंबर 2024 को निकास सम्मेलन में उनके साथ चर्चा की गई। सीएसबी द्वारा प्रस्तुत उत्तरों (01 जनवरी 2025) और निकास सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा पर विचार करते हुए संशोधित रिपोर्ट 28 जनवरी 2025 को वस्त्र मंत्रालय को जारी की गई थी। यह रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं (29 मई 2025) पर विधिवत विचार करते हुए तैयार की गई है।

1.7 आभार

इस लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया सहयोग के लिए सराहना एवं आभार प्रकट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की सभी अनुशंसाओं को लागू करने के लिए सीएसबी के आश्वासन की लेखापरीक्षा सराहना करता है और मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, मंत्रालय के डाटा निगरानी एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से एक विशेष मोबाईल एप्लीकेशन विकसित किया गया है और सीएसबी सहित मंत्रालय के अधीन अचल संपत्तियों के व्यापक प्रबंधन के लिए एक संपदा निगरानी डैश्बोर्ड भी विकसित किया गया है जिसके लिए लेखापरीक्षा सराहना व्यक्त करता है।

वस्त्र मंत्रालय ने (06 फरवरी 2026) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई विस्तृत जांच और रचनात्मक अवलोकन के लिए लेखापरीक्षा प्रति अपनी सराहना व्यक्त की।

अध्याय - 2

संपत्ति प्रबंधन पर नीतिगत ढांचा

अध्याय 2: संपत्ति प्रबंधन पर नीतिगत ढांचा

2.1 संपत्ति प्रबंधन पर नीति/दिशानिर्देश और आंतरिक नियंत्रण

2.1.1 सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) (2016-17) और सीएसबी वेबसाइट (जनवरी 2019) में अपलोड की गई सूचना के अनुसार, सीएसबी के कब्जे में 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14 एकड़) भूमि थी जिनकी 164 पहचान संख्या[9] थी। हांलाकि, **पैरा संख्या 1.3** के अंतर्गत उल्लिखित 288 इकाइयों के इकाई-वार भूमि विवरण और केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए भूमि डेटा के संकलन के आधार पर सीएसबी के पास 217.82 लाख वर्ग मीटर[10] (5,382.53 एकड़) भूमि थी।

तालिका 2.1 - सीएसबी के भूमि स्वामित्व का विवरण

इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	भूमि वाली इकाइयाँ		भूमि न रखने वाली इकाइयाँ	भूमि की सूचना नहीं दी गई है
		इकाइयों की संख्या	भूमि क्षेत्र (वर्ग. मीटर)	इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या
कार्यात्मक	159	121	2,10,85,184	35	3
बंद/विलय	129	23	6,97,147	79	27
कुल	**288**	**144**	**2,17,82,331**	**114**	**30**

विवरण ***अनुलग्नक 2*** में प्रस्तुत किया गया है।

2.1.2 सीएसबी के पुनर्गठन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) को नोट में, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने रिपोर्ट (13 मार्च 2018) की थी कि 288 इकाइयां थीं। सीएसबी ने लेखापरीक्षा को इन 288 इकाइयों[11] की एक सूची प्रदान की जिसमें वास्तव

---

[9] *पहचान संख्या जीएलआईएस पोर्टल में भूभाग को निर्दिष्ट भूभाग की विशिष्ट पहचान के लिए सौंपा गया एक अद्वितीय संख्या है।*

[10] *(क) कार्यात्मक इकाइयों के लिए, अनुलग्नक 2 में भूमि का क्षेत्र सीएसबी के संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर माना गया था। संस्थानों से सूचना के अभाव में, सीएसबी के केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया। (ख) बंद इकाइयों के मामले में, सीएसबी के केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया। केंद्रीय कार्यालय से सूचना के अभाव में, सीएसबी के संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया*

[11] *सूची सीएसबी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि उसके पास 288 इकाइयां हैं। हालाँकि, सूची में 289 इकाइयाँ थीं क्योंकि सीएसबी ने सीटीआरटीआई रांची के तहत एक आरईसी इकाई का हिसाब नहीं रखा था।*

में 289 इकाइयां थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 23 अतिरिक्त इकाइयां[12] ***(अनुलग्नक 3)*** थीं, जो 1 मार्च 2018 को 288 इकाइयों की इस सूची में नहीं थीं। यह सीएसबी द्वारा लेखापरीक्षा और सीसीईए को प्रदान की गई इकाइयों की संख्या की सूचना की पूर्णता और शुद्धता पर संदेह पैदा करता है।

निकास सम्मेलन (11 नवंबर 2024) के दौरान प्रबंधन ने कहा कि सीएसबी की इकाइयों की कुल संख्या को अद्यतित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

2.1.3 कार्यात्मक इकाइयों के लिए सीएसबी द्वारा प्रदान किए गए भूमि स्वामित्व के विवरण के संबंध में, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 21 इकाइयों के संबंध में, संस्थानों द्वारा बताई गई भूमि क्षेत्र 63.94 लाख वर्ग मीटर था जबकि केंद्रीय कार्यालय द्वारा सूचित भूमि क्षेत्र केवल 10.43 लाख वर्ग मीटर था जोकि 53.51 लाख वर्ग मीटर के अंतर को दर्शाता है ***(अनुलग्नक 4)***। अन्य 28 कार्यात्मक इकाइयों के संबंध में, संस्थानों ने 96.61 लाख वर्ग मीटर भूमि स्वामित्व की सूचना दी जबकि केंद्रीय कार्यालय ने किसी भी भूमि स्वामित्व की सूचना/पुष्टि नहीं की थी ***(अनुलग्नक 5)।*** यह ध्यान देने योग्य है कि लेखापरीक्षा के दौरान नमूना इकाइयों के मामले में संस्थानों द्वारा बताई गई भूमि स्वामित्व की पुष्टि की गई थी और आगे की विसंगतियों को **पैरा संख्या 2.1.5 और 3.1** पर सम्मिलित किया गया है।

2.1.4 संस्थानों द्वारा प्रदान की गई 27 बंद/विलय की गई इकाइयों के भूमि विवरण के संबंध में ***(अनुलग्नक 6),*** लेखापरीक्षा में देखा गया कि अप्रैल 2018 से जुलाई 2022 के दौरान बंद छः इकाइयों[13] के संबंध में 4.20 लाख वर्ग मीटर (103.82 एकड़) भूमि को केंद्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया था जो संस्थानों और केंद्रीय कार्यालय के बीच डेटा प्रबंधन में समन्वय की कमी को दर्शाता है। आरओ मुंबई (686 वर्ग मीटर) को छोड़कर, जहां लेखापरीक्षा भूमि स्वामित्व को सत्यापित कर सका था, शेष पांच इकाइयों के संबंध में, लेखापरीक्षा 4.19 लाख वर्ग मीटर की भूमि की उपलब्धता और केंद्रीय कार्यालय में दस्तावेजों/सूचना की अनुपलब्धता के कारण सौंपने/हस्तांतरण या उपयोग/उपयोग न होने

---

[12] 23 इकाइयों में से, तीन कार्यात्मक हैं, दो बंद हैं और शेष 18 अन्य इकाइयों के साथ विलय हो गए हैं। तीन कार्यात्मक इकाइयों में से दो के पास भूमि/भवन हैं और दो बंद इकाइयां और 10 विलय की गई इकाइयों के पास कोई भूमि/भवन नहीं है। लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में शेष आठ विलय इकाइयों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

[13] आरईसी फतेहनगर, आरओ मुंबई, एमयूजीए एसएसपीसी तुरा, बीएसएमटीसी भागलपुर, आरईसी गोपेश्वर और आरईसी कटघोरा।

की उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, 27 बंद/विलय/स्थानांतरित इकाइयों में से सात[14] के पास 5.25 लाख वर्ग मीटर (129.61 एकड़) भूमि थी, जैसा कि संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया था, केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान की गई 129 बंद इकाइयों की सूची में नहीं था।

2.1.5 लेखापरीक्षा ने 17 नमूना चयनित इकाइयों में भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराए गए भूमि स्वामित्व के विवरण में विसंगतियाँ पाईं जैसा कि ***अनुलग्नक 7*** में विवरण दिया गया है, एवं जिन पर बाद में **पैरा संख्या 3.1** के माध्यम से चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि अनुलग्नकों सहित सहायक दस्तावेजों में सूचीबद्ध इकाइयों के सटीक भूमि क्षेत्र की पहचान करने के लिए सहायक दस्तावेजों के साथ कार्रवाई शुरू की गई है ताकि समान विवरण केंद्रीय कार्यालय में बनाए रखा जा सके।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा का सुझाव है कि सीएसबी के सभी संस्थानों/इकाइयों द्वारा धारित भूमि के विवरण का मिलान किया जाए और इसे केवल ***अनुलग्नकों*** *में सूचीबद्ध इकाइयों तक ही सीमित न रखा जाए।*

2.1.6 लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित संस्थानों को रिपोर्ट करने वाली इकाइयों सहित संस्थानों की सभी भूमि और भवनों का रखरखाव संबंधित संस्थानों के निदेशकों को सौंपा गया है। किसी भी अतिक्रमण या भूमि और भवन में किसी भी परिवर्तन के मामलों को इकाइयों द्वारा संस्थानों के ध्यान में लाया जाना था और फिर संस्थानों द्वारा केंद्रीय कार्यालय के ध्यान में लाया जाना था। हालाँकि, यह व्यवस्था कमियों से भरी हुई थी क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए भूमि के अतिक्रमण के कुछ उदाहरणों को, जैसा कि **पैरा संख्या 5.1.1** में चर्चा की गई है, इकाइयों द्वारा संस्थानों को और परिणामस्वरूप संस्थानों द्वारा केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएसबी ने भूमि/संपत्ति प्रबंधन के लिए कोई नीति स्थापित नहीं की है और न ही उसके पास कब्जे में भूमि के उचित दस्तावेजीकरण, इसके इष्टतम उपयोग और अपनी भूमि को अन्य पार्टियों को पट्टे पर देने के लिए निर्धारित करने वाली कोई अलग नियमावली है। लेखापरीक्षा में यह भी कहा गया कि सीएसबी के पास भूमि/संपत्ति प्रबंधन पर कोई समय-समय पर आंतरिक रिटर्न/रिपोर्ट नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सीएसबी के नियामक

[14] ***बीएसएफ नागेनहल्ली, एसएसपीसी कांडी, सीएसडी कोरापुट, आरईसी नवसारी, बीएसएमटीसी भागलपुर, आरईसी गोपेश्वर, आरईसी कटघोरा.***

मंडल/स्थायी समिति ने सीएसबी की भूमि/संपत्ति के प्रबंधन के लिए कोई निर्देश नहीं दिए थे या कोई दिशानिर्देश स्थापित नहीं किए थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सीएसबी भूमि की संपत्ति के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश/नीति तैयार करने की प्रक्रिया बोर्ड के विधि अनुभाग को सीएसबी संपत्तियों की भूमि/संपत्ति प्रबंधन के लिए नीति तैयार करने के निर्देश देकर शुरू की गई है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा का सुझाव है कि दिशानिर्देशों/नीति के अंतिम रूप देने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए।

2.1.7 सीएसबी ने (जून 2008) संबंधित मुख्य संस्थानों/क्षेत्रीय कार्यालयों के उप सचिव/संयुक्त सचिव/उप निदेशक को वस्त्र मंत्रालय राजपत्र अधिसूचना दिनांक 29 अप्रैल 2008 के आधार पर सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अनुसार संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएसबी में यह व्यवस्था कार्यात्मक नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सीएसबी के पास विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध भूमि के दस्तावेजीकरण और इसके उपयोग की निगरानी के लिए कोई संपदा विभाग/विंग नहीं था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद (अगस्त 2024), दिसंबर 2024 में एक अलग भूमि और भवन अनुभाग स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत भर में फैले सीएसबी की विभिन्न इकाइयों की भूमि और संपत्तियों की प्रभावी निगरानी और उपयोग के लिए सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत मई 2025 से संपदा अधिकारियों को फिर से नियुक्त किया गया है।

2.1.8 सीएसबी ने सभी इकाइयों की भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स की कोई सूचना प्रणाली (आईएस) स्थापित नहीं की है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017 के दौरान जीएलआईएस पोर्टल में भूमि डेटा अपलोड किया गया था, लेकिन आज तक (जून 2024) इसे अद्यतित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। सीएसबी ने कहा कि जीएलआईएस पर अपलोड की गई भूमि का विवरण 164 इकाइयों से संबंधित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने ध्यान दिया कि जीएलआईएस में अपलोड किए गए अनुसार कुल भूमि क्षेत्र 177.34 लाख वर्ग मीटर (4,382.14 एकड़) जोकि 164 पहचान संख्या (भूमि के स्थान के आधार पर) से संबंधित है। ऐसे उदाहरण थे जिनमें एक ही फील्ड इकाई के अंतर्गत आने वाली कई पहचान संख्या के अंतर्गत भूमि थी जैसे 149 पहचान संख्या के अंतर्गत भूमि

सीएसबी की 120 फील्ड इकाई से मेल खाती है जबकि शेष 15 पहचान संख्या को किसी भी फील्ड इकाई से नहीं जोड़ा जा सका। विवरण ***अनुलग्नक 8*** में प्रस्तुत किया गया है। भवनों के डेटा का मिलान नहीं किया गया था और इसे जीएलआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि अनुलग्नक के अंतर्गत सूचीबद्ध संपत्ति पहचान संख्या को संबंधित इकाई के साथ मानचित्रण करने और जीएलआईएस में संपत्तियों के विवरण को अद्यतन/अपलोड करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

2.2 बंद/विलय इकाइयों के लिए निर्देशों का अनुपालन

1 मार्च 2018 तक, सीएसबी की गतिविधियां पूरे देश में स्थित 289 कार्यात्मक इकाइयों के माध्यम से की गईं। वस्त्र मंत्रालय ने सीएसबी को तीन वर्षों (2017-20) के लिए "रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना (आईएसडीएसआई)" पर एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को जारी रखने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति (21 मार्च 2018) के बारे में सूचित किया था (27 मार्च 2018)। अनुमोदन में सीएसबी के रोडमैप में प्रस्तावित क्षेत्र इकाइयों को 2019-20 तक 288 से घटाकर 179 करने और संबंधित राज्य सरकारों को गतिविधियों को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया था। अनुमोदन में कार्य बिंदुओं/महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने, सीएसबी की क्षेत्रीय इकाइयों को बंद करने, बीज उत्पादन नेटवर्क को राज्यों को हस्तांतरित करने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को कृषि विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित करने और इसके कार्यान्वयन की निगरानी पर कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन था। हालाँकि, अभिलेख में ऐसी कोई कार्य योजना नहीं पाई गई।

मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, नियमित रूप से कई इकाइयों को बंद कर दिया गया या अन्य मौजूदा इकाइयों के साथ विलय कर दिया गया। सीएसबी के केंद्रीय कार्यालय ने सूचित किया कि मार्च 2018 के बाद सीएसबी को सही आकार देने के लिए 129 इकाइयां बंद कर दी गईं। यह भी सूचित किया गया (8 दिसंबर 2023) कि इनमें से 22 बंद इकाइयों के पास 7.92 लाख वर्ग मीटर (195.62 एकड़) भूमि थी ***(अनुलग्नक 9)***।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा सीएसबी को दिए गए निर्देशों में बंद इकाइयों की भूमि/संपत्ति के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे। परिणामस्वरूप, नौ बंद इकाइयों में 117.21 एकड़ भूमि संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंपी गई और तीन से पांच वर्षों तक निष्क्रिय रही। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 'बंद इकाइयों के आधारभूत

संरचना को सौंपने' से संबंधित चर्चा केवल 24 नवंबर 2023 को आयोजित 141वीं बोर्ड बैठक में अर्थात वस्त्र मंत्रालय के सीएसबी इकाइयों को बंद करने के निर्देशों के लगभग 5 साल बाद शुरू की गई थी।

अनुशंसा # 1: सीएसबी समयबद्ध तरीके से समय-समय पर सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) वेब पोर्टल में भूमि और भवनों के अद्यतन विवरण अपलोड करना सुनिश्चित करे।

अनुशंसा # 2: सीएसबी समयबद्ध तरीके से, निम्नलिखित को करने के लिए भूमि और संपत्ति प्रबंधन नीति/नियमावली तैयार करे:

(i) कब्जे में भूमि के लिए दस्तावेज़ीकरण की उचित प्रणाली और साथ ही मूल स्वामित्व विलेखों/पट्टा समझौतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ii) मूल दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा और बाड़/सीमा दीवार के साथ भूमि की सुरक्षित अभिरक्षा और भूमि और संपत्तियों का समय-समय पर भौतिक सत्यापन;

(iii) सभी बंद/विलय की गई इकाइयों के आधारभूत संरचना की सुरक्षा और उपयोग; और

(iv) भूमि और संपत्ति पर रिपोर्टिंग के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली।

अध्याय - 3

भूमि प्रबंधन

अध्याय 3: भूमि प्रबंधन

3.1 कब्जे में भूमि का दस्तावेजीकरण

नमूना चयनित 64 इकाइयों[15] के संबंध में सीएसबी द्वारा अधिग्रहीत/खरीदी/पट्टे पर ली गई कुल भूमि क्षेत्र 103.44 लाख वर्ग मीटर था, जिसमें से केवल 14 इकाइयों के पास 7.40 लाख वर्ग मीटर के कुल भूमि क्षेत्र के साथ पूरी भूमि के लिए स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेज थे और 17.48 लाख वर्ग मीटर के कुल भूमि क्षेत्र के साथ नौ (9) इकाइयों के लिए, स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेज केवल 10.08 लाख वर्ग मीटर के लिए आंशिक रूप से उपलब्ध थे। इसके अलावा, 78.56 लाख वर्ग मीटर के कुल भूमि क्षेत्र वाली 25 इकाइयों के पास स्वामित्व/पट्टा समझौता नहीं था और 16 इकाइयों के पास कोई भूमि नहीं थी।

विवरण **अनुलग्नक 10** में प्रस्तुत किया गया है।

सीएसबी द्वारा अपने नाम पर भूमि का स्वामित्व/पट्टा प्राप्त करने के लिए सक्रिय कार्रवाई/प्रयासों की कमी पर टिप्पणियां नीचे चर्चा की गई हैं

क. सीएसटीआरआई बेंगलुरु - सीएसबी बेंगलुरु ने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) से ₹6.80 लाख में दो भूभाग अर्थात, 39,052 वर्ग मीटर (9 एकड़ 26 गुंटा) मडीवाला में और 12,039 वर्ग मीटर (2 एकड़ 39 गुंटा) गोट्टिगेरे में खरीदे (4 अप्रैल 1984)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएसबी के नाम पर केवल गोट्टिगेरे भूमि के लिए विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था (13 सितंबर 2006)। इसके अतिरिक्त, खाता भी आज की तिथि तक उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, इकाई के पास मूल खरीद समझौते उपलब्ध नहीं थे और सत्यापन के लिए केवल प्रतिलिपि प्रदान की गई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि 12 एकड़ 24 गुंटों के लिए पंजीकृत खरीद समझौते की प्रमाणित प्रति उप-पंजीयक, बीडीए, बोम्मनहल्ली, बेंगलुरु से प्राप्त की गई है और खाता प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ख. आरईसी बीदर - सीएसबी ने 1986 के दौरान कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) से 11.33 एकड़ भूमि पट्टे सह बिक्री के आधार पर हासिल की जिसमें केआईएडीबी के आशय पत्र की शर्तों के खंड 1 के अनुसार 11 साल बाद बिक्री में रूपांतरण

---

[15] *एसएसटीएल कोडाथी के संबंध में क्षेत्र में आरएसआरएस कोडाथी की आसन्न इकाई का क्षेत्र शामिल है क्योंकि इन दोनों इकाइयों की भूमि के सर्वेक्षण संख्या और खाता संयुक्त हैं और अलग वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है।*

होगा। सीएसबी ने भूमि की 99 *प्रतिशत* लागत के लिए केआईएडीबी को ₹6.15 लाख का भुगतान किया, शेष एक *प्रतिशत* (₹6,200) ₹620 की 10 वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित देय है। केआईएडीबी ने कोलार (बीदर) औद्योगिक क्षेत्र में सीएसआरटीआई मैसूर को 45,380 वर्ग मीटर (11.21 एकड़) का कब्ज़ा सौंपते हुए कब्ज़ा प्रमाण पत्र जारी किया (29 अगस्त 1987)। इसके बाद, केआईएडीबी ने हस्ताक्षर के लिए सीएसआरटीआई मैसूर को पट्टा समझौते का मसौदा भेजा (29 अक्टूबर 1987)। हालांकि, सीएसआरटीआई मैसूर ने केआईएडीबी से स्पष्टीकरण मांगा (जनवरी 1988) कि क्या पट्टा समझौते का निष्पादन आवश्यक था क्योंकि खरीद प्रतिफल पहले ही केआईएडीबी को भेजा जा चुका था। अभिलेख में कोई और सूचना/आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसबी ने विक्रय विलेख के निष्पादन पर कोई कार्रवाई नहीं की और पट्टा समझौते के निष्पादन की आवश्यकता पर जनवरी 1988 के बाद कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था, हालांकि भूमि की एक *प्रतिशत* लागत 10 वार्षिक किश्तों में देय थी। इसके अतिरिक्त, 11 वर्षों के बाद भी सीएसबी द्वारा पट्टे के आधार पर भूमि को बिक्री के आधार पर परिवर्तित करने के लिए किसी भी पत्राचार/प्रयासों का कोई अभिलेख नहीं था।

चूंकि भूमि का स्वामित्व सीएसबी के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया था, केआईएडीबी ने कहा (मार्च 2020) कि आरईसी बीदर को स्वामित्व प्राप्त करने के लिए अगस्त 1987 से अगस्त 2019 तक की अवधि के लिए रखरखाव शुल्क और ब्याज के रूप में ₹42.55 लाख का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद, सीएसबी द्वारा की गई आगे की कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल कब्जा प्रमाण पत्र इकाई के पास उपलब्ध नहीं था और लेखापरीक्षा के लिए केवल एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि संस्थान सीएसबी के नाम पर भूभाग के स्वामित्व को विक्रय विलेख निष्पादित करके बदलने के लिए केआईएडीबी बीदर के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

केआईएडीबी द्वारा जारी मूल कब्ज़ा प्रमाण पत्र का आभाव और 45,380 वर्ग मीटर भूमि के स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए रखरखाव शुल्क और ब्याज के लिए ₹42.55 लाख के भुगतान की स्थिति पर उत्तर मौन है।

ग. **बीएसएमटीसी चिन्नूर -** बीएसएमटीसी चिन्नूर के परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुसार, सीएसबी ने राजस्व विभाग और रेशम उत्पादन विभाग (डीओएस), आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) से एल्लाकापेट गांव में 5.48 लाख वर्ग मीटर (135.36 एकड़) भूमि का निःशुल्क में अधिग्रहण किया (मई 1978 और जून 1985)। हालांकि, बीटीएसएसओ बिलासपुर (बीएसएमटीसी चिन्नूर संस्थान) के अनुसार, बीएसएमटीसी चिन्नूर के पास उपलब्ध भूमि 4.80 लाख वर्ग मीटर (118.61 एकड़) थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को दी गई सूचना के अनुसार, बीएसएमटीसी चिन्नूर के पास उपलब्ध भूमि 4,79,795 वर्ग मीटर (118.56 एकड़) थी। किसी भी उल्लिखित होल्डिंग के लिए भूमि के स्वामित्व/आबंटन पत्र/अधिग्रहण पत्र के मूल दस्तावेज लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे जिससे लेखापरीक्षा को बीएसएमटीसी चिन्नूर द्वारा अधिग्रहीत सटीक भूमि का पता लगाने से प्रतिबंधित किया गया था। सीएसबी द्वारा भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के प्रयास अभिलेख में नहीं थे, भले ही 40 से अधिक वर्ष बीत चुके हों।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि कब्जे में कुल भूमि को गलत तरीके से दर्ज किया गया था और उपलब्ध भूमि दस्तावेजों के अनुसार, आधिकारिक तौर पर इकाई को आबंटित भूमि 3.68 लाख वर्ग मीटर (90.98 एकड़) थी। यह भी कहा गया कि इकाई विसंगति को सुलझाने हेतु सर्वेक्षण करने के लिए और सीएसबी के नाम पर भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

घ. **आरएसटीआरएस धर्मवरम -** आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) के बंदोबस्ती विभाग ने बातचीत को अंतिम रूप देने की शर्त पर, आंध्र प्रदेश सरकार के डीओएस को आठ एकड़ भूमि सौंपी (2 मई 1996)। इन आठ एकड़ में से, सीएसबी (आरएसटीआरएस धर्मवरम) ने 6,070 वर्ग मीटर (1.5 एकड़) भूमि का ₹4.87 लाख में अधिग्रहण किया (31 दिसंबर 1996) और भूमि पर ₹49.52 लाख की लागत से 10 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया गया (1996-97)। सीएसबी और डीओएस ने लगातार पत्राचार किया (2004 से 2010) जिससे यह पता चला कि आयुक्त, बंदोबस्ती विभाग को सीएसबी के पक्ष में पंजीकरण को स्वीकृति देनी थी। तदनुसार, सीएसटीआरआई बेंगलुरु ने सदस्य सचिव, सीएसबी से सीएसबी के पक्ष में भूमि के पंजीकरण के लिए आयुक्त, बंदोबस्ती विभाग और प्रधान सचिव, जीओएपी को अर्धशासकीय पत्र जारी करने का अनुरोध किया (5 जुलाई 2011)। हालांकि, सीएसटीआरआई बेंगलुरु के अनुरोध पर सदस्य सचिव द्वारा जारी अर्धशासकीय पत्र अभिलेख

में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, सीएसबी द्वारा भूमि पर कब्जा करने के 26 साल बाद भी भूमि सीएसबी के नाम पर पंजीकृत नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि इस भूमि पर निर्मित स्टाफ क्वार्टर खाली पड़े हैं और इसके पक्ष में स्वामित्व की अनुपलब्धता के कारण 2007 से पट्टे पर नहीं दिए जा सके जैसा कि बाद में **पैरा संख्या 4.2(ख)** में चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि चूंकि बंदोबस्ती विभाग सीएसबी के पक्ष में 1.5 एकड़ भूमि को पंजीकृत करने के सीएसबी के अनुरोधों का उत्तर नहीं दे रहा था इसलिए इकाई प्रभारी से अनुरोध किया गया था कि वह इस विषय पर चर्चा करने और सीएसबी के नाम पर भूमि को पंजीकृत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपायुक्त, बंदोबस्ती विभाग, गुंटूर के साथ एक बैठक करें।

लेखापरीक्षा का सुझाव है कि इस मामले को बंदोबस्ती विभाग के साथ उचित स्तर पर आगे बढ़ाया जाए।

ङ. **आरएसआरएस जम्मू -** लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरएसआरएस जम्मू ने रेशम पालन विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार से ₹1.15 लाख में लगभग 1.40 लाख वर्ग मीटर (34.52 एकड़) भूमि का अधिग्रहण किया (1984)। हालाँकि, मूल दस्तावेज़ इकाई/संस्थान के पास उपलब्ध नहीं थे और स्वामित्व अभी भी रेशम पालन विकास विभाग, जम्मू कश्मीर सरकार के नाम पर था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि पट्टा समझौते का पता नहीं लगाया जा सका और इसलिए, रेशम पालन विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार से एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था (नवंबर 2024)।

यह ध्यान देने योग्य है कि लेखापरीक्षा के दौरान, इकाई ने इंगित किया था कि भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जबकि वर्तमान प्रतिक्रिया भूमि के पट्टे को इंगित करती है, जो विरोधाभासी है। इसलिए, लेखापरीक्षा रेशम पालन विकास विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई का सुझाव देता है।

च. **बीएसएफ गवीमाता -** श्री सिद्धलिंगेश्वर मठ, गवीमाता द्वारा सीएसबी को लगभग 2.02 लाख वर्ग मीटर (50 एकड़) भूमि का निःशुल्क उपहार दिया गया (27 फरवरी 1982)। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार (जीओके) द्वारा सीएसबी को 89,030 वर्ग मीटर (22 एकड़) भूमि निःशुल्क दी गई थी। सीएसबी ने मठ और जीओके से प्राप्त भूमि पर

बीएसएफ गवीमाता की स्थापना की। इसके बाद, जीओके के निर्देशों के अनुसार, बीएसएफ गवीमाता ने 62,726 वर्ग मीटर (15.50 एकड़) भूमि मोराजी देसाई आवासीय विद्यालय (एमडीआरएस) को अभ्यर्पित कर दी (फरवरी 2007)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपहार में दी गई 2,02,343 वर्ग मीटर (50 एकड़) भूमि के विरुद्ध सीएसबी के नाम पर खाता केवल 1,92,832 वर्ग मीटर (47.65 एकड़) भूमि उपलब्ध थी। जीओके द्वारा निःशुल्क दी गई 89,030 वर्ग मीटर (22 एकड़) भूमि के संबंध में, मूल दस्तावेज अर्थात आबंटन पत्र या भूमि का हस्तांतरण उपलब्ध नहीं था और खाता भी सीएसबी के नाम पर नहीं था। एमडीआरएस को 62,726 वर्ग मीटर (15.50 एकड़) भूमि सौंपने से संबंधित मूल दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई को श्री सिद्धलिंगेश्वर मठ, गवीमाता से उक्त भूभाग के उपहार विलेख के साथ-साथ जीओके से प्राप्त निर्देशों और एमडीआरएस को/द्वारा उक्त भूमि के सौंपने/कार्यभार संभालने की प्रतियां प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया था।

छ. आरईसी मदकसिरा - आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने को अनंतपुर जिले के मदकसिरा मंडल के बुल्लासमुद्रम गांव में 50,544 वर्ग मीटर (12.49 एकड़) [अर्थात, दो भूभाग - 21,893 वर्ग मीटर (5.41 एकड़) और 28,651 वर्ग मीटर (7.08 एकड़)] को ₹8,500 प्रति एकड़ की बाजार दर और ₹8,175 मूल्य के पांच इमली के पेड़ों के भुगतान पर सीएसबी के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया (02 जुलाई 1993)। इसके प्रत्युत्तर में, सीएसबी ने मंडल राजस्व अधिकारी (एमआरओ), मदकसिरा को ₹1,14,340 का भुगतान किया (24 अगस्त 1993)। अनंतपुर के कलेक्टर ने मदकसिरा के एमआरओ को सूचित किया (16 सितंबर 1993) कि सीएसबी के पक्ष में सेल डीड (बिक्री विलेख) निष्पादित करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि सरकार ने सीएसबी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण का आदेश दिया था और यह पर्याप्त था कि हस्तांतरिती (सीएसबी) हस्तांतरण की शर्तों वाले समझौते पर हस्ताक्षर करे। एमआरओ, मदकसिरा ने बीएसएफ मदकसिरा को सूचित किया (17 मार्च 1994) कि बुलसमुद्रम के संबंधित ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और मदकसिरा के मंडल सर्वेक्षक को निर्देश दिए गए थे कि वे ज़मीन के हस्तांतरण के संबंध में ग्राम और मंडल के अभिलेख में सीएसबी के पक्ष में आवश्यक बदलाव करें। हालाँकि, भूमि सीएसबी के पक्ष में दर्ज नहीं की गई थी और सीएसबी के नाम पर खाता अभी भी उपलब्ध नहीं था

(31 मार्च 2024)। सीएसबी द्वारा अपने पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरित करवाने के प्रयासों को दर्शाने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई प्रभारी को तहसीलदार के साथ मामले को उठाने और सीएसबी भूमि के लिए खाता की एक प्रति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।

ज. आरईसी तुमुयोन कुलेन (टी. कुलेन) - मणिपुर सरकार द्वारा टी. कुलेन गांव, कांगपोकपी जिला, मणिपुर में 2.43 लाख वर्ग मीटर (60 एकड़) भूमि सीएसबी को निःशुल्क आबंटित की गई (जुलाई 1976) जहां सीएसबी ने आरईसी की स्थापना की। 2.43 लाख वर्ग मीटर (60 एकड़) आबंटित भूमि में से, आरईसी टी. कुलेन के पास 1.09 लाख वर्ग मीटर (27 एकड़) भूमि का कब्जा नहीं था और शेष 1.34 लाख वर्ग मीटर (33 एकड़) भूमि का दस्तावेजीकरण इसके पास उपलब्ध नहीं थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसबी मूल दस्तावेजों की अनुपलब्धता और ग्राम प्राधिकरण के साथ विवाद के कारण 2.43 लाख वर्ग मीटर (60 एकड़) भूमि का पंजीकरण अपने नाम पर नहीं कर सका। आरएसआरएस इंफाल (आरईसी टी. कुलेन की नियंत्रण इकाई), ने भूमि स्वामित्व में विसंगति पर सहमति जताते हुए (जनवरी 2024) कहा कि मूल दस्तावेजों के अभाव में सीएसबी के नाम पर पंजीकरण/हस्तांतरण संभव नहीं था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि मणिपुर के कुलेन के जिला कलेक्टर के परामर्श से 27 एकड़ भूमि के भूमि अभिलेख प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण प्रक्रिया में विलंब हो रहा था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने सुझाव दिया ***कि प्रबंधन सीएसबी को आबंटित सम्पूर्ण 60 एकड़ के भूभाग के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट, भूमि अभिलेख और पंजीकरण प्राप्त करे।***

झ. बीएसएफ कर्णसुबर्णा - जिला मजिस्ट्रेट, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडब्ल्यूबी) ने गहन रेशम उत्पादन विकास परियोजना (आईएसडीपी) के लिए 2.16 लाख वर्ग मीटर (53.405 एकड़) भूमि का अधिग्रहण किया (1987)। 0.54 लाख वर्ग मीटर (13.28 एकड़) के एक और भूखंड को भी आईएसडीपी को सौंप दिया गया था (1987)। ये 2.70 लाख वर्ग मीटर (66.685 एकड़) के दो भूभाग हालांकि वर्तमान में बीएसएफ कर्णसुबर्णा के कब्जे में है, परंतु इन्हें अभी तक सीएसबी के नाम पर नामांतरण नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि फरवरी 2024 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद ही, बीएसएफ कर्णसुबर्णा ने 2.70 लाख वर्ग मीटर (66.685 एकड़) भूमि के सीएसबी के नाम पर नामांतरण और भूमि के उचित सीमांकन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट तक इस प्रसंग को बढ़ाया (7 मार्च 2024) क्योंकि कुछ भूखंडों के स्वामित्व का दावा कुछ लोगों द्वारा किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई ने नामांतरण अभिलेख के लिए आवेदन किया था।

ञ. आरएसआरएस सेलम - सेलम के थाथमपट्टी गाँव में 80,937 वर्ग मीटर (20 एकड़) भूमि के लिए हस्तातंरण, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चालान, स्थानांतरण आदेश आदि जैसे दस्तावेज़ों की केवल फोटोकॉपी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन उनके मूल दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई ने भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी।

ट. (i). सीएसआरटीआई मैसूर (आबंटित भूमि) - 5,94,281 वर्ग मीटर (146.85 एकड़) अधिग्रहीत भूमि में से 15,782 वर्ग मीटर (3 एकड़ 36 गुंटा) के मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि 3 एकड़ 36 गुंटों के लिए स्वामित्व के अभिलेख, किरायेदारी और फसल निरीक्षण दस्तावेज उपलब्ध थे और तहसीलदार द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार स्वामित्व साबित करने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि, इकाई को सलाह दी गई कि वह तहसीलदार से लिखित में यह सूचना प्राप्त करे और पूरी भूमि का सर्वेक्षण भी करे।

ट. (ii). सीएसआरटीआई मैसूर (पट्टे पर ली गई भूमि) - कर्नाटक सरकार (जीओके) के रेशम उत्पादन विभाग (डीओएस) ने मैसूर के विद्यारण्य पुरम सिल्क फ़ार्म में 85,995 वर्ग मीटर (21.25 एकड़) भूमि, चार खंडों की भवनों के साथ, सीएसआरटीआई मैसूर को 20 वर्षों की अवधि के लिए या सीएसआरटीआई मैसूर द्वारा अपनी भूमि और इमारतें अधिग्रहीत करने तक, जो भी पहले हो, निःशुल्क पट्टे पर सौंपी थी (1963)। हालाँकि, मूल पट्टा दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं था।

इसके बाद, डीओएस, जीओके ने सीएसबी से अपने कार्योलयों के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से भूमि वापस करने का अनुरोध किया (1989 में)। हालाँकि, यह अनुरोध पूरा नहीं हो सका और सीएसआरटीआई मैसूर आज तक (31 मार्च 2024) उस ज़मीन पर काम करता रहा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ज़मीन का स्वामित्व लेने के 60 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी सीएसआरटीआई मैसूर ने न तो कोई पट्टा समझौता किया और न ही ज़मीन का मालिकाना हक हासिल किया। इसके अलावा, हमेशा यह जोखिम बना रहा कि रेशम पालन विभाग, जीओके अपने कार्यालयों के लिए भूमि वापस ले सकता है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि चूंकि डीओएस, जीओके से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण, पट्टे को नवीनीकृत करने के संस्थान के प्रयास व्यर्थ हो गए, इकाई प्रभारी को केंद्रीय कार्यालय द्वारा विभाग के साथ मामले को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

लेखापरीक्षा सुझाव देता है कि सीएसबी को अंतिम रूप देने के लिए रेशम उत्पादन विभाग, जीओके के साथ संपर्क करना चाहिए।

ठ. बीएसएमटीसी भंडारा - भंडारा प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) ने भंडारा जिले के पौनी राउंड में स्थित बीएसएमटीसी भंडारा को 11.34 लाख वर्ग मीटर (113.4 हेक्टेयर) भूमि आबंटित की (मई 1982)। आबंटन पत्र के अनुसार, बीएसएमटीसी भंडारा वन विभाग द्वारा निर्धारित पट्टा किराया का भुगतान करेगा। हालाँकि, वन विभाग को पट्टा किराए के भुगतान का कोई अभिलेख नहीं था। बीएसएमटीसी ने वन विभाग से पट्टा विलेख और पट्टे की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी (1993 में) लेकिन वन विभाग की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीएसएमटीसी भंडारा 40 से ज़्यादा सालों से बिना किसी पट्टे के समझौते और बिना पट्टे का किराया दिए उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा था और 1993 के बाद इस मामले में कोई और प्रयास भी नहीं किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई प्रभारी ने जिला वन अधिकारी, भंडारा से पट्टे समझौते की एक प्रति प्रदान करने का अनुरोध किया था (अक्टूबर 2024)।

ड. आरएसआरएस भीमताल - इस यूनिट ने 1972 में उत्तर प्रदेश (जो अब उत्तराखंड है) की तत्कालीन सरकार से भवनों समेत 10,319 वर्ग मीटर (2.55 एकड़) ज़मीन पट्टे पर ली थी। हालाँकि, मूल पट्टा समझौता उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया

गया कि आरएसआरएस भीमताल ने मूल पट्टा समझौता की उपलब्धता की पुष्टि किए बिना 2018 से 2022 तक पाँच वर्षों के लिए ₹1.92 लाख का पट्टे का किराया चुकाया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई प्रभारी से 1 जनवरी 2025 से प्रभावी एक नया पट्टा समझौते को निष्पादित करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि आरएसआरएस, भीमताल और उत्तराखंड के उद्योग विभाग के बीच मूल पट्टा समझौते उपलब्ध नहीं था।

ढ. बीएसएफ धर्मपुरा - कर्नाटक सरकार (जीओके) के रेशम उत्पादन विभाग (डीओएस) ने धर्मपुरा में 80,937 वर्ग मीटर (20 एकड़) भूमि सीएसबी को 20 वर्षों के लिए निःशुल्क पट्टे पर हस्तांतरित की (सितंबर 1973 में)। सीएसबी ने पट्टे पर ली गई भूमि पर ₹140.71 लाख की लागत से भवनों का निर्माण किया (1994 में)। बाद में, पट्टे की अवधि दो बार (सितंबर 1996 और मार्च 2010 में) 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई, जो अगस्त 2013 में समाप्त हो गई। सीएसबी द्वारा कई अनुरोधों (अगस्त 2013 से जुलाई 2022 तक) के बावजूद, डीओएस ने पट्टे की अवधि नहीं बढ़ाई। इस तरह, सीएसबी अगस्त 2013 से पट्टे की अवधि बढ़ाए बिना 20 एकड़ भूमि का उपयोग कर रहा था। लेखापरीक्षा में प्रारंभिक पट्टे और नवीनीकृत पट्टों के लिए औपचारिक पट्टा समझौतों की अनुपलब्धता पर भी ध्यान दिया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि रेशम उत्पादन आयुक्त, जीओके ने भूमि को 30 वर्षों की और अवधि के लिए पट्टे पर देने के लिए सहमति दे दी थी (जुलाई 2024) और इकाई प्रभारी से पट्टे का नवीनीकरण करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

सेरीकल्चर आयुक्त, जीओके द्वारा स्वीकृति (जुलाई 2024) के बाद भी, 31 मई 2025 तक दोनों पक्षों के बीच पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

अनुशंसा# 3: सीएसबी राज्य सरकार (सरकारों) में उचित स्तर पर अधिकारियों के साथ जुड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई करे और विक्रय विलेख/पट्टा समझौते करके अपने पक्ष में भूमि का स्वामित्व प्राप्त करे और उन मामलों में सीएसबी के नाम पर खाता प्राप्त करना सुनिश्चित करे जहां भूमि सीएसबी के पक्ष में पंजीकृत/हस्तांतरित की गई है।

3.2 सीएसबी द्वारा संपत्ति को पट्टे पर दिया जाना

64 नमूना इकाइयों में से, छः इकाइयों के कब्जे वाली सात संपत्तियों को सरकारी/निजी पक्षों को पट्टे पर दिया गया है, जिसका विवरण ***अनुलग्नक 11*** के रूप में प्रस्तुत किया *गया है। इस* संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

(i) पट्टे पर दी गई भूमि के संबंध में पट्टा समझौते उपलब्ध नहीं थे।

क. आरएसटीआरएस धर्मवरम द्वारा रेशम उत्पादन विभाग, आंध्र प्रदेश को; और

ख. एसएसपीसी उधमपुर द्वारा रेशम उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर को।

(ii) पट्टे पर दी गई संपत्ति के संबंध में पट्टे समझौतों का नवीनीकरण नहीं किया गया।

क. बीएसएफ पलक्कड़ द्वारा सेरीकल्चर को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (सेरीफेड), केरल को; और

ख. आरओ मुंबई द्वारा भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी) को।

सीएसबी इकाइयों के चयनित नमूने में देखी गई टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है -

क. आरओ मुंबई - सीएसबी ने 1 अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी), मुंबई को फ्लैट संख्या 62, मित्तल चैंबर्स किराए पर दिया था। इसके बाद, सीएसबी ने आईएसईपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (27 नवंबर 2017 को), जिसके अंतर्गत फ्लैट संख्या 62 के कुल 1,208 वर्ग फुट एरिया में से 200 वर्ग फुट जगह पांच साल की अवधि (अर्थात नवंबर 2022 तक) के लिए बिना किराए के उपयोग करने के लिए दी गई। नवंबर 2022 में पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद एमओयू का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसके बावजूद, आईएसईपीसी पट्टे पर ली गई जगह पर स्थापित था। इसके अतिरिक्त, सीएसबी ने आईएसईपीसी से ₹11.29 लाख की पुरानी बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया (31 मई 2023)। हालांकि, आईएसईपीसी से कोई जवाब नहीं मिला है।

एमओयू की समय-सीमा खत्म होने के एक साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, आईएसईपीसी ने न तो बकाया रकम का भुगतान किया और न ही फ़्लैट खाली किया; फिर भी सीएसबी ने आईएसईपीसी को बेदखली की सूचना नहीं दी। सीएसबी की ओर से सक्रिय कदम न उठाए जाने के कारण बकाया रकम की वसूली नहीं हो पाई और आईएसईपीसी ने फ़्लैट नंबर 62 में 200 वर्ग फ़ीट जगह पर अनधिकृत कब्ज़ा बनाए रखा।

चित्र 1 - आईएसईपीसी द्वारा सीएसबी के 200 वर्ग फुट क्षेत्र का अनधिकृत कब्जा

चित्र 2 - सीएसबी द्वारा किराए पर दिए गए हिस्से में रखे गए फर्नीचर, फाइलें और आईएसपीसी की वस्तुएं

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि चूंकि आईएसईपीसी के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सीएसबी को कोई बकाया देय नहीं है, इसलिए इकाई प्रभारी से अनुरोध किया गया कि वे इस मामले को केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से बढ़ाएं।

ख. बीएसएफ पलक्कड़ - बीएसएफ पलक्कड़ ने 1 अक्टूबर 1999 से 15 साल की अवधि के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, रेशम उत्पादन प्रशिक्षण स्कूल (3,617 वर्ग फुट) और उसके आस-पास की 4,815 वर्ग मीटर (1.19 एकड़) भूमि को केरल राज्य रेशम उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड (सेरीफेड) को ₹2,000 सालाना किराए पर देने के लिए एक पट्टा विलेख किया (दिसंबर 1999 में)। पट्टा विलेख में यह शर्त थी कि सेरीफेड को भवनों और संपत्ति को अच्छी स्थिति में और हर तरह से ठीक-ठाक रखना होगा और पट्टे की अवधि खत्म होने पर या पट्टे के समय से पहले खत्म होने पर भवनों और संपत्ति को सीएसबी को सौंपना होगा। सेरीफेड ने 1 अगस्त 2010 को किराए पर ली गई जगह खाली कर दी थी और पट्टे की अवधि सितंबर 2014 में खत्म हो गई थी, लेकिन उसने सितंबर 2023 तक सालाना पट्टे का किराया देना जारी रखा। हालाँकि, सीएसबी ने न तो सितंबर 2014 में इसकी समाप्ति के बाद पट्टा समाप्त किया और न ही पट्टे का नवीनीकरण किया, जबकि सेरीफेड ने सितंबर 2023 तक वार्षिक पट्टा किराया देना जारी रखा। चूंकि अगस्त 2010 से लीज परिसर का उपयोग या रखरखाव नहीं किया गया था, जो पट्टे की शर्तों का उल्लंघन था, इसलिए भवन क्षतिग्रस्त हो गई और जर्जर स्थिति में थी। परिसर रहने योग्य स्थिति में रखने को सुनिश्चित किए जाने के लिए सीएसबी द्वारा किए गए प्रयास अभिलेख में नहीं पाए गए।

निर्देशांक - अक्षांश - 10.761426°, देशांतर - 76.730947°

चित्र 3 - सेरीफेड को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र की जर्जर स्थिति

निर्देशांक - अक्षांश - 10.761747°, देशांतर - 76.728281°

चित्र 4 - पट्टे पर ली गई भवन के चारों ओर झाड़ियों की वृद्धि

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सेरीफेड को पट्टे पर दी गई संपत्ति वापस ले ली जाएगी और उसका उचित उपयोग किया जाएगा।

ग. एसएसपीसी उधमपुर - एसएसपीसी उधमपुर ने 337 वर्ग मीटर भूमि पर रेशम उत्पादन प्रशिक्षण स्कूल भवन को रेशम उत्पादन विभाग (डीओएस), जम्मू और कश्मीर सरकार (जीओजेके) को सौंपा। हालांकि, इस संबंध में दस्तावेजीकरण, अर्थात, सौंपने की तिथि, पट्टा समझौता, पट्टा किराया विवरण आदि उपलब्ध नहीं कराए गए थे। एसएसपीसी उधमपुर ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि भवन सीएसबी की भूमि पर बनाया गया है और इसे डीओएस से वापस लिया जा सकता है। हालाँकि, पट्टे के किराये के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज़ प्राप्त/प्राप्य आदि उपलब्ध नहीं थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि, संस्थान के पास उपलब्ध भूमि को पट्टे पर देने के अभिलेख के अभाव में, इकाई प्रभारी से अनुरोध किया गया था कि वे रेशम उत्पादन प्रशिक्षण स्कूल भवन, रेशम उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार को पट्टे पर दी गई भूमि के दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करें।

अनुशंसा # 4: सीएसबी पट्टे पर दी गई सभी संपत्तियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करे और पट्टे के समझौतों की उपलब्धता के साथ-साथ पट्टे के बकाया किराए की वसूली सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, सीएसबी पट्टा समझौतों के समय पर नवीनीकरण, पट्टे के किराए की समय पर वसूली और ऐसी संपत्तियों के उचित रखरखाव और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करे।

3.3 भूमि का आवधिक सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएसबी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए पिछले पांच वर्षों के दौरान नमूना लिए गए 64 इकाइयों में से 48 इकाइयों ,जिनमें भूमि था ,में से किसी में भी भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीएसबी के कब्जे वाली भूमि के सर्वेक्षण के लिए समय-सीमा, विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे कि भूमि का अधिग्रहण, समर्पण और बिक्री के दौरान/बाद में, निर्धारित नहीं की गई है।

यदि भूमि का आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है, तो **पैरा संख्या 5.1.1** में वर्णित भूमि अतिक्रमण और **पैरा संख्या 5.2** में वर्णित भूमि का कब्ज़ा न मिलने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, सीएसबी ने भूमि सर्वेक्षण नहीं किया है और भूमि की बिक्री/समर्पण के बाद भी भूमि का सीमांकन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप बेची गई/समर्पित भूमि के भौतिक क्षेत्र का विवरण और भूमि की बिक्री/समर्पण के बाद भूमि के वास्तविक कब्जे की उपलब्धता नहीं है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

क. सीएसटीआरआई बेंगलुरु - बीडीए ने माडीवाला में सीएसबी को 39,052 वर्ग मीटर (9 एकड़ 26 गुंटा) भूमि सौंपी। उपरोक्त भूमि में से, सीएसबी ने 9,943 वर्ग मीटर (2 एकड़ 18 गुंटा) की बिक्री के लिए बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (30 मई 2019)। हालांकि सीएसबी ने सर्वेक्षण, निपटान और भूमि अभिलेख विभाग, जीओके से अपने कब्जे में भूमि का पता लगाने के लिए भूमि का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया था (24 जून 2022) लेकिन 31 मार्च 2024 तक भूमि सर्वेक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएसबी ने भूमि का कब्जा लेने के बाद से एवं बीएमआरसीएल को भूमि की बिक्री के चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि मेट्रो परियोजना के पूरा होने के बाद सीएसबी और बीएमआरसीएल द्वारा भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा।

ख. सीएसआरटीआई मैसूर - संस्थान के पास उपलब्ध पत्राचार के अनुसार, सीएसआरटीआई मैसूर के पास उपलब्ध कुल भूमि 6.80 लाख वर्ग मीटर (168.10 एकड़) में से, 21,529 वर्ग मीटर (5.32 एकड़) भूमि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को रिंग रोड के निर्माण के लिए बेची गई थी और 7,891 वर्ग मीटर (1.95 एकड़) भूमि वरुणा नहर के निर्माण के लिए समर्पित की गई थी। हालांकि, सीएसआरटीआई मैसूर ने वास्तव में अपने

कब्जे में भूमि की पहचान करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, सीएसआरटीआई मैसूर द्वारा भूमि की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज परीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि प्रभारी, सीएसआरटीआई मैसूर को 5.32 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण करने और मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से भुगतान किए गए मुआवजे का विवरण प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

हालांकि, सीएसबी की प्रतिक्रिया में वरुणा नहर के निर्माण के लिए समर्पित 1.95 एकड़ के सर्वेक्षण के लिए की गई कार्रवाई पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा # 5: सीएसबी अपने कब्जे में भूमि की बिक्री/समर्पण/अधिग्रहण के तुरंत बाद सर्वेक्षण और सीमांकन के अनिवार्य आचरण के लिए निर्देश जारी करे।

3.4 परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 43 नमूना कार्यात्मक इकाइयों में से, परिसंपत्ति रजिस्टर केवल 30 इकाइयों द्वारा रखा गया था जिनमें से यह केवल 14 इकाइयों में अद्यतित था। 21 नमूना बंद इकाइयों में से, परिसंपत्ति रजिस्टर केवल दो इकाइयों में रखा गया था, जिनमें से यह केवल एक इकाई में अद्यतित था ***(अनुलग्नक 12)।***

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि नमूना इकाइयों में परिसंपत्ति रजिस्टर एक समान प्रारूप का पालन नहीं करते थे। यह भी देखा गया कि जहां भी परिसंपत्ति रजिस्टर बनाए गए थे, वहां भूमि का क्षेत्रफल, भवन, मूल्य, अधिग्रहण की तिथि, समर्पण की तिथि, निर्माण की तिथि, फर्नीचर/फिटिंग जैसी रखी गई परिसंपत्तियां आदि जैसी पूरी सूचना ठीक से दर्ज नहीं की गई थी।

चूंकि 43 नमूना कार्यात्मक इकाइयों में से 29 में और 21 नमूना बंद इकाइयों में से 20 में परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं बनाए गए थे/अद्यतन नहीं किए गए थे, इसलिए लेखापरीक्षा इन इकाइयों द्वारा रखी गई परिसंपत्तियों के निपटान/उपयोग को व्यापक रूप से सत्यापित नहीं कर सका और सत्यापन/जांच केवल उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों तक ही सीमित थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि संबंधित संस्थानों/इकाइयों को परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतित करने का निर्देश दिया गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन

करते हुए कहा (मई 2025) कि नौ इकाइयों[16] में परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतित किया गया था।

इस संबंध में, जहां प्रबंधन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई की सराहना की जाती है, लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों के सत्यापन से पता चलता है कि उल्लिखित नौ इकाइयों में से पांच[17] से संबंधित परिसंपत्ति रजिस्टर अभी भी अद्यतित नहीं थे।

सीएसबी ने परिसंपत्ति रजिस्टर के रखरखाव के लिए पूरी सूचना के साथ एक समान प्रारूप निर्धारित करने और इकाइयों में बनाए जा रहे परिसंपत्ति रजिस्टर के वार्षिक अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा सुझाव को स्वीकार किया (जनवरी 2025)।

3.5 कार्यात्मक इकाइयों द्वारा धारित भूमि का उपयोग

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 43 नमूना कार्यात्मक इकाइयों में से, 17 इकाइयों के संबंध में उनके पास 40.58 लाख वर्ग मीटर भूमि में से 15.80 लाख वर्ग मीटर[18] भूमि (39 *प्रतिशत*) खाली/अप्रयुक्त पड़ी थी। लेखापरीक्षा में यह भी नोट किया गया कि पांच इकाइयों[19] के संबंध में खाली भूमि 50 *प्रतिशत* से अधिक थी *और* 50.81 *प्रतिशत* और 91.71 *प्रतिशत* के बीच थी। विवरण ***अनुलग्नक 13*** में उल्लिखित हैं।

मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा (मई 2025) कि सीएसबी इकाइयों को सीएसबी भूमि पर पहले की गई गतिविधियों, उपयोग की वर्तमान स्थिति, गैर-उपयोग के कारणों और उपयोग के भविष्य के दायरे पर सहायक दस्तावेजों के साथ एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

भूमि के उपयोग न होने/समर्पण पर विशिष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. आरएसआरएस सेलम - जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ), सेलम जिला द्वारा 80,937 वर्ग मीटर (20 एकड़) भूमि आरएसआरएस सेलम के लिए सीएसबी को कुल ₹2.02 लाख (अन्य संबद्ध शुल्कों सहित ₹10,000 प्रति एकड़) की लागत पर तालाब क्षेत्र 25,029

---

[16] आरईसी लाम्बेरी, आरईसी भद्रासी (2020 में बंद), आरएसआरएस जोरहाट, आरईसी मंगलदोई, बीएसएफ गवीमाता, एसएसटीएल कोडाथी, एसएसपीसी जोरहाट, सीटीआरटीआई - रांची और बीएसएफ हाहिम

[17] आरईसी भद्रासी, बीएसएफ गवीमाता, एसएसटीएल कोडाथी, सीटीआरटीआई रांची और बीएसएफ हाहिम

[18] क्षेत्रीय इकाई पल्हारा ने कहा कि भूमि खाली पड़ी है लेकिन इसे मापा नहीं गया है।

[19] बीएसएफ गवीमाता, बीएसएमटीसी भंडारा, आरएसआरस सेलम, आरईसी बीदर और बीएसएफ कर्णसुबर्णा

वर्ग मीटर (6.185 एकड़) सहित भूमि प्रदान की गई (सितंबर 1983)। इसके बाद, आरएसआरएस सेलम ने (वर्ष 2010 से 2023 के दौरान) नगरपालिका प्राधिकरणों से आरएसआरएस सेलम में प्रवेश करने वाले जल निकासी अपशिष्ट के प्रवाह बिंदुओं के पथांतरित करने के लिए कई अनुरोध किए जिसके परिणामस्वरूप जल जमाव हुआ और पूरे शहतूत वृक्षारोपण को नुकसान हुआ। 2017 से 2020 के दौरान तालाब का क्षेत्रफल 25,029 वर्ग मीटर (6.185 एकड़) से 47,753 वर्ग मीटर तक (11.80 एकड़) बढ़ गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएसबी द्वारा ठोस प्रयासों की कमी के परिणामस्वरूप तालाब क्षेत्र में वृद्धि के कारण 47,753 वर्ग मीटर (11.80 एकड़) भूमि का उपयोग नहीं किया गया है और वृक्षारोपण क्षेत्र में 39,659 वर्ग मीटर (9.80 एकड़) से 5,058 वर्ग मीटर (1.25 एकड़) तक की कमी आई जिसके परिणामस्वरूप शहतूत वृक्षारोपण का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

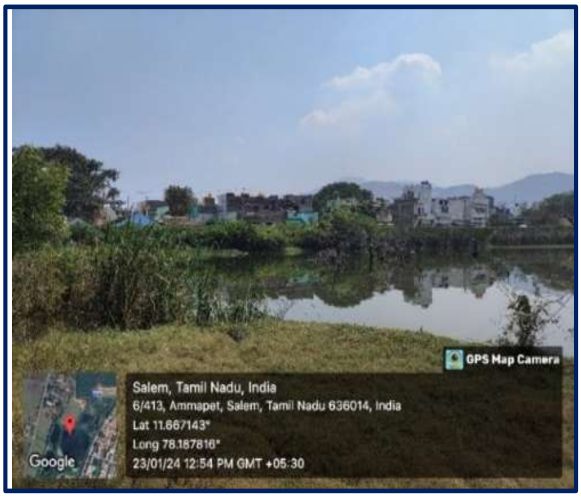

निर्देशांक - अक्षांश - 11.667143°, देशांतर - 78.187816°

चित्र 5 - आरएसएलएस सेलम के अंदर तालाब के कारण अप्रयुक्त पड़ी भूमि

निर्देशांक - अक्षांश - 11.666043°, देशांतर - 78.18665°

चित्र 6 - आरएसएलएस सेलम के अंदर तालाब के कारण अप्रयुक्त पड़ी भूमि

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई प्रभारी को रेशम उत्पादन विभाग/जिला कलेक्टर, सेलम से रेशम उत्पादन संबंधी गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपयुक्त भूमि के आबंटन का अनुरोध करने के बाद इकाई के पुनर्वास पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

ख. बीएसएफ पूर्णिया - सीएसबी ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) के साथ मरांगा (पूर्णिया) बिहार में 40,468 वर्ग मीटर (10 एकड़) भूमि के आबंटन के लिए 90 वर्षों की अवधि के लिए ₹9.15 लाख (@ ₹91,500 प्रति एकड़) के

लिए एक पट्टा विलेख किया (26 मार्च 2004)। पट्टे के विलेख के अनुसार, यदि बाद में उक्त भूमि का कोई भी हिस्सा या हिस्से राज्य सरकार/बीआईएडीए को हस्तांतरित किया जाता है, तो सीएसबी को हस्तांतरित भूमि की लागत और इसके विकास के अनुपात में राशि वापस भुगतान किया जाएगा। भूमि के उपयोग न होने के कारण, 16,187 वर्ग मीटर का (चार एकड़) भूमि आबंटन को बीआईएडीए द्वारा समाप्त कर दिया गया था और भूमि सीएसबी द्वारा बीआईएडीए को सौंप दी गई थी (1 मार्च 2017)। सीएसबी ने बीआईएडीए से पट्टा विलेख करार के अनुसार ₹9.15 लाख की जमा राशि में से ₹3.66 लाख की आनुपातिक लागत चुकाने का अनुरोध किया (15 जून 2018)। इसके अतिरिक्त, बीआईएडीए ने सीएसबी को एक नोटिस भेजा (15 फरवरी 23) जिसमें कहा गया कि शेष 24,281 वर्ग मीटर (छः एकड़) भूमि में से 8,094 वर्ग मीटर (दो एकड़) भूमि खेती के लिए उपयोग की जा रही थी और 16,187 वर्ग मीटर (चार एकड़) भूमि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके बाद, बीआईएडीए ने 16,187 वर्ग मीटर (चार एकड़) की गैर-उपयोग की गई भूमि में से 8,094 वर्ग मीटर (दो एकड़) के आबंटन को समाप्त कर दिया (23 जून 2023)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएसबी ने 1991-92 से 2016-17 तक परिकल्पित उद्देश्य के लिए 16,187 वर्ग मीटर (चार एकड़) भूमि का उपयोग नहीं किया है और अप्रयुक्त भूमि के रखरखाव शुल्क के लिए ₹1.59 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, मार्च 2017 में वापस ली गई भूमि के बदले में बीएसएफ पूर्णिया द्वारा ₹3.66 लाख की वसूली के लिए किए गए प्रयास अभिलेख में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जून 2023 में समाप्त पट्टे (दो एकड़) के लिए ₹1.83 लाख की आनुपातिक राशि की वापसी प्राप्त करने के लिए सीएसबी के अनुरोध को अभिलेख में नहीं पाया गया।

निर्देशांक - अक्षांश - 25.732341°, देशांतर - 87.459932°   निर्देशांक - अक्षांश - 25.73006°, देशांतर - 87.456745°   निर्देशांक - अक्षांश - 25.730031°, देशांतर - 87.456722°

चित्र 7 - बीएसएफ पूर्णिया में बीआईएडीए द्वारा गेट लॉक किया गया

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि केंद्रीय कार्यालय ने बिहार सरकार के मुख्य सचिव के साथ इस मामले को उठाया है (जून 2024) और बीआईएडीए को दो एकड़ के आबंटन को रद्द करने के अपने आदेश को वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, इकाई प्रभारी को पहले से ही समर्पित भूमि के लिए बीआईएडीए से राशि की वसूली शुरू करने की भी सलाह दी गई थी।

ग. बीएसएमटीसी अंबिकापुर - छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग ने बीएसएमटीसी अंबिकापुर को खैरबार वन में 17.97 लाख वर्ग मीटर (179.68 हेक्टेयर) वन भूमि आबंटित की (अक्टूबर 1998 में)। बाद में, बीएसएमटीसी अंबिकापुर ने 9.97 लाख वर्ग मीटर (99.68 हेक्टेयर) भूमि वन विभाग को समर्पित कर दी (जुलाई 2005) क्योंकि शहरी आबादी के बहुत पास होने के कारण इतने बड़े इलाके की सुरक्षित देख-रेख, पेड़ों की अवैध कटाई, अतिक्रमण और कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा होने के खतरे जैसे कारणों से संभव नहीं था। बीएसएमटीसी अंबिकापुर ने जिला वन अधिकारी (डीएफओ) को सूचित किया (फरवरी 2008) कि सीएसबी मौजूदा आठ लाख वर्ग मीटर (80 हेक्टेयर) में से 4.70 लाख वर्ग मीटर (47 हेक्टेयर) भूमि को समर्पित करने के लिए तैयार है। हालाँकि, उसे आज तक (31 मार्च 2024) नहीं सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ लाख वर्ग मीटर (80 हेक्टेयर) में से तीन लाख वर्ग मीटर (30 हेक्टेयर) का उपयोग आर्थिक वृक्षारोपण के लिए किया गया था और शेष पांच लाख वर्ग मीटर (50 हेक्टेयर) में आसन और अर्जुन का प्राकृतिक वृक्षारोपण था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि सीएसबी ने पिछले 16 वर्षों अर्थात वर्ष 2008 से 2024 तक के दौरान गैर-उपयोग की गई/गैर-समर्पित भूमि हेतु 4.70 लाख वर्ग मीटर (47 हेक्टेयर) के लिए प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर ₹75 की दर से ₹52,875 का रॉयल्टी का भुगतान किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि एक बार जब जिला वन अधिकारी भूमि को अपने कब्जे में लेने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो 47 हेक्टेयर भूमि सौंप दी जाएगी।

प्रतिक्रिया को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की जरूरत है कि मामले को केंद्रीय कार्यालय तक उचित रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 16 वर्षों से अधिक समय तक गैर-उपयोग की गई भूमि को समर्पित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, अंबिकापुर और पूर्णिया में सीएसबी इकाइयों द्वारा भूमि के उपयोग न होने के कारण पट्टे का समर्पण/समाप्ति भूमि उपयोग में चूक और इकाइयों के अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में लापरवाह दृष्टिकोण का संकेत देता है।

3.6 बंद/विलय की गई इकाइयों द्वारा धारित भूमि का उपयोग

नमूने में सम्मिलित 21 बंद/विलय की गई इकाइयों में से, आठ इकाइयों के पास 2.88 लाख वर्ग मीटर भूमि है। विवरण ***अनुलग्नक 14*** में उल्लिखित हैं। नमूना इकाइयों के भौतिक दौरे के दौरान देखे गए भूमि के गैर-उपयोग के उदाहरणों की चर्चा नीचे की गई है:

क. आरओ मुंबई - अंधेरी (पश्चिम) में भूमि (686 वर्ग मीटर) नवंबर 2021 में स्टाफ क्वार्टरों के विध्वंस के बाद से यह खाली पड़ा है। सीएसबी ने ₹7.07 करोड़[20] मूल्य की भूमि के उपयोग के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है और ₹4.24 लाख का भुगतान 2022-23 के लिए संपत्ति कर के रूप में किया है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई प्रभारी को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भूमि के उपयोग के लिए महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण से परामर्श करने या वैकल्पिक रूप से स्टाफ क्वार्टर/कार्यालय भवन स्थापित करने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया गया है। तथापि भूमि का संपत्ति कर देना था।

ख. आरईसी मदकसिरा - सीएसबी ने मदकसिरा में आरईसी मदकसिरा (अप्रैल 2018 में बीएसएफ मदकसिरा के साथ विलय) से संबंधित 50,545 वर्ग मीटर (12.49 एकड़) भूमि, जिसमें 21,893 वर्ग मीटर (5.41 एकड़) सम्मिलित है, के हस्तांतरण (2 जुलाई 1993) के लिए ₹1.14 लाख व्यय किए (24 अगस्त 1993)। हस्तांतरण की शर्तों के खंड 1 में कहा गया है कि भूमि का उपयोग रेशम उत्पादन गतिविधियों की स्थापना के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और अनुदान की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सरकार किसी भी भवन के साथ पूरी तरह या आंशिक रूप से भूमि को वापस ले सकती है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि विलय के बाद से पांच साल से अधिक समय से पूरा 21,893 वर्ग मीटर (5.41 एकड़) भूमि अप्रयुक्त पड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार हस्तांतरण की शर्तों के संदर्भ में भूमि को वापस ले सकती है क्योंकि भूमि का उपयोग रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि बीएसएफ मदकसिरा के इकाई प्रभारी को रेशम कीट बीज के उत्पादन का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जो स्पष्ट रूप से आरईसी मदकसिरा के बागान क्षेत्र के उपयोग को दर्शाएगा। तदनुसार, की गई कार्रवाई को शीघ्र ही लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

---

[20] ***मार्गदर्शन मूल्य ₹1.03 लाख प्रति वर्ग मीटर है।***

ग. एसएससी कृष्णराज पेट - सीएसबी ने नगर पालिका, कृष्णराज पेट से 14,568 वर्ग मीटर (3.60 एकड़) भूमि एसएससी कृष्णराज पेट और एससीपीसी कृष्णराज पेट के लिए ₹89,500 में खरीदा (1987)। इसमें से 10,522 वर्ग मीटर (2.6 एकड़) भूमि मुकदमेबाजी के अधीन है और 1987 में अधिग्रहण के बाद से खाली पड़ी है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण निपटान के सहायक निदेशक और राजस्व विभाग के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से मुद्दों को निपटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुशंसा # 6: सीएसबी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे कि भूमि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाए और कार्यात्मक/बंद/विलय की गई इकाइयों की खाली भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने या भूमि को समर्पित/हस्तांतरित करने के लिए प्रयास किया जाए। सीएसबी रेशम उत्पादन विभाग/अन्य विभागों को पट्टे पर दी गई भूमि का अलग डेटाबेस बनाए रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित करे और इसके रखरखाव की निगरानी के लिए पट्टे पर दी गई भूमि का नियमित भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करे।

3.7 बीएमआरसीएल द्वारा सीएसबी ज़मीन के अस्थायी उपयोग के लिए कोई प्रभार का गैर-उद्ग्रहण

बीएमआरसीएल ने सीएसबी से सीएसटीआरआई, बेंगलुरु में 2019 के दौरान 9,943 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया था। सीएसबी से 9,943 वर्ग मीटर के अधिग्रहीत भूमि के अतिरिक्त बीएमआरसीएल ने फ्लाईओवर, मेट्रो लाइन आदि के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन और अस्थायी आधार पर उपकरणों की पार्किंग के लिए अतिरिक्त सीएसबी भूमि का उपयोग किया। अतिरिक्त भूमि का विवरण, जो अस्थायी रूप से उपयोग किया जा रहा है, जैसे क्षेत्र, अवधि आदि, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार, सीएसबी और बीएमआरसीएल के बीच औपचारिक व्यवस्था के अभाव में, सीएसबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के 'घ' कोड के अनुसार, अन्य भूस्वामियों को बीएमआरसीएल द्वारा भुगतान की जाने वाली भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए पट्टे के शुल्क के रूप में 7 *प्रतिशत* मार्गदर्शन मूल्य को पाने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (29 जनवरी 2024) कि बीएमआरसीएल का काम सार्वजनिक उपयोग है और सीएसबी ने बीएमआरसीएल को कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि बीएमआरसीएल ने 2019 से रक्षा को, 2021 से लैंगफोर्ड आदि को, अस्थायी आधार पर भूमि के उपयोग के लिए ₹5.48 करोड़ का भुगतान किया है। तथ्य यह है कि बीएमआरसीएल द्वारा अस्थायी आधार पर सीएसबी भूमि के उपयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई व्यवस्थित इंतज़ाम न होने और बीएमआरसीएल द्वारा सीएसबी भूमि के अस्थायी उपयोग के लिए किराए के भुगतान के लिए खंड में कोई शर्त न होने के परिणामस्वरूप सीएसबी को मौद्रिक नुकसान हुआ था।

अध्याय - 4

भवनों एवं स्टाफ क्वार्टर्स का प्रबंधन

अध्याय 4: भवनों और स्टाफ क्वार्टर्स का प्रबंधन

4.1 कार्यात्मक इकाइयों में भवनों का उपयोग

नमूने में सम्मिलित 43 कार्यात्मक इकाइयों में 14.89 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले भवन थे जबकि पांच इकाइयों के संबंध में भवन क्षेत्र लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:

तालिका 4.1 - भवनों वाली इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	इकाइयों की संख्या	विवरण	निर्मित क्षेत्र
1	27	सीएसबी द्वारा अपनी भूमि पर निर्मित	10.83 लाख वर्ग फीट[21]
2	11	पट्टे की भूमि पर सीएसबी द्वारा निर्मित	3.89 लाख वर्ग फीट[22]
3	6	किराए पर लिया गया	0.17 वर्ग फीट[23]
कुल	**44[24]**		**14.89 लाख वर्ग फीट**

विवरण ***अनुलग्नक 15*** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14.89 लाख वर्ग फीट भवन क्षेत्र में से 70,529 वर्ग फीट 12 इकाइयों[25] के अंतर्गत निष्क्रिय पड़ा था। नमूना कार्यात्मक इकाइयों के लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई भवनों की रिक्ति, भवनों की जर्जर स्थिति और भवनों के रखरखाव के अभाव के उदाहरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

क. बीएसएफ गवीमाता - लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीएसएफ गवीमाता में चार में से दो पालन गृह खाली और जर्जर हालत में थे। रिक्तता/गैर-उपयोग की अवधि उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीएसएफ गवीमाता में अन्य भवनों भी

---

[21] *चार इकाइयों को छोड़कर - सीएसआरटीआई मैसूर, सीएसटीआरआई बेंगलुरु और बीएसएफ कर्णसुबर्णा का भवन क्षेत्र क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। एसएसपीसी जोरहाट के मामले में, भवन निर्माणाधीन है।*

[22] *सीएसआरटीआई मैसूर के भवन क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।*

[23] *क्षेत्रीय इकाई पल्हारा के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।*

[24] *सीएसआरटीआई मैसूर के पास अपनी भूमि के साथ-साथ पट्टे की भूमि पर भी भवन हैं।*

[25] *बीएसएफ गवीमाता, बीएसएमटीसी भंडारा, एसएसपीसी मदनापल्ले, बीएसएफ परिगी, आरएसआरएस सलेम, आरईसी बीदर, बीएसएमटीसी चिन्नूर, बीएसएफ अडोकिगिरी, आरएसआरएस जोरहाट, आरईसी मंगलदोई, बीएसएफ तुरा और आरएसआरएस भीमताल।*

अच्छी स्थिति में नहीं थीं जिनमें जंग लगे शटर, टूटी हुई खिड़कियां/दरवाजे और छत से पानी का रिसाव था।

निर्देशांक - अक्षांश - 12.603275°, देशांतर -76.483248°

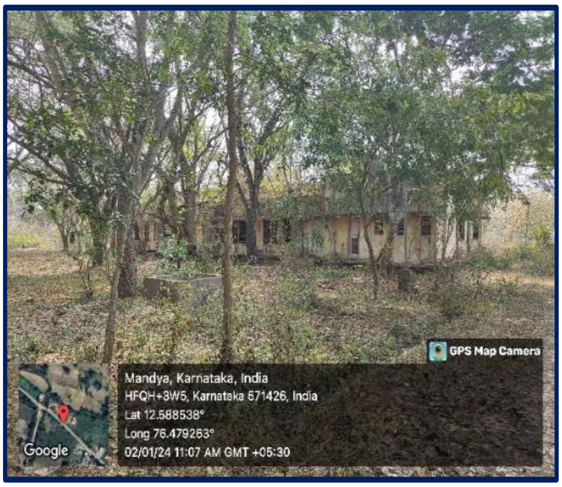

निर्देशांक - अक्षांश - 12.588538°, देशांतर -76.479263°

चित्र 8 और 9 - बीएसएफ गवीमाता में खाली पालन गृह

मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा (मई 2025) कि अपने आधारभूत संरचना के उपयोग में सीमाओं पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट, इसका वर्तमान उपयोग और बढ़े हुए उत्पादन का समर्थन करने के लिए एक नया पालन गृह जोड़कर उपयोग बढ़ाने की भविष्य की गुंजाइश तैयार की गई है और रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित कार्यों को शुरू किया गया है।

ख. बीएसएमटीसी चिन्नूर - लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीएसएमटीसी चिन्नूर में गैराज-सह-ट्विन शेल्टर और प्रशिक्षण हॉल 2019 से खाली पड़े थे और जर्जर हालत में थे। दोनों भवनों की छतें गिर गई हैं। लेखापरीक्षा के दौरान यह पता चला कि प्रशिक्षण हॉल की छत गिरने के कारण किसान प्रशिक्षण खुले मैदान/भंडार कक्ष में किया जा रहा था।

निर्देशांक - अक्षांश - 18.861821°, देशांतर - 79.762379°

चित्र 10 - बीएसएमटीसी चिन्नूर में ढही हुई छत के साथ प्रशिक्षण हॉल

निर्देशांक - अक्षांश - 18.861632°, देशांतर -79.763136°

चित्र 11 - बीएसएमटीसी चिन्नूर में गैरेज

ग. आरएसआरएस सेलम - लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरएसआरएस सेलम में दो पालन गृह खाली हैं और शहतूत वृक्षारोपण के लिए भूमि का उपयोग न होने के कारण 2016 से अप्रयुक्त पड़े हैं। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि मुख्य कार्यालय भवन में रिसाव था।

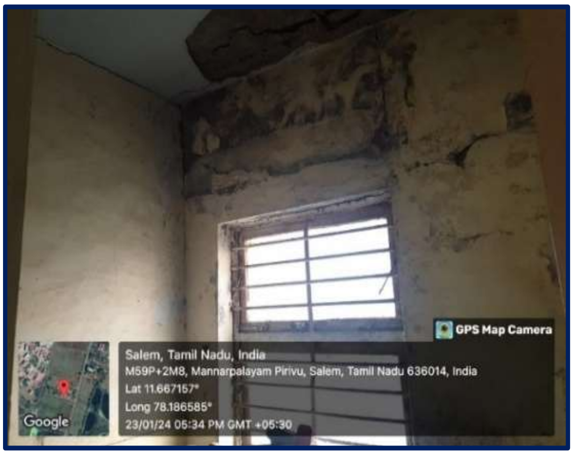

निर्देशांक - अक्षांश - 11.667157°, देशांतर - 78.186585°

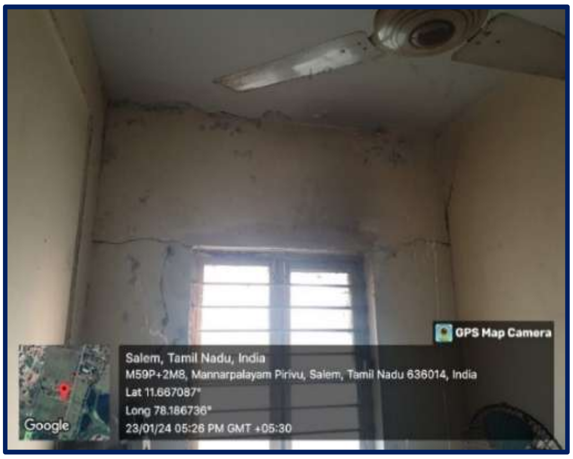

निर्देशांक - अक्षांश - 11.667087°, देशांतर - 78.186736°

चित्र 12 और 13 - आरएसआरएस सेलम में रिसाव के साथ पालन गृह

घ. बीएसएफ पलक्कड़ - लेखापरीक्षा में देखा गया कि बीएसएफ पलक्कड़ में एक पालन गृह जर्जर हालत में था और उसमें पानी का रिसाव हो रहा था और उसे बड़ी मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता थी।

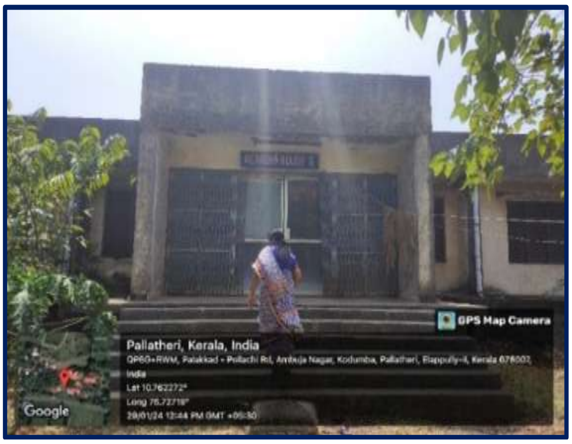

निर्देशांक - अक्षांश - 10.762272°, देशांतर - 76.72719°

चित्र 14 - बीएसएफ पलक्कड़ में पालन गृह का सामने का दृश्य

निर्देशांक - अक्षांश - 10.761971°, देशांतर - 76.727792°

चित्र 15 - बीएसएफ पलक्कड़ में पालन गृह का आंतरिक भाग

ङ. आरएसआरएस जोरहाट - लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरएसआरएस जोरहाट में एक पालन गृह 10 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ा है। 2012-13 के बाद आरएसआरएस जोरहाट में ग्रेनेज गतिविधि नहीं की गई थी जिसके कारण पालन गृह भवन खाली पड़ा था। इसके अतिरिक्त, 10 वर्षों से अधिक समय से खाली पड़े आधारभूत संरचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सीएसबी के प्रयास अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

निर्देशांक - अक्षांश - 26.712146°, देशांतर - 94.187865°

चित्र 16 - आरएसआरएस जोरहाट में पालन गृह का सामने का दृश्य

निर्देशांक - अक्षांश - 26.712928°, देशांतर - 94.187064°

चित्र 17 - आरएसआरएस जोरहाट में पालन गृह का आंतरिक भाग

मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पालन गृह 10 वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ा था, कहा (मई 2025) कि पालन गृहों और अन्य आधारभूत संरचना का उपयोग कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण नहीं हो सका और अब एक वैज्ञानिक को इकाई में तैनात किया गया है और तदनुसार, आधारभूत संरचना का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा।

च. बीएसएमटीसी भंडारा - लेखापरीक्षा में देखा गया कि एक मड हाउस[26] खाली पड़ा था और उसके गिरने का खतरा था। एक और मड हाउस, यद्यपि जर्जर स्थिति में था फिर भी भंडारण के लिए उपयोग किया जा रहा था। बीएसएमटीसी भंडारा ने सीपीडब्ल्यूडी से दो मड हाउस के नवीनीकरण के लिए अनुमान तैयार करने का अनुरोध किया (2021-2022) लेकिन 31 मार्च 2024 तक सीपीडब्ल्यूडी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

निर्देशांक - अक्षांश - 21.059967°, देशांतर - 79.68681°

चित्र 18 - मड हाउस # 1 - बाहरी

निर्देशांक - अक्षांश - 21.059903°, देशांतर - 79.686808°

चित्र 19 - मड हाउस # 1 - आंतरिक

निर्देशांक - अक्षांश - 21.060212°, देशांतर - 79.686989°

चित्र 20 - मड हाउस # 2 - भंडारण के रूप में प्रयुक्त

---

[26] ***बीज कोकून के संरक्षण के लिए मड हाउस का उपयोग किया जाता है।***

छ. सीएसआरटीआई मैसूर - रेशम उत्पादन विभाग ने विद्यारण्य पुरम फार्म, मैसूर में भवनों के चार ब्लॉक के साथ सीएसआरटीआई मैसूर को 20 वर्ष की अवधि के लिए या सीएसआरटीआई मैसूर द्वारा अपनी स्वयं की भूमि और भवनों का अधिग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, किराए-मुक्त पट्टे के आधार पर 85,995 वर्ग मीटर (21.25 एकड़) भूमि सौंपे (1963)। 147 वर्ग मीटर के भवन क्षेत्र वाले एक ब्लॉक में राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन (एनएसएसओ) ने ₹4.24 लाख की लागत से शीत भंडारण संयंत्र (सीएसपी) की स्थापना की (1981)। सीएसपी के अनुचित कार्य पद्धति के कारण, एनएसएसओ ने ₹348.78 लाख की लागत से एक नया सीएसपी बनाया (2014) और स्थापित किया (2015), जिसे बाद में एसएसपीसी मैसूर के साथ विलय कर दिया गया (16 अगस्त 2018)। नए सीएसपी की स्थापना के बाद, सीएसपी के इकाई प्रभारी ने कहा (फरवरी 2017) कि पुराना सीएसपी खतरनाक स्थिति में था, भवन की छत कई स्थानों पर टूटी हुई थी, छत की एमएस छड़ें जंग खा गई थीं और बारिश के मौसम में कमरे पूरी तरह से भीग जाते थे जो कमरों में बिजली के पैनलों के लिए सुरक्षित नहीं है और एनएसएसओ से जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। हालाँकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।

निर्देशांक - अक्षांश - 12.290254˚, देशांतर - 76.646965˚

निर्देशांक - अक्षांश - 12.290238˚, देशांतर - 76.646958˚

चित्र 21 और 22 - पुराने शीत भंडारण संयंत्र का निर्माण

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि भवनों पर टिप्पणियों पर संबंधित प्रभारियों के साथ चर्चा की गई थी और उन्हें सीपीडब्ल्यूडी/राज्य पीडब्ल्यूडी की मदद से भवन की मजबूती की जांच करने और उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे के उपयोग पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा (मई 2025) कि संस्थानों को उन इकाइयों की भवनों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी जिन्हें सीएजी द्वारा उन भवनों में की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति; उपयोग की वर्तमान

स्थिति; उपयोग न होने के कारण; और सहायक दस्तावेजों के साथ उपयोग के भविष्य के दायरे के कारण अल्प-उपयोग के रूप में देखा गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा का सुझाव है कि यह कार्य केवल लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी की गई संस्थानों/इकाइयों से संबंधित भवनों तक ही सीमित न रखा जाए, बल्कि सीएसबी के सभी संस्थानों/इकाइयों में एक व्यापक कार्य किया जाए।

4.2 कार्यात्मक इकाइयों में स्टाफ क्वार्टर्स का रखरखाव

नमूने में सम्मिलित 43 कार्यात्मक इकाइयों में से 26 इकाइयों के पास 626 स्टाफ क्वार्टर थे। इनमें से केवल 255 क्वार्टरों भरे हुए और शेष 371 क्वार्टर खाली थे। इसके अतिरिक्त, 371 खाली क्वार्टरों में से, 96 क्वार्टरों को सीएसबी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था। स्टाफ क्वार्टरों का विवरण ***अनुलग्नक 16*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सात इकाइयों[27] में, सभी निर्मित 65 स्टाफ क्वार्टर खाली पड़े थे। इसके अतिरिक्त, इन इकाइयों में से पांच[28] में, निर्मित सभी 46 स्टाफ क्वार्टरों को आवासीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है।

नमूना कार्यात्मक इकाइयों के लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए खाली स्टाफ क्वार्टरों के उदाहरण, गैर-उपयोग के कारण उनकी जर्जर स्थिति, स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव नहीं करना, खाली स्टाफ क्वार्टरों के लिए निष्फल व्यय करना आदि, नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

क. सीटीआरटीआई रांची - इकाई अपने खाली स्टाफ क्वार्टरों में से 29 को बाहरी संगठनों, अर्थात, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) और पायलट प्रोजेक्ट सेंटर, बेरो (पीपीसी) को क्रमशः फरवरी 1992, सितंबर 2008 और दिसंबर 2019 से किराए पर दिया है। हालांकि, इन संगठनों से ₹19.31 लाख की राशि का किराया/लाइसेंस शुल्क/जल शुल्क संग्रह लंबित था जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2 - लाइसेंस शुल्क वसूली ना होने का विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	वह अवधि जिसके लिए वसूली लंबित है	राशि (₹ में)
1	पीपीसी बेरो, रांची	30.12.09 से 31.10.23 तक	17,28,308
2	बीएसएनएल नगरी, रांची	01.12.19 से 31.03.23 तक	95,000
3	जेएसईबी नगरी, रांची	01.10.20 से 31.03.23 तक	1,07,640
	कुल		**19,30,948**

[27] *बीएसएफ धर्मपुरा, बीएसएफ पलक्कड़, आरएसटीआरएस धर्मवरम, आरएसआरएस सेलम, बीएसएफ हाहिम, बीएसएफ अडोकिगिरी और एसएसपीसी उधमपुर।*

[28] *बीएसएफ धर्मपुरा, बीएसएफ पलक्कड़, आरएसटीआरएस सेलम, बीएसएफ हाहिम, एसएसपीसी उधमपुर.*

लेखापरीक्षा में कहा गया है कि सीटीआरटीआई रांची ने बकाया राशि की वसूली के लिए 4 दिसंबर 2023 को पीपीसी और 1 मई 2023 को जेएसईबी और बीएसएनएल के साथ अंतिम पत्राचार किया था जिसके बाद कोई पत्राचार नहीं हुआ था। यह ध्यान देने योग्य है कि जेएसईबी और पीपीसी को किराए पर दिए गए स्टाफ क्वार्टरों के लिए कोई औपचारिक पट्टा समझौता नहीं था। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल के साथ पट्टा समझौते के अस्तित्व के बावजूद, सीएसबी भुगतान खंडों को लागू नहीं कर सका।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सीटीआरटीआई रांची से अनुरोध किया गया था कि वह किराया/लाइसेंस शुल्क के भुगतान न होने की स्थिति के साथ-साथ पट्टा समझौते की समाप्ति की सूचना के साथ चूक करने वाले संगठनों के उच्च अधिकारियों तक मामला बढ़ाए। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, केंद्रीय कार्यालय की स्वीकृति से, सीटीआरटीआई रांची को बेदखली नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया था।

लेखापरीक्षा सुझाव देता है कि सीएसबी को अन्य संगठनों के साथ किराये की व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए प्रयास करने चाहिए और सीटीआरटीआई रांची में सीएसबी के क्वार्टर किराए पर लेने वाले संगठनों से बकाया राशि वसूलने के लिए कदम उठाने चाहिए।

ख. आरएसटीआरएस धर्मवरम - सीएसबी ने आरएसटीआरएस धर्मवरम के लिए 10 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया (1996-97), जो 2007 से खाली पड़े थे और खराब स्थिति में थे। उप-पंजीयक कार्यालय (एसआरओ), धर्मवरम ने खाली स्टाफ क्वार्टर को पट्टे पर देने के लिए आरएसटीआरएस धर्मवरम से अनुरोध किया (18 दिसंबर 2021)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जैसा कि **पैरा संख्या 3.1(घ)** में बताया गया है, सीएसबी द्वारा भूमि का गैर-पंजीकरण एसआरओ को अप्रयुक्त स्टाफ क्वार्टर किराए पर देने से आरएसटीआरएस धर्मवरम को रोकता है। इसके अतिरिक्त, इसने बिजली शुल्क के लिए ₹1,96,774 और खाली स्टाफ क्वार्टरों के लिए संपत्ति कर के लिए ₹60,199 व्यय किए।

निर्देशांक - अक्षांश - 14.392702˚, देशांतर - 77.710699˚

निर्देशांक - अक्षांश - 14.392782˚, देशांतर - 77.710801˚

चित्र 23 और 24 - आरएसटीआरएस धर्मवरम में खाली स्टाफ क्वार्टर

ग. अन्य इकाइयां - क्वार्टर खाली होने के बावजूद, सीएसबी ने 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए, सात इकाइयों में बिजली शुल्क[29] के लिए ₹6,01,614 लाख और दो इकाइयों में संपत्ति कर[30] के लिए ₹2,07,992 लाख का व्यय किया है।

कुछ इकाइयों में जर्जर स्थिति में क्वार्टरों की तस्वीरें नीचे प्रस्तुत की गई हैं -

निर्देशांक - अक्षांश - 12.287939°, देशांतर - 76.645692°

निर्देशांक - अक्षांश - 12.287599°, देशांतर - 76.645352°

चित्र 25 और 26 - विद्यारण्य पुरम, सीएसआरटीआई में खाली स्टाफ क्वार्टर्स

निर्देशांक - अक्षांश - 12.262197°, देशांतर - 76.626244°

चित्र 27 - सीएसआरटीआई मैसूर में श्रीरामपुरा में रिक्त टाइप 3 स्टाफ क्वार्टर के लिए पहुंच मार्ग

निर्देशांक - अक्षांश - 12.267443°, देशांतर - 76.628816°

चित्र 28 - श्रीरामपुरा में खाली टाइप 3 स्टाफ क्वार्टर के आसपास का क्षेत्र

---

[29] *सीएसआरटीआई मैसूर (₹3,40,072 - अप्रैल 2019 से मार्च 2023); एसएसपीसी चिंतामणि (₹1,50,015 - अप्रैल 2018 से मार्च 2023); बीएसएफ पारिगी (₹8,673 - अप्रैल 2018 से मार्च 2023); एसएसपीसी मदनापल्ले (₹19,267 - अप्रैल 2018 से मार्च 2023); एसएसपीसी केआर नगर (₹50,348 - अप्रैल 2018 से मार्च 2023); एसएसपीसी हिंदूपुर (₹24,414 - जनवरी 2019 से दिसंबर 2023); बीएसएफ पलक्कड़ (₹8,825 - अप्रैल 2018 से मार्च 2023)।*

[30] *सीएसआरटीआई मैसूर (₹1,88,039 - अप्रैल 2020 से मार्च 2023); बीएसएफ पारिगी (₹19,953 - अप्रैल 2018 से मार्च 2023)।*

निर्देशांक - अक्षांश - 12.882704°, देशांतर - 77.70938°

निर्देशांक - अक्षांश - 12.882621°, देशांतर - 77.70931°

चित्र 29 और 30 - एसएसटीएल कोडाथी में स्टाफ क्वार्टरों की स्थिति

क्रमांक (ख) और (ग) पर लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में, प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि संबंधित संस्थानों/इकाइयों को अपने इष्टतम उपयोग के लिए खाली स्टाफ क्वार्टरों के आबंटन/उप-किराए के लिए अपने मांगपत्र जमा करने के लिए सभी आस-पास के सरकारी कार्यालयों को एक परिपत्र जारी करने की सलाह दी गई थी। इसके अतिरिक्त, जर्जर स्थिति में क्वार्टरों के मामले में, संस्थानों/इकाइयों को सलाह दी गई कि वे उन्हें सीपीडब्ल्यूडी/राज्य पीडब्ल्यूडी से जांच करवाएं और यदि उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जाता है, तो अनावश्यक व्यय से बचने के लिए सीएसबी केंद्रीय कार्यालय की स्वीकृति के साथ, उनके विध्वंस के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा (मई 2025) कि 17 संस्थानों/इकाइयों ने मई 2025 तक पहले ही परिपत्र जारी कर दिए थे।

4.3 स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण

बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने मेट्रो स्टेशन के निर्माण के साथ-साथ एक एलिवेटेड रोड के लिए मडीवाला में 9,943 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण के लिए सीएसबी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (30 मई 2019)। एमओयू की शर्तों के अनुसार, बीएमआरसीएल को सीएसबी परिसर के चारों ओर ध्वस्त कंपाउंड दीवार के स्थान पर एक कंपाउंड दीवार का निर्माण करना था और सीएसबी स्टाफ क्वार्टर का पुनर्निर्माण करना था जिसे आंशिक रूप से मादीवाला, अर्थात मौजूदा सीएसबी क्वार्टर्स में उपलब्ध खाली भूमि में और आंशिक रूप से गोट्टिगेरे में उपलब्ध भूमि में परियोजना के लिए 3,845 वर्ग मीटर तक ध्वस्त किया जाना था।

बीएमआरसीएल ने सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से जमा कार्य के रूप में निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की (10 फरवरी 2020)। यह भी सहमति हुई कि सीएसबी स्टाफ क्वार्टरों

की आवश्यकता/प्रकार देगा, जिसे लेआउट योजना तैयार करने से लेकर भवन निर्माण पूरा होने तक, अनुमोदन की तिथि से 15 से 18 महीनों में पूरा किया जाना था।

सीपीडीब्ल्यूडी ने ₹22.34 करोड़[31] का अनुमान प्रस्तुत किया (18 दिसंबर 2020) जिसमें सीएसबी के लिए 35 आवासीय क्वार्टरों की लागत सम्मिलित थी जिसे बीएमआरसीएल को भेजा गया था। बीएमआरसीएल ने समझौते के अनुसार 3,845 वर्ग मीटर भवन के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की (16 दिसंबर 2021), साथ ही सीपीडब्ल्यूडी के अनुमान में उल्लिखित कम्युनिटी हॉल के निर्माण की लागत और भूमि विकास और थोक सेवाओं के निर्माण की लागत को भी पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की। सीएसबी ने बीएमआरसीएल से ₹18.72 करोड़ जमा करने का अनुरोध किया (27 दिसंबर 2021)। बीएमआरसीएल ने 3,845 वर्ग मीटर क्षेत्र के क्वार्टरों के निर्माण के लिए ₹14.23 करोड़ हस्तांतरित किए (13 अक्टूबर 2022)।

इसके बाद, सीपीडब्ल्यूडी ने 35 क्वार्टरों और एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए अनुमान को बढ़ाकर ₹32.17 करोड़ कर दिया (4 नवंबर 2022)। सीएसबी ने सीपीडब्ल्यूडी को ₹22.34 करोड़ की लागत से 25 स्टाफ क्वार्टरों और कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए स्वीकृति दी (1 मार्च 2023) और कहा कि एमओयू के निष्पादन के बाद राशि जमा की जाएगी। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक और संशोधित अनुमानों का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 4.3 - स्टाफ क्वार्टरों की लागत अनुमान का विवरण

(राशि ₹ में)

विवरण	18 दिसंबर 2020	4 नवंबर 2022	23 फरवरी 2023
	(35 क्वार्टर्स के लिए)		(25 क्वार्टर के लिए)
भवन भाग - सिविल और इलेक्ट्रिकल	13,58,20,612	20,09,92,982	14,25,24,732
विकास कार्य	4,54,91,977	7,60,96,014	7,73,75,512
सामुदायिक भवन	44,51,938	58,47,966	56,36,416
कुल*	**18,57,64,527**	**28,29,36,962**	**22,55,36,660**

*** दर्शाई गई लागत में आकस्मिकताएं, कर आदि सम्मिलित नहीं हैं।**

इस बीच, सीएसबी ने कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी खाते में ₹2.23 करोड़ जमा किए (मार्च 2022/मई 2023)। निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ था।

[31] ₹19.63 करोड़ भूमि विकास और थोक सेवाओं सहित 3,845 वर्ग मीटर क्षेत्र की लागत के लिए और शेष क्षेत्र और सामुदायिक भवन के लिए ₹2.72 करोड़ की शेष लागत के लिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

- बीएमआरसीएल के साथ एमओयू (मई 2019) के साथ-साथ सीएसबी, बीएमआरसीएल और सीपीडब्ल्यूडी के बीच बैठक के कार्यवृत्त (10 फरवरी 2020) से संकेत मिलता है कि सीएसबी स्टाफ क्वार्टर का पुनर्निर्माण बीएमआरसीएल द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, अनुमानों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलंब के कारण, विकास कार्य और सामुदायिक भवन सहित 35 तिमाहियों के लिए निर्माण लागत में ₹9.71 करोड़ (अर्थात, 28.29 - 18.58) की वृद्धि हुई।
- सीएसबी सामुदायिक भवन और भूमि विकास और थोक सेवाओं के निर्माण के लिए शेष ₹4.49 करोड़ (अर्थात, 18.72 - 14.23) के हस्तांतरण के लिए बीएमआरसीएल के साथ आगे नहीं बढ़ा।
- सीएसबी ने सीपीडब्ल्यूडी से एमओयू निष्पादित करने का अनुरोध किया (01 मार्च 2023) और कहा कि एमओयू निष्पादित होने के बाद राशि जमा की जाएगी। हालांकि, एमओयू के लंबित निष्पादन पर भी, सीएसबी ने पहले ही ₹2.23 करोड़ सीपीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिए हैं।
- कर्मचारी आवासों के निर्माण के अभाव में, सीएसबी को मकान किराया भत्ता देने के लिए आवर्ती व्यय का सामना करना पड़ रहा है जिसे कर्मचारी आवासों के निर्माण के समय पर पूरा होने से बचाया जा सकता था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सीपीडब्ल्यूडी ने कार्य के क्षेत्र को कम करके ₹22.34 करोड़ के प्रारंभिक लागत अनुमान से मेल खाने के लिए सितंबर 2024 में संशोधित रेखांकन प्रस्तुत किया।

हालाँकि, तथ्य यह है कि सीएसबी द्वारा निर्णय लेने में विलंब के परिणामस्वरूप अनुमान में वृद्धि हुई, स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण में विलंब के कारण मकान किराया भत्ता के लिए अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य शुरू हुए बिना भी, मार्च 2022/मई 2023 से ₹2.23 करोड़ का अग्रिम भुगतान सीपीडब्ल्यूडी के पास पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, सीएसबी को बीएमआरसीएल से ₹4.49 करोड़ की शेष राशि की वसूली की जानी थी।

4.4 बंद/विलय की गई इकाइयों द्वारा धारित भवनों और स्टाफ क्वार्टर्स का उपयोग

नमूने में सम्मिलित 21 बंद/विलय की गई इकाइयों में से, सीएसबी ने 11 इकाइयों में अपने भवन बनाए हैं। इन 11 इकाइयों में से, छः इकाइयों का भवन क्षेत्र 31 मार्च 2023 को 79,161 वर्ग फुट था और शेष पांच इकाइयों[32] का भवन क्षेत्र सीएसबी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी प्रकार, 21 नमूना बंद/विलय की गई इकाइयों में से पांच[33] को स्टाफ क्वार्टर प्रदान किया गया है। हालांकि बीएसएफ बंगुरिया ने भवनों और क्वार्टरों की उपलब्धता की पुष्टि की, लेकिन विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए। आरईसी भद्रासी ने कोई सूचना नहीं दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार इकाइयों[34] में, जिसके बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई थी, इकाई बंद होने के बाद सीएसबी ने बिजली शुल्क के लिए ₹6,24,819, संपत्ति/नगरपालिका करों के लिए ₹7,34,885 और सुरक्षा शुल्क के लिए ₹14,12,356 व्यय किए। विवरण ***अनुलग्नक 17*** में उल्लिखित हैं।

नमूने में बंद/विलय की गई इकाइयों के लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए भवनों और स्टाफ क्वार्टर्स के गैर-उपयोग, व्यर्थ के व्यय आदि के विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

(i) आरईसी मदकसिरा - लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरईसी मदकसिरा के कार्यालय भवन-सह-पालन गृह को 2018 में इकाई के बीएसएफ मदकसिरा के साथ विलय के बाद से पांच साल से अधिक समय से अनप्रयुक्त रखा गया था। भवन के अंदर के कमरे या तो खाली थे या अनुपयोगी सामग्री, पुरानी फाइलें और अप्रचलित फर्नीचर से भरे हुए थे। एक कमरा चमगादड़ों से ग्रस्त पाया गया।

निर्देशांक - अक्षांश - 13.916586°, देशांतर - 77.289118°

चित्र 31 - कार्यालय भवन के अंदर का कमरा सामग्री से भरा हुआ

निर्देशांक - अक्षांश - 13.916555°, देशांतर - 77.289128°

चित्र 32 - कार्यालय भवन के अंदर का कमरा सामग्री से भरा हुआ है और चमगादड़ों से ग्रस्त है

---

[32] ***सीएसपी होसुर, आरईसी मदकसिरा, बीएसएफ नागामंगला, बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी और बीएसएफ बंगुरिया।***

[33] ***आरईसी मदकसिरा, बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी, बीएसएफ कलिम्पोंग, एसएसपीसी तिरुपत्तूर और बीएसएफ बंगुरिया।***

[34] ***एसएसपीसी तिरुपत्तूर, आरईसी मदकसिरा, बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी और बीएसएफ कलिम्पोंग।***

2004 से खाली पड़े आरईसी मदकसिरा के स्टाफ क्वार्टर्स जर्जर हालत में थे और चमगादड़ों की बीट से भरे हुए थे।

निर्देशांक - अक्षांश - 13.916345°, देशांतर - 77.28949°

चित्र 33 - जर्जर क्वार्टर

निर्देशांक - अक्षांश - 13.916303°, देशांतर - 77.289476°

चित्र 34 - चमगादड़ की बीटों से भरे क्वार्टर

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि आरईसी मदकसिरा के विलय और कर्मचारियों की संख्या में कमी के बाद, भवन और स्टाफ क्वार्टर्स के कुछ क्षेत्र अप्रयुक्त थे और कहा कि इकाई द्वारा रेशम उत्पादन विभाग (डीओएस) के साथ डीओएस की रेशम उत्पादन गतिविधियों के लिए आरईसी मदकसिरा के पालन शेड/भवन का उपयोग करने के लिए बातचीत शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, स्टाफ क्वार्टरों के मामले में, संबंधित इकाई को अन्य केंद्रीय सरकारी संगठनों को खाली स्टाफ क्वार्टरों के इष्टतम उपयोग के लिए आबंटन/उप-किराए के लिए मांगपत्र प्रस्तुत करने के लिए परिपत्र जारी करने के लिए सूचित किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि इकाई प्रभारी, आरईसी मदकसिरा द्वारा पुष्टि की गई है कि भवनों और स्टाफ क्वार्टर्स क्रमशः 2018 और 2004 से खाली पड़े थे।

(ii) बीएसएफ कालिम्पोंग - मई 2018 में बीएसएफ कालिम्पोंग का आरएसएलएस कालिम्पोंग के साथ विलय के बाद, इकाई में कोई गतिविधि नहीं की जा रही थी। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 में बीएसएफ कलिम्पोंग में चोरी की दो घटनाएं हुई थीं, जिसमें पंखे, ट्यूब लाइट, पालन स्टैंड, बाथरूम फिटिंग, बिजली मीटर, तार आदि जैसी कई वस्तुएं चोरी हो गई थीं, जिनकी कीमत ₹1.50 लाख से अधिक थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बीएसएफ कलिम्पोंग परिसर में बाड़ नहीं लगाई गई थी और चोरी की दो घटनाओं के बाद भी इकाई की सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा तैनात नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि पालन गृहों और कार्यालयों का उपयोग आरएसएलएस कलिम्पोंग के साथ विलय होने के बाद कृषि से जुड़े कामों के लिए किया जा रहा था। साथ ही, संपत्तियों की सुरक्षा के लिए निगरानी और प्रभारियों के काम पर कर्मचारियों को तैनात किया गया था।

(iii) आरओ मुंबई - सीएसबी ने मेघदूत को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (सोसाइटी), मुंबई में तीन साल की अवधि के लिए 5,085 वर्ग फुट भवन स्थल को किराए पर लिया (6 मई 1958) और पट्टा मई 1964 तक नवीनीकृत किया गया (मई 1961)। सोसाइटी ने सीएसबी को सूचित किया (फरवरी 1964) कि 6 मई 1964 को समाप्त होने वाली पट्टे की अवधि का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और सीएसबी से परिसर खाली करने का अनुरोध किया। हालांकि, सीएसबी पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी परिसर में बना रहा।

इस बीच, सीएसबी ने मुंबई में नरीमन प्वाइंट के मित्तल चैंबर्स में दो फ्लैट (अर्थात, 1,250 वर्ग फुट के फ्लैट संख्या 16, ₹1.75 लाख में और 1,208 वर्ग फुट के फ्लैट संख्या 62, ₹1.72 लाख में) खरीदे (1 मार्च 1977)। फ्लैटों की खरीद और उनके उपयोग के लिए विक्रय विलेख अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

सीएसबी मुख्यालय को मुंबई से बेंगलुरु में स्थानांतरित करने के बाद (1981), सीएसबी ने मुंबई में एक क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) चलाने के लिए किराए के परिसर पर कब्जा बरकरार रखा। सोसाइटी ने जुलाई 1986 तक किराया स्वीकार किया, जिसके बाद उन्होंने मासिक किराया स्वीकार नहीं किया और आरओ के निष्कासन के लिए मुकदमा दायर किया (1987)। उच्चतम न्यायालय के आदेश (23 जनवरी 2006) के अनुसार, सीएसबी ने 31 जुलाई 2006 को परिसर सोसायटी को सौंप दिया।

परिसर सौंपने के बाद, सोसायटी ने माननीय लघु वाद न्यायालय, मुंबई में 24 अप्रैल 1987 से 31 जुलाई 2006 की अवधि के लिए मध्यवर्ती लाभ के लिए याचिका दायर की और आदेश पारित करके (19 अक्टूबर 2023) सीएसबी को वादी को ₹8.22 करोड़ का मध्यवर्ती लाभ देने का निर्देश दिया गया। सीएसबी ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी जिसने आदेश पर रोक लगा दी और सीएसबी को 6 फरवरी 2024 को ₹9.81 करोड़ में से ₹2.40 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया (फरवरी 2024), जो सीएसबी द्वारा 26 फरवरी 2024 को जमा किया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि 1987 में मेघदूत सोसाइटी द्वारा बेदखली का मुकदमा दायर करने और मित्तल चैंबर्स में दो फ्लैटों की उपलब्धता के बावजूद, सीएसबी ने परिसर पर अनधिकृत कब्जा जारी रखा, जिससे कानूनी विवाद और ₹9.81 करोड़ के मध्यवर्ती लाभ के भुगतान के लिए न्यायालय में ₹2.40 करोड़ जमा हो गए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि 1981 में सीएसबी मुख्यालय को मुंबई से बेंगलुरु में स्थानांतरित करने के बाद 31 जुलाई 2006 तक मेघदूत परिसर का कब्जा जारी रखा गया था क्योंकि मित्तल चैंबर्स में फ्लैट वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत तत्कालीन वस्त्र विभाग के निर्देशों (अक्टूबर 1982) के आधार पर भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी) को पट्टे पर दिए गए थे। 2006 में सीएसबी द्वारा मेघदूत सोसाइटी को खाली करने के बाद, यह कुछ महीनों के लिए एक निजी परिसर में और बाद में अंधेरी स्टाफ क्वार्टर में संचालित हुआ, और फिर 2008 में मित्तल चैंबर्स में स्थानांतरित हो गया। आरओ मुंबई 2008 से अब तक मित्तल चैंबर्स से काम कर रहा है।

सीएसबी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि फरवरी 1964 में परिसर खाली करने के अनुरोध के बावजूद, सीएसबी ने मेघदूत सोसाइटी की परिसर पर कब्जा बनाए रखा था और इस प्रकार, सीएसबी को मित्तल चैंबर्स के अपने परिसर में रेशम निर्यात संवर्धन परिषद को समायोजित नहीं करना चाहिए था। इस निर्णय की समीक्षा कम से कम 1987 में सोसायटी द्वारा बेदखली का मुकदमा दायर करने के बाद की जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप मध्यवर्ती लाभ के भुगतान के लिए एक अनावश्यक दायित्व उत्पन्न हो गया है।

अनुशंसा # 7: सीएसबी भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करे और समय पर नवीनीकरण और मरम्मत के लिए कार्रवाई करे, समय-समय पर निरीक्षण करके टूट-फूट को रोक सकता है। सीएसबी कार्यात्मक/बंद इकाइयों के समर्पित/हस्तांतरण या अप्रयुक्त भवनों और स्टाफ क्वार्टर्स के प्रभावी उपयोग के लिए तत्काल कार्रवाई भी शुरू करे।

4.5 भवन निर्माण में विलंब

एसएसपीसी जोरहाट आरएसएलएस जोरहाट के अनाज भंडारण भवन से कार्य कर रहा है, जिसे अनाज और शीत भंडारण भवनों के निर्माण के लिए 3,076 वर्ग मीटर (0.76 एकड़) भूमि आबंटित की गई है (अगस्त 2016)। क्रमशः 2015 और 2016 के दौरान ₹11.48

करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति भवन निर्माण के लिए प्रदान की गई थी। सीपीडब्ल्यूडी को 31 दिसंबर 2017 की निर्धारित पूर्णता तिथि के साथ निर्माण कार्य सौंपा गया था। इसके लिए, सीएसबी ने सीपीडब्ल्यूडी को ₹10.40 करोड़ जारी किए (अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2021 तक) और आरएसआरएस जोरहाट ने कहा (17 जनवरी 2024) कि भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, केवल कुछ मामूली सुधार कार्य लंबित हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि भवनों को अभी तक (31 मार्च 2024) नहीं सौंपा गया था और एसएसपीसी जोरहाट निर्धारित पूर्णता तिथि अर्थात 31 दिसंबर 2017 से छः वर्ष बीत जाने के बाद भी भवनों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए करने में असमर्थ था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (13 मार्च 2024) कि विलंब का प्राथमिक कारण कोविड-19 महामारी और निर्माण स्थल पर चोरी थी। साइट को सुरक्षित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद लंबित कार्यों को फिर से शुरू किया जाएगा।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाए कि महामारी का प्रभाव मार्च 2020 में था, जो निर्धारित पूर्णता तिथि के लगभग 2 साल 3 महीने बाद था। इसके अतिरिक्त, महामारी के बाद, मार्च 2024 तक भवनों का निर्माण पूरा नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप दो वर्षों से अधिक समय तक ₹10.40 करोड़ अवरुद्ध हो गए।

4.6 गैर-नमूना इकाइयों द्वारा धारित संपत्ति से संबंधित मुद्दे

क. आरएसआरएस शादनगर (मुलुगू) - नमूना इकाई - आरएसआरएस शादनगर (जून 2019 के दौरान मुलुगु में स्थानांतरित) के दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएसबी की गैर-नमूनाकृत बंद इकाई, अर्थात आरईसी नवसारी की स्थायी संपत्तियां उसके परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज की गई थीं। आरईसी नवासारी के पास डाम्बर गांव, नवासरी तालुका, गुजरात में 32,273 वर्ग मीटर (7.97 एकड़) भूमि थी जिसमें कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर्स हैं। एक अन्य गैर-नमूना इकाई, अर्थात एसटीएस बाजीपुरा की भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित दस्तावेज़ भी आरएसआरएस शादनगर में उपलब्ध थे।

(i) आरईसी नवसारी के बंद होने के बाद, सीएसबी केंद्रीय कार्यालय ने राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अनुरोध के साथ नवसारी कृषि विश्वविद्यालय (एनएयू) को आरईसी नवसारी की भूमि और भवनों को पट्टे पर देने के लिए आरएसआरएस शादनगर को अनुमोदित समझौता ज्ञापन (एमओयू) भेजा था (7 नवंबर 2017)। समझौता ज्ञापन में कहा गया था कि प्रारंभिक पट्टा अवधि 30 वर्ष होगी जिसे आपसी सहमति से

99 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एनएयू ने 30 साल के पट्टे की प्रारंभिक अवधि के लिए अपने बोर्ड की स्वीकृति की सूचना दी (20 फरवरी 2018)।

हालांकि, सीएसबी ने एमओयू से विचलन किया और एनएयू से अनुरोध किया (27 मार्च 2018) कि सीएसबी की 134वीं बोर्ड बैठक (23 जनवरी 2018) के निर्णय के अनुसार पट्टे की प्रारंभिक अवधि को 30 वर्षों के बजाय 10 वर्ष माना जाए जिसे एनएयू द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। चूंकि इसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई, आरएसआरएस शादनगर ने सीएसआरटीआई मैसूर को आरईसी नवसारी पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए (27 नवंबर 2022) सूचित किया कि आरईसी नवसारी की भूमि और भवनों को पट्टे पर देने का मामला 'पट्टे की अवधि' पर असहमति के कारण आगे नहीं बढ़ा है और तब से मामला लंबित है।

इस संबंध में, सीएसबी के 134वें बोर्ड कार्यवृत्त के अवलोकन पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि बोर्ड के संकल्प में "नवासारी में उपलब्ध मौजूदा भूमि और भवनों को पट्टे के आधार पर *न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि के लिए* एनएयू को सौंपने" का उल्लेख गलत समझा गया था और एनएयू को "10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि" के रूप में सूचित किया गया था। नतीजतन, आरईसी नवसारी में आधारभूत संरचना पांच साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़ा है।

(ii) सीएसबी ने गुजरात के सूरत जिले के बाजीपुरा में गुजरात राज्य सरकार द्वारा सीएसबी को आबंटित की गई 40,468.56 वर्ग मीटर (10 एकड़) भूमि में रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय (एसटीएस) अर्थात 273 वर्ग मीटर का स्कूल भवन और 246.6 वर्ग मीटर के शयनशाला/छात्रावास भवन का निर्माण किया (1993)। इसके बाद, सीएसबी ने सदस्य सचिव के माध्यम से गुजरात सरकार जिसका प्रतिनिधित्व जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायत, गुजरात सरकार कर रहे थे, के साथ एक पट्टा विलेख किया (7 अक्टूबर 2003 को) जिसके तहत, सीएसबी ने अनुसूचित भवन अर्थात 10 एकड़ ज़मीन, जिसमें 0.75 एकड़ में शहतूत की खेती, स्कूल भवन, शयनशाला/छात्रावास भवन, चार बोरवेल और नहर के पानी की सुविधा शामिल थी, गुजरात सरकार को ₹1 प्रति वर्ष के किराया पर फ़र्नीचर, फ़िक्स्चर और फ़िटिंग के साथ, 6 अक्टूबर 2003 से 15 साल के लिए पट्टे पर दे दिया।

पट्टे के विलेख के अनुबंधों में यह प्रावधान किया गया है कि (i) अनुसूचित भवन का उपयोग रेशम उत्पादन गतिविधियों में लगे रेशम किसानों को प्रशिक्षण देने और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किया जाएगा; (ii) अनुसूचित भवन, फिक्स्चर, फिटिंग को राज्य अच्छी स्थिति में और सभी मामलों में मरम्मत और फिट की अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा।

पट्टे की अवधि के दौरान भवन का संपूर्ण रखरखाव राज्य की जिम्मेदारी है; और (iii) पट्टे की समाप्ति पर या पट्टे के विलेख के निर्धारण से पहले ही फिक्स्चर और फिटिंग के साथ, राज्य अनुसूचीत भवन को सीएसबी को अच्छी स्थिति में सौंपेगा। पट्टा विलेख में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अनुबंधों का उल्लंघन होता है, सीएसबी अनुसूचीत भवन में फिर से प्रवेश कर सकता है और पट्टे का निर्धारण कर सकता है।

आरएसआरएस शादनगर (मुलुगू) ने जिला कृषि अधिकारी (डीएओ), तापी, गुजरात से 2003-2018 की पट्टे की अवधि के दौरान एसटीएस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तापी जिले (अब तापी जिले में बाजीपुरा) में और उसके आसपास मौजूद मौजूदा रेशम किसानों के बारे में सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (12 जुलाई 2019)। डीएओ ने सूचित करते हुए (14 जुलाई 2019) कहा कि एसटीएस बाजीपुरा वर्तमान में जर्जर स्थिति में है और 2003-2018 तक पट्टे की अवधि के दौरान कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था और तापी जिले के आसपास कोई रेशम किसान मौजूद नहीं है। डीएओ द्वारा दी गई सूचना (14 जुलाई 2019) आरएसएलएस शादनगर (मुलुगु) द्वारा सीएसआरटीआई मैसूर को दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इकाई ने सीएसआरटीआई मैसूर को आरईसी नवासरी पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए (27 नवंबर 2022), एसटीएस बाजीपुरा भवनों की जर्जर स्थिति और जिला कृषि विभाग की पट्टा समझौते को नवीनीकृत करने की अनिच्छा के बारे में बताया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि हालांकि एसटीएस बाजीपुरा के पट्टे पर दिए गए परिसर का न तो उपयोग किया गया और न ही जिला प्राधिकरणों द्वारा इसका रखरखाव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एसटीएस बाजीपुरा की जर्जर स्थिति हो गई, पट्टे के अनुबंध को लागू करने के लिए सीएसबी द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का कोई अभिलेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2018 में पट्टे की अवधि पूरी होने के बाद सीएसबी द्वारा एसटीएस बाजीपुरा के उपयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए जिसके परिणामस्वरूप एसटीएस बाजीपुरा का परिसर अप्रयुक्त पड़ा रहा और पिछले पांच वर्षों से भवनों की स्थिति और खराब हो गई।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि हालांकि एसटीएस बाजीपुरा की भूमि और भवन अभी भी सीएसबी के नियंत्रण में हैं, एसटीएस बाजीपुरा की भूमि और भवनों का विवरण आरएसएलएस शादनगर (मुलुगु) के परिसंपत्ति रजिस्टर में सम्मिलित नहीं किया गया था और सीएसबी द्वारा सीएसबी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया

गया था। यह सीएसबी की संपत्ति की सुरक्षा में सीएसबी की ओर से लापरवाह दृष्टिकोण और आंतरिक नियंत्रण में चूक को दर्शाता है।

अप्रैल 2018 से पहले से बंद दो इकाइयों, आरईसी नवसारी और एसटीएस बाजीपुरा की भूमि और भवनों का उपयोग न करना और सुरक्षा उपायों की कमी, सीएसबी के आधारभूत संरचना के प्रबंधन में तत्परता की कमी को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्ति बेकार पडी रही और खराब होती गई।

प्रबंधन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ख.(i) एसएसपीसी मदनापल्ले (संपत्ति कर के भुगतान में विलंब के लिए लगने वाले जुर्माने से संबंधित) - चयनित नमूना इकाई अर्थात एसएसपीसी मदनापल्ले के भौतिक दौरे के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि गैर-नमूना चयनित इकाई अर्थात एसएसपीसी चित्तूर, का एसएसपीसी मदनापल्ले के साथ विलय किया गया था (1 मई 2018)। अभिलेख से यह देखा गया कि एसएसपीसी चित्तूर के संबंध में संपत्ति कर और जुर्माना/ब्याज के रूप में चित्तूर नगर निगम (सीएमसी) को **₹**10,92,688 का भुगतान किया गया था। इकाई के साथ-साथ सीएमसी के अभिलेख के अनुसार, भुगतान की गई राशि और सीएमसी द्वारा इन भुगतानों के उपचार का विवरण, नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4 - एसएसपीसी चित्तूर के संपत्ति कर के भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	संपत्ति कर	भुगतान की गई राशि	चेक/भुगतान की तिथि	सीएमसी द्वारा लेखांकित
2018-19	1,50,174	1,50,174	17 जून 2019	शून्य
2019-20 & 2020-21	3,00,348	3,00,348	23 मार्च 2021	1,78,686 (बकाया राशि) 1,21,662 (ब्याज)
2021-22	1,11,438	1,50,174	26 अगस्त 2021	1,15,474 (बकाया राशि) 34,700 (ब्याज)
2022-23	1,11,438	4,91,992	अक्टूबर 2022	2,68,544 (बकाया राशि) 1,12,010 (ब्याज)
कुल	**6,73,398**	**10,92,688**		

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई को बकाया नोटिस प्राप्त हुए थे यद्यपि इकाई द्वारा राशि का भुगतान किया गया था। आगे की पूछताछ पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2018-19 के लिए संपत्ति कर के रूप में ₹1,50,174 का भुगतान सीएमसी खाते में जमा नहीं किया गया था, जिससे बार-बार बकाया नोटिस दिए गए थे। बकाया भुगतान के नोटिस

मिलने के बाद भी संपत्ति कर के भुगतान का मिलान करने की कोशिश न करने के कारण ₹2,68,372 का ब्याज भरना पड़ा, जिसे टाला जा सकता था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के लिए एसएसपीसी मदनापल्ले द्वारा संपत्ति कर के भुगतान की पुष्टि नहीं की और रिपोर्ट नहीं की। सीएसबी ने संपत्ति कर का क्रमिक भुगतान की स्वीकृति यह सत्यापित किए बिना ही दे दी की भुगतान वर्तमान वर्ष की मांग में या पिछले वर्षों के बकाए और ब्याज में समायोजित किया गया था अथवा नहीं।

ख.(ii) एसएसपीसी मदनापल्ले (एसएसपीसी चित्तूर के परिसर को सौंपने में विलंब से संबंधित) - मई 2018 में एसएसपीसी चित्तूर परिसर को जिला रेशम उत्पादन कार्यालय चित्तूर को सौंपने के लिए रेशम उत्पादन विभाग के साथ पत्राचार शुरू करने के बावजूद, पांच साल से अधिक के विलंब के बाद 27 अक्टूबर 2023 को भूमि और भवनों को सौंपा गया, जिसके दौरान एसएसपीसी चित्तूर की भूमि और भवन निष्क्रिय और अप्रयुक्त पड़े थे जिसके परिणामस्वरूप भवनों की स्थिति खराब हो गई थी। एसएससीपी चित्तूर परिसर को रेशम उत्पादन विभाग को सौंपने के सीएसबी के प्रारंभिक प्रयास में विलंब हुआ क्योंकि एसएसपीसी चित्तूर भवनों के ब्लूप्रिंट उपलब्ध नहीं होने के कारण उचित किराया प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सका। जिला कलेक्टर, चित्तूर को परिसर सौंपने के सीएसबी के बाद के प्रयास निष्फल रहे क्योंकि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन एसएसपीसी मदनापल्ले द्वारा नहीं किया गया था, जो इकाई स्तर पर आंतरिक नियंत्रण में कमियों को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि क्योंकि परिसर को रेशम उत्पादन विभाग को सौंपने में विलंब हुआ था, सीएसबी ने मई 2018 से अक्टूबर 2023 तक एसएसपीसी चित्तूर के खाली परिसरों के लिए बिजली शुल्क के रूप में ₹5,16,409 का व्यय किया।

सीएसबी ने परिहार्य व्यय को रोकने के लिए वैधानिक देय राशि से संबंधित लंबित दावों और दंडों को सत्यापित करने और भुगतान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने के लेखापरीक्षा सुझाव को स्वीकार किया (जनवरी 2025)।

अध्याय - 5

संपत्ति की सुरक्षा

अध्याय 5: संपत्ति की सुरक्षा

5.1 भूमि पर बाड़ लगाना

सीएसबी की 48 नमूना इकाइयों[35] द्वारा धारित भूमि की सुरक्षा के संदर्भ में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 इकाइयों के मामले में 58.92 लाख वर्ग मीटर भूमि पर कोई बाड़/सीमा दीवार उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा में आगे कहा गया कि पांच इकाइयों, जो 4.20 लाख वर्ग मीटर भूमि मे फैली थी, में से 1.60 लाख वर्ग मीटर भूमि पर बाड़/सीमा दीवार आंशिक थी। विवरण ***अनुलग्नक 18*** में दिए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सीएसआरटीआई मैसूर में 814 मीटर की लंबाई में बाड़/सीमा दीवार को तोड़ दिया गया/क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और आरएसआरएस जोरहाट में 850 मीटर तक बाड़ क्षतिग्रस्त स्थिति में था। सीएसटीआरआई बेंगलुरु के मामले में, बाड़/सीमा दीवार के साथ भूमि का क्षेत्र और बाड़/सीमा दीवार के बिना भूमि का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि भूमि के हिस्से को बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने के बाद उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण/सीमांकन नहीं किया गया था। बीएसएफ बंगुरिया का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि संबंधित इकाइयों के प्रभारियों को क्षतिग्रस्त बाड़/सीमा दीवार की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया था।

जिन मामलों में कोई बाड़/सीमा दीवार नहीं थी, उनके संबंध में प्रबंधन का उत्तर मौन है।

5.1.1 अतिक्रमण

सुरक्षा उपायों की कमी जैसे कि सीमा दीवार/बाड़ की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप निजी पक्षों द्वारा भूमि का अतिक्रमण, सड़क के रूप में भूमि का उपयोग आदि देखा गया। नमूना चयनित इकाइयों के भौतिक दौरे के दौरान, सीएसबी द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों/सूचना और भूमि क्षेत्र के मानचित्रण (गूगल अर्थ एप्लिकेशन का उपयोग करके) के आधार पर, लेखापरीक्षा में छः इकाइयों की 86,768 वर्ग मीटर (21.44 एकड़) की भूमि पर अतिक्रमण देखा गया, जिनका मार्गदर्शन मूल्य[36] ₹6.88 करोड़ से अधिक है, जैसा कि नीचे तालिका में प्रदान किया गया है -

---

[35] ***64 नमूना इकाइयों में से, केवल 48 इकाइयों के पास भूमि है और 16 इकाइयों के पास भूमि नहीं है***

[36] ***मार्गदर्शन मूल्य (या सर्कल रेट) किसी संपत्ति को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम सरकारी निश्चित मूल्य प्रति वर्ग फुट/वर्ग मीटर है।***

तालिका 5.1 - भूमि का अतिक्रमण

क्र.सं.	इकाई का नाम	संस्थान	आबंटित/अधिग्रहीत भूमि का योग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अतिक्रमित भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	मार्गदर्शन मूल्य (₹ प्रति वर्ग मीटर)	अतिक्रमित भूमि का मार्गदर्शन मूल्य (₹ लाख में)
1	बीएसएमटीसी चिन्नूर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	4,79,795	24,686	83.40	20.59
2	आरईसी बीदर	सीएसआरटीआई मैसूर	45,380	1,547	2,000.00	30.94
3	आरएसटीआरएस धर्मवरम	सीएसआरटीआई मैसूर	6,070	923	17,940.00	165.59
4	बीएसएमटीसी मधुपुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	11,09,907	30,230	0	वन भूमि
5	आरईसी टी.कुलेन	सीएमईआरटीआई लाहदोईगढ़	2,42,811	29,178	1,614.59	471.11
6	आरईसी मंगलदोई	सीएसआरटीआई बेरहामपुर	28,328	204	उपलब्ध नहीं कराया गया	
कुल			**19,12,291**	**86,768**		**688.23**

नमूना चयनित इकाइयों के भौतिक दौरे के दौरान देखे गए अतिक्रमण के उदाहरण नीचे दिए गए हैं

क. बीएसएमटीसी चिन्नूर - बीएसएमटीसी चिन्नूर, जो बीटीएसएसओ बिलासपुर के अंतर्गत एक इकाई है, के 22,055 वर्ग मीटर के एक भूखंड पर 4,79,795 वर्ग मीटर भूमि की बाड़ लगाने के अभाव में निजी पक्ष द्वारा अतिक्रमण किया गया है। निजी पक्ष ने अतिक्रमण वाले क्षेत्र को बाड़ से घेर दिया और बिजली के खंभे लगा दिए। अतिक्रमण के मुद्दे को बीएसएमटीसी चिन्नूर द्वारा स्थानीय अधिकारियों, अर्थात पुलिस (फरवरी और जून 2019), विशेष अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ (जुलाई 2019), मंडल राजस्व अधिकारी (जून 2020) और जिला कलेक्टर (जुलाई 2020) के समक्ष उठाया गया था। हालाँकि, इस पर आगे की कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा में बीएसएमटीसी चिन्नूर के 2,631 वर्ग मीटर के एक अन्य भूखंड में पल्ले प्रकृति वनम (ग्राम प्रकृति पार्क) का अस्तित्व भी देखा गया। पल्ले प्रकृति वनम की स्थापना

के लिए भूमि सौंपने/आबंटन से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन का कोई दस्तावेजीकरण नहीं था। दोनों भूखंडों पर अतिक्रमण को संस्थान, अर्थात बीटीएसएसओ बिलासपुर या केंद्रीय कार्यालय के ध्यान में नहीं लाया गया था।

निर्देशांक - अक्षांश - 18.864016°, देशांतर - 79.753219°

चित्र 35 - निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि

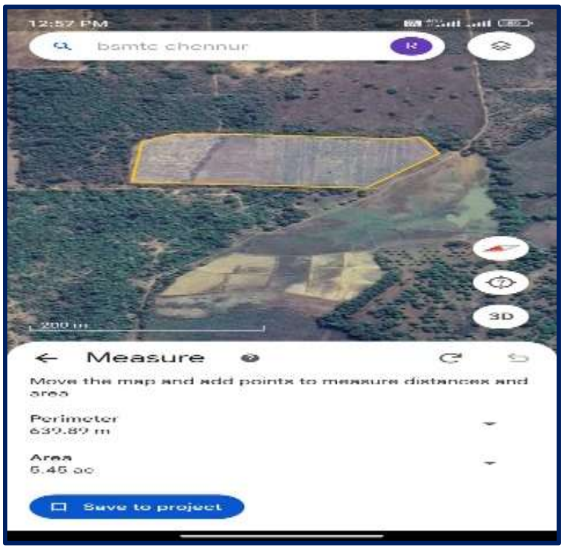

मापा गया क्षेत्र - 5.45 एकड़

चित्र 36 - निजी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के क्षेत्र का मानचित्रण

निर्देशांक - अक्षांश - 18.860989°, देशांतर - 79.765422°

चित्र 37 - पल्ले प्रकृति वनम

मापा गया क्षेत्र - 0.65 एकड़

चित्र 38 - पल्ले प्रकृति वनम के क्षेत्र का मानचित्रण

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई प्रभारी को भूमि सर्वेक्षण करने और अतिक्रमण को रोकने के लिए बाड़ लगाने या गहरी खाई बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए केंद्रीय कार्यालय को एक प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई थी। इसके अतिरिक्त, इकाई प्रभारी को अतिक्रमण के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की भी सलाह दी गई थी।

ख. आरईसी बीदर - लेखापरीक्षा में देखा गया कि इकाई की उत्तरी सीमा पर 7,040 वर्ग फुट भूमि का उपयोग स्थानीय किसानों द्वारा अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए सड़क के रूप में किया जा रहा था। आरईसी बीदर ने सड़क के तौर पर इस्तेमाल हो रही ज़मीन को छोड़ कर, उत्तरी सीमा पर भूमि को घेर लिया था।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि पड़ोसी किसान द्वारा आरईसी बीदर की 9,614 वर्ग फुट (893 वर्ग मीटर) भूमि के अंदर लगभग 16 आम के पेड़ लगाए गए थे और इस सीमा के साथ कोई बाड़ मौजूद नहीं है। आरईसी बीदर ने 2002 और 2015 के बीच, निजी पक्ष/पड़ोसी किसानों द्वारा अतिक्रमण पर केआईएडीबी और स्थानीय अधिकारियों के साथ कई पत्राचार किए लेकिन न तो संस्थान, अर्थात सीएसआरटीआई मैसूर और न ही केंद्रीय कार्यालय को सूचित किया गया था।

निर्देशांक - अक्षांश - 17.914141°, देशांतर - 77.468943°

चित्र 39 - स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सड़क

निर्देशांक - अक्षांश - 17.913298°, देशांतर - 77.468787°

चित्र 40 - पड़ोसी द्वारा लगाए गए आम के पेड़

निर्देशांक - अक्षांश - 17.913319°, देशांतर - 77.469022°

चित्र 41 - पड़ोसी द्वारा लगाए गए आम के पेड़

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इकाई प्रभारी को भूमि सर्वेक्षण पूरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी गई थी।

ग. आरएसटीआरएस धर्मवरम - लेखापरीक्षा में देखा गया कि 6,070 वर्ग मीटर भूमि में से 2,026.39 वर्ग मीटर पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया था और इस क्षेत्र को पूरी तरह से सीमा दीवार से सुरक्षित किया गया था। हालांकि, शेष क्षेत्र, स्टाफ क्वार्टरों के पश्चिमी और पूर्वी तरफ के दो हिस्सों में 1996 से बिना किसी बाड़/सीमा के खाली पड़ा था। रिक्त भूमि में बिजली के खंभे और बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जिसके लिए दस्तावेज़ फाइल में नहीं थे। 923 वर्ग मीटर की दो सड़कों (513 वर्ग मीटर पश्चिमी तरफ और 410 वर्ग मीटर पूर्वी तरफ) का उपयोग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, जो तब से खाली पड़ी अनुपयोगी भूमि में आ गया है।

निर्देशांक - अक्षांश - 14.392781°, देशांतर - 77.710315°

चित्र 42 - पश्चिमी ओर सड़क

निर्देशांक - अक्षांश - 14.39264°, देशांतर - 77.710801°

चित्र 43 - पूर्वी तरफ सड़क बागान और भूमि में विद्युत ट्रांसफार्मर से ढकी हुई है

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि 1.5 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण 12 जुलाई 2024 को किया गया था और यह पता चला था कि कोई अतिक्रमण नहीं था।

आरएसटीआरएस धर्मवरम की खाली भूमि में बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर के निर्माण और सड़कों के अस्तित्व पर प्रबंधन का उत्तर मौन है।

घ. बीएसएमटीसी मधुपुर - प्रभागीय वन कार्यालय (डीएफओ), भागलपुर रेंज ने गांव सलैया और लोहराजोर, मधुपुर, देवघर (झारखंड) में 11,09,243 वर्ग मीटर (274.10 एकड़) वन भूमि सीएसबी को उपयोग करने के लिए आबंटित की (31 मार्च 1982)। सीएसबी द्वारा आबंटित वन भूमि के सर्वेक्षण पर (1982), यह पाया गया कि दोनों गांवों (लोहराजोर और सलैया) में अलग-अलग स्थलों पर 30,230 वर्ग मीटर (7.47 एकड़) भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। सीएसबी ने डीएफओ से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया (6 नवंबर 1982)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीएसबी ने अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की है। हालाँकि, बीएसएमटीसी मधुपुर ने कहा(29 अप्रैल 2024) कि अतिक्रमित की गई भूमि संबंधित जमींदारों की है, और उनके पास पर्याप्त दस्तावेज हैं, जो उन्हें वन विभाग से प्राप्त हुए थे।

तथ्य यह है कि 1982 के बाद सीएसबी द्वारा इस मुद्दे को उचित स्तर पर नहीं उठाया गया था और इस मामले को केवल इकाई स्तर पर ही आगे बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में दस्तावेजीकरण/पत्राचार अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

निर्देशांक - अक्षांश - 24.299801°, देशांतर - 86.669479° | **निर्देशांक - अक्षांश - 24.299801°, देशांतर - 86.669479°** | **निर्देशांक - अक्षांश - 24.290931°, देशांतर - 86.663816°**

चित्र 44 - बीएसएमटीसी मधुपुर में अतिक्रमण

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि प्रभारी को सलाह दी गई कि वे तत्काल इस मुद्दे की समीक्षा करें और अतिक्रमण को रोकने के लिए बिना उपयोग की गई भूमि को प्रभागीय वन अधिकारी, भागलपुर को सौंपने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के विचार और अनुमोदन के लिए केंद्रीय कार्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

ङ. आरईसी तुमुयोन कुलेन (आरईसी टी. कुलेन) - 2.43 लाख वर्ग मीटर (60 एकड़) भूमि के लिए बाड़/सुरक्षा गार्ड की अनुपस्थिति में आरईसी टी. कुलेन की 17,482 वर्ग मीटर (4.32 एकड़) भूमि, जिसका सरकारी मार्गदर्शन मूल्य ₹2.82 करोड़[37] था, का अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण के बाद भी, सीएसबी ने कब्जे वाली भूमि के लिए बाड़/सीमा दीवार का निर्माण नहीं किया है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि मणिपुर सरकार के रेशम उत्पादन विभाग के साथ-साथ स्थानीय जिला प्राधिकरण को कई बार सूचित किया गया था और अतिक्रमण के मामले को संस्थान, अर्थात सीएमईआरटीआई लहदोईगढ़ के ध्यान में लाया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा (मई 2025) कि उपायुक्त, कांगपोकी, मणिपुर ने एक संयुक्त सर्वेक्षण/फील्ड निरीक्षण किया था (अप्रैल 2025) और यह सूचित किया गया था कि 7.21 एकड़ भूमि का उपयोग ग्रामीणों द्वारा बंदोबस्त के लिए किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि संस्थान को सलाह दी गई कि आगे अतिक्रमण से बचने के लिए कब्जे वाली भूमि को तुरंत बाड़ लगाने और बसे हुए ग्रामीणों को बेदखल करने के लिए उपायुक्त के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा गया है।

---

[37] ***4.32 x 43,560 (वर्ग फीट में 1 एकड़) x ₹150 (प्रति वर्ग फीट मार्गदर्शन मूल्य)***

चित्र 45 - अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्माण

चित्र 46 - आरईसी टी. कुलेन में अतिक्रमण

उत्तर से देखा जा सकता है कि अभिलेख के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा अतिक्रमित बताई गई 4.32 एकड़ भूमि के मुकाबले, 29,178 वर्ग मीटर क्षेत्र (7.21 एकड़) जिसका मूल्य ₹4.71 करोड़ [38] है पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

च. आरईसी मंगलदोई - रेशम उत्पादन विभाग (डीओएस), असम सरकार ने 1995 में मंगलदोई में आरईसी की स्थापना के लिए सीएसबी को 28,328 वर्ग मीटर (7 एकड़) पट्टे की भूमि आबंटित किया था। इस भूमि पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 204 वर्ग मीटर का एक उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन था हालांकि इस संबंध में कोई अनुमोदन अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। संस्थान, अर्थात, सीएसआरटीएल बेरहामपुर ने डीओएस से इस मामले को उठाने और अतिक्रमणकारियों द्वारा चल रहे निर्माण कार्य को रोकने का अनुरोध किया (5 अक्टूबर 2023)। हालाँकि, इस संबंध में सीएसबी द्वारा कोई और कार्रवाई नहीं की गई थी और निर्माण कार्य चल रहा था।

निर्देशांक - अक्षांश - 26.420506°, देशांतर - 91.99739°

निर्देशांक - अक्षांश - 26.4205°, देशांतर - 91.997374°

चित्र 47 और 48 - आरईसी मंगलदोई में अवैध निर्माण

---

[38] *7.21 x 43,560 (वर्ग फीट में 1 एकड़) x ₹150 (प्रति वर्ग फीट मार्गदर्शन मूल्य)*

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि निदेशक, सीएसआरटीआई बेरहामपुर को डीओएस, असम सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी कि उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से इकाई की पालन-पोषण गतिविधियां कैसे प्रभावित हो रही हैं।

इकाई की भूमि में निर्माण कार्यों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रबंधन का उत्तर मौन है।

छ. सीटीआरटीआई रांची - बिहार सरकार (अब झारखंड) ने ग्राम पत्राचोली/बशीला, नागरी, रांची में 3.49 लाख वर्ग मीटर (86.31 एकड़) वन भूमि 99 वर्ष के पट्टे के आधार पर सीएसबी को आबंटित की (4 अगस्त 1966) जिस पर एक कार्यालय और सीमा दीवार का निर्माण किया गया था। स्थानीय लोगों ने भूमि में अतिक्रमण किया था (5 फरवरी 2006) और 3' व्यास का एक पक्का मंच बनाया था। सीटीआरटी रांची ने 4,046 वर्ग मीटर (एक एकड़) भूमि सौंपने के लिए स्थानीय लोगों के साथ एक औपचारिक समझौता किया (6 फरवरी 2006)। हालाँकि, इस समझौते के बारे में सीएसबी द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए सूचना का दस्तावेजीकरण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि सीटीआरटीआई रांची द्वारा समझौते करना और भूमि सौंपना पट्टा विलेख के अनुरूप नहीं था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अनुदानग्राही, अनुदाता द्वारा कानून या लिखित अनुमति के बिना, उक्त ज़मीन या उसके किसी हिस्से का कब्ज़ा किसी और को नहीं सौंपेगा या उसका हस्तांतरण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह पता चले कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और राज्य सरकार की अनुमति से समझौता किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि स्थानीय पुलिस स्टेशन, नागरी में पहले ही एक पुलिस शिकायत कर दी गई थी। उपायुक्त, रांची और सर्कल ऑफिसर, नागरी ब्लॉक, नागरी, रांची को भी अवगत कराया गया। लेकिन राज्य प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इकाई प्रभारी से अनुरोध किया गया कि वे पत्राचार को केंद्रीय कार्यालय को भेजें ताकि आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

सीएसबी ने अतिक्रमण की रिपोर्टिंग की प्रणाली स्थापित करने और मुद्दों को समय पर उचित स्तर के समक्ष उठाने के लेखापरीक्षा सुझाव को स्वीकार किया (जनवरी 2025)। इसके अतिरिक्त, सीएसबी ने इकाई/संस्थान स्तर पर बंदोबस्त/समझौते को करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया

अनुशंसा # 8: सीएसबी भूमि के अतिक्रमण को रोकने और सुरक्षा के लिए भूमि में बाड़ लगाने/सीमा दीवार बनाने का काम करे।

5.2 कब्जे से बाहर की भूमि

लेखापरीक्षा में समीक्षा के लिए चयनित सीएसबी इकाइयों में से कोई भी इकाई नवीनतम सर्वेक्षण, जो पिछले पांच वर्षों की अवधि 2018 से 2023 के दौरान आयोजित किया गया था, के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। नवीनतम सर्वेक्षण दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ने उपलब्ध दस्तावेजों, जैसे कि बिक्री विलेख, हस्तांतरण दस्तावेज, पट्टा विलेख, संपत्ति रजिस्टर आदि की समीक्षा की और नमूना इकाइयों के भौतिक दौरे के दौरान भूमि क्षेत्र की मैपिंग (गूगल अर्थ एप्लिकेशन का उपयोग करके) की और देखा कि चार सीएसबी इकाइयों के पास 2,30,264 वर्ग मीटर (56.90 एकड़) भूमि का कब्जा नहीं था, जिसका मार्गदर्शन मूल्य ₹113.10 करोड़ है, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तालिका 5.2 - कब्जे से बाहर भूमि

क्र.सं.	इकाई का नाम	संस्थान	आबंटित/अधिग्रहीत भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कब्जे से बाहर भूमि का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	मार्गदर्शन मूल्य (₹ प्रति वर्ग मीटर)	कब्जे से बाहर भूमि का मार्गदर्शन मूल्य (₹ लाख में)
1	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	एनएसएसओ बेंगलुरु	36,422	12,909	2,000	258.18
2	एसएसटीएल कोडाथी	एनएसएसओ बेंगलुरु	5,01,305*	13,961#	14,000	1954.54
3	सीएसआरटीआई मैसूर	सीएसआरटीआई मैसूर	6,80,276	39,052	20,000 एवं 9,000	6,443.87[39]
4	आरईसी टी. कुलेन	सीएमईआरटीआई लाहदोईगढ़	2,42,811	1,64,342$	1,614.59	2,653.45
कुल			**14,60,814**	**2,30,264**		**11,310.04**

* इसमें आरएसआरएस कोडाथी से संबंधित भूमि का 2,70,775.13 वर्ग मीटर सम्मिलित है।

\# लेखापरीक्षा अवलोकन जारी करने के बाद तालुका सर्वेयर के साथ गूगल मैपिंग के आधार पर डिजिटल सर्वेक्षण के संचालन पर सीएसबी द्वारा चिह्नित बाड़ के बाहर की भूमि क्षेत्र से यह पता चलता है कि इकाई के कब्जे में 29,765 वर्ग मीटर नहीं था।

$ सर्वेक्षण के संचालन पर सीएसबी द्वारा पहचाने गए कब्जे में भूमि का क्षेत्रफल 78,469 वर्ग मीटर था। इसलिए, शेष भूमि (अर्थात 2,42,811 वर्ग मीटर में से 78,469 वर्ग मीटर घटाकर) को कब्जे में नहीं माना जाता है।

क. बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी - तहसीलदार, कोनिगल ने चिक्कमलवाड़ी गांव में सीएसबी को 36,422 वर्ग मीटर (9 एकड़) भूमि आबंटित की (31 जुलाई 1986) जिसमें उसने बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी की स्थापना की। इकाई को बंद कर दिया गया (14 जुलाई 2020)

[39] *(₹ 20,000 x 26,629 वर्ग मीटर) धन (₹ 9,000 x 12,423 वर्ग मीटर)*

और सीएसबी ने रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक सरकार से भूमि का कब्जा वापस लेने का अनुरोध किया (23 अप्रैल 2021)। दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला कि बिना उचित दस्तावेज़ के सीएसबी का कहना था कि बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी में भूमि 36,422 वर्ग मीटर (9 एकड़) के स्थान पर 30,351 वर्ग मीटर (7.5 एकड़) थी। इकाई के भौतिक दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इकाई के कब्जे वाली भूमि को दो भागों में बाड़ लगाई गई थी जिसमें दो भागों के बीच एक टार सड़क थी, जिसका उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा था और यह सीएसबी के कब्जे में नहीं था। लेखापरीक्षा द्वारा भूमि क्षेत्र के मानचित्रण से पता चला कि बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी के कब्जे में भूमि का बाड़ वाला क्षेत्र 23,513 वर्ग मीटर (5.81 एकड़) था, जबकि उन्हें कुल 36,422 वर्ग मीटर (9 एकड़) ज़मीन आबंटित की गई थी (जुलाई 1986 में), जिससे यह पता चलता है कि आबंटित ज़मीन में से 12,909 वर्ग मीटर (3.19 एकड़) ज़मीन उनके कब्ज़े में नहीं थी।

मापा गया क्षेत्र - 3.02 एकड़

चित्र 49 - बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी के सामने वाले हिस्से के भूमि क्षेत्र का मानचित्रण

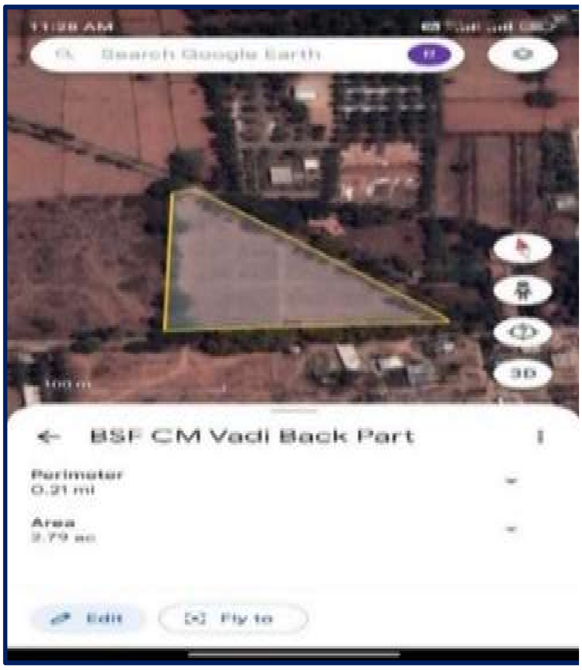

मापा गया क्षेत्र - 2.79 एकड़

चित्र 50 - बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी के पिछले हिस्से के भूमि क्षेत्र का मानचित्रण

प्रबंधन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

ख. एसएसटीएल कोडाथी - सीएसबी ने 5.01 लाख वर्ग मीटर (123.875 एकड़ या 123 एकड़ 35 गुंटा) भूमि का अधिग्रहण किया (अगस्त 1981) और दो इकाइयां, अर्थात, एसएसटीएल कोडाथी और आरएसआरएस कोडाथी स्थापित की गईं। सीएसबी ने कहा (26 दिसंबर 2023) कि सीमाओं का सीमांकन और भूमि सर्वेक्षण जल्द ही किया जाएगा। एसएसटीएल कोडाथी के भौतिक दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो इकाइयों से

संबंधित दो भूखंडों की कुल भूमि में बाड़/सीमा दीवार का निर्माण किया गया था जिसमें दो इकाइयों के बीच से गुजरने वाली सड़क/रेलवे ट्रैक थी। भूमि क्षेत्र के मानचित्रण से पता चला कि दो इकाइयों के कब्जे वाली भूमि का बाड़/सीमा दीवार क्षेत्र 5.01 लाख वर्ग मीटर (123.875 एकड़) अधिग्रहीत भूमि के विरुद्ध केवल 4.72 लाख वर्ग मीटर (116.52 एकड़) था जो अधिग्रहीत भूमि का 29,765 वर्ग मीटर (7.355 एकड़) के गैर-कब्जे को इंगित करता है।

मापा गया क्षेत्र - 31.99 एकड़

चित्र 51 - एसएसटीएल कोडाथी के भूमि क्षेत्र का मानचित्रण

मापा गया क्षेत्र - 84.53 एकड़

चित्र 52- आरएसआरएस कोडाथी के भूमि क्षेत्र का मानचित्रण

मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा (मई 2025) कि फरवरी 2025 के दौरान तालुका सर्वेयर, बेंगलुरु पूर्व द्वारा एक डिजिटल सर्वेक्षण किया गया था और यह बताया गया था कि 120 एकड़ 17 गुंटा सीएसबी के कब्जे में था और 3 एकड़ 12 गुंटा सड़क का हिस्सा था और छः गुंटा को गजट अधिसूचना में अतिरिक्त रूप से दिखाया गया था।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि 3 एकड़ 12 गुंटा (13,961 वर्ग मीटर) भूमि, अर्थात सड़क का हिस्सा सीएसबी की बाड़ के बाहर था और इसे उनके कब्जे में नहीं माना जा सकता, खासकर इसलिए क्योंकि सड़क के हिस्से के लिए भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह दावा कि राजपत्र अधिसूचना में 6 गुंटा अतिरिक्त दिखाया गया था, आवश्यक सुधार करने के लिए राज्य सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए।

ग. सीएसआरटीआई मैसूर - रेशम उत्पादन विभाग, जीओके द्वारा विद्यारण्य पुरम फार्म, मैसूर में सीएसआरटीआई मैसूर को 85,995 वर्ग मीटर (21.25 एकड़) भूमि पट्टे पर दिया गया (1963)। इकाई के भौतिक दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा ने भूमि का मानचित्रण किया और देखा कि केवल 73,572 वर्ग मीटर (18.18 एकड़) भूमि उसके कब्जे में थी जो 12,423 वर्ग मीटर (3.07 एकड़) भूमि के गैर-कब्जे का संकेत देती है।

सीएसआरटीआई मैसूर ने भी श्रीरामपुरा, मैसूर में 5.94 लाख वर्ग मीटर (146.85 एकड़) भूमि खरीदी थी (1963 से 2000 के दौरान)। इस भूमि में से, सीएसआरटीआई मैसूर ने 29,420 वर्ग मीटर (7.27 एकड़) भूमि बेची [40] और सौंप दी[41] जिससे 5.65 लाख वर्ग मीटर (139.58 एकड़) भूमि उनके पास बरकरार रही। हालाँकि, सीएसआरटीआई मैसूर ने कहा कि श्रीरामपुरा में कब्जे वाली भूमि 5.38 लाख वर्ग मीटर (133 एकड़) थी।

उपरोक्त से पता चलता है कि सीएसआरटीआई मैसूर के पास 6.51 लाख वर्ग मीटर (160.83 एकड़ {21.25 एकड़ + 139.58 एकड़}) की उपलब्ध भूमि के विरुद्ध 6.12 लाख वर्ग मीटर (151.18 एकड़ {18.18 एकड़ + 133 एकड़}) का कब्ज़ा था, जिससे यह पता चलता है कि सीएसआरटीआई मैसूर के पास 39,052 वर्ग मीटर (9.65 एकड़ {160.83 एकड़ - 151.18 एकड़}) भूमि पर कब्जा नहीं है।

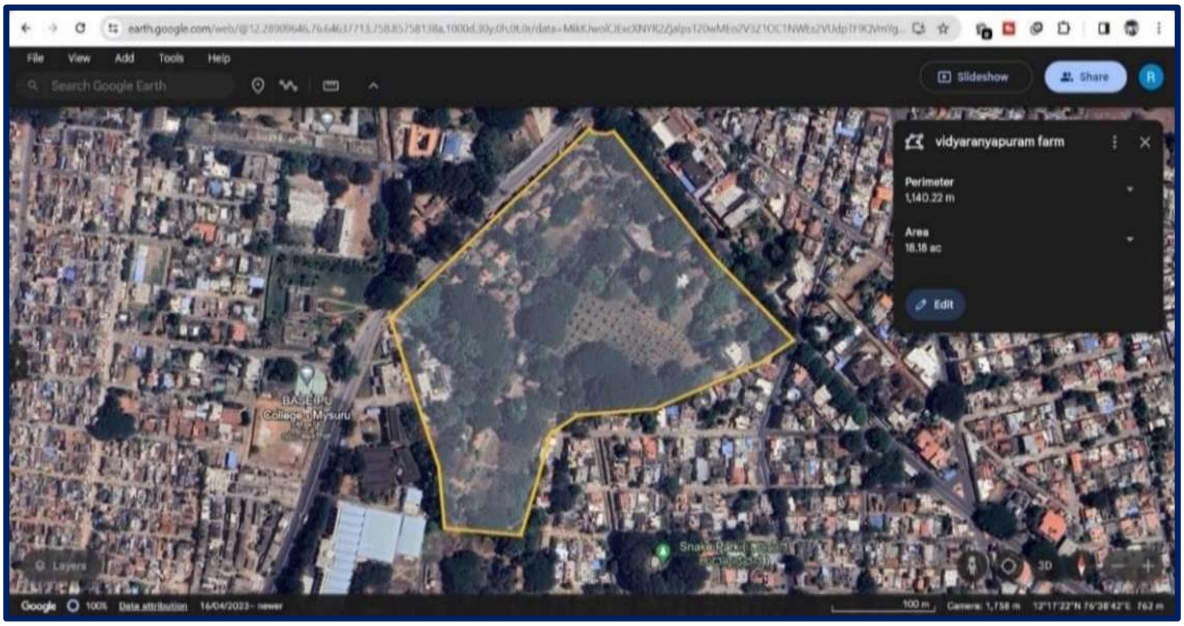

मापा गया क्षेत्र - 18.18 एकड़

चित्र 53 - वीपी फार्म, सीएसआरटीआई मैसूर में भूमि क्षेत्र का मानचित्रण

---

[40] ***सीएसआरटीआई मैसूर ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि का 21,529 वर्ग मीटर (5.32 एकड़) बेचा।***

[41] ***सीएसआरटीआई मैसूर ने वरुणा नहर को 7,891 वर्ग मीटर (1.95 एकड़) भूमि सौंपी।***

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि सीएसआरटीआई मैसूर के निदेशक को सभी संबंधित दस्तावेजों को केंद्रीय कार्यालय को भेजने की सलाह दी गई थी ताकि मामले को केंद्रीय कार्यालय से आगे बढ़ाया जा सके।

घ. आरईसी टुमुयोन कुलेन (आरईसी टी. कुलेन) - आरईसी टी. कुलेन ने कहा (जनवरी 2024) कि आबंटित भूमि के 2.43 लाख वर्ग मीटर (60 एकड़) के विरुद्ध केवल 1.34 लाख वर्ग मीटर (33 एकड़) भूमि उपलब्ध थी और शेष 1.09 लाख वर्ग मीटर (27 एकड़) भूमि की अनुपलब्धता के लिए कोई कारण नहीं बताया गया। 1.34 लाख वर्ग मीटर (33 एकड़) की उपलब्ध भूमि में से 22,986 वर्ग मीटर (5.68 एकड़) को राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार के कारण प्रभावित बताया गया था, लेकिन इस संबंध में दस्तावेज अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, 1.32 लाख वर्ग मीटर (32.68 एकड़) भूमि जिसका मार्गदर्शन मूल्य ₹21.35 करोड़[42] था, इकाई के कब्जे में नहीं था।

मंत्रालय ने प्रबंधन की प्रतिक्रिया का समर्थन करते हुए कहा (मई 2025) कि उपायुक्त, कांगपोकी, मणिपुर ने एक संयुक्त सर्वेक्षण/क्षेत्र निरीक्षण किया था (अप्रैल 2025) और यह सूचित किया गया था कि सीएसबी के कब्जे में केवल 19.39 एकड़ है। 19.39 एकड़ भूमि में से, 3.75 एकड़ भूमि को चार लेन सड़क विस्तार के लिए सौंपा गया था और 7.21 एकड़ भूमि का उपयोग ग्रामीणों द्वारा बंदोबस्त के लिए किया जा रहा था। संस्थान को आगे किसी अतिक्रमण से बचने के लिए तुरंत भूमि में बाड़ लगाने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय का उत्तर 40.61 एकड़ (1,64,342 वर्ग मीटर) की शेष भूमि जिसका मार्गदर्शन मूल्य ₹26.53 करोड़ था, जो सीएसबी के कब्जे में नहीं था, के बारे में मौन था। इसके अतिरिक्त, सीएसबी के कब्जे में बताई गई 19.39 एकड़ भूमि में से, केवल 8.43 एकड़ भूमि (अर्थात, 19.39 - 3.75 - 7.21) सीएसबी के कब्जे में थी।

सीएसबी ने कुल आवंटित/अधिग्रहीत भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए तथा सर्वेक्षण करने हेतु तत्काल कार्रवाई करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार किया।

---

[42] *32.68 एकड़ x 43,560 (वर्ग फीट में 1 एकड़) x ₹150 (प्रति वर्ग फीट मार्गदर्शन मूल्य)।*

अध्याय - 6

सीएसबी में निगरानी तंत्र

अध्याय 6: सीएसबी में निगरानी तंत्र

6.1 सीएसबी द्वारा भूमि और संपत्ति का भौतिक सत्यापन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीएसबी ने इकाइयों/संस्थानों/केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध भूमि, भवनों और आधारभूत संरचना का भौतिक सत्यापन नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि डेड स्टॉक वस्तुओं और पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन किया गया था, लेकिन भूमि और भवनों से संबंधित प्रासंगिक विवरण जैसे क्षेत्र, मूल्य आदि को सत्यापन रिपोर्ट की जांचसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि संस्थानों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा बताई गई भूमि क्षेत्र में अंतर था, हालांकि, सीएसबी ने भूमि/भवनों का कोई मिलान नहीं किया है। इस मुद्दे को लेखापरीक्षा द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सीएसबी के वित्तीय विवरणों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में उठाया गया है। साथ ही यह मुद्दा परिसंपत्ति रजिस्टरों के रखरखाव में देखी गई कमियों और उचित सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण भी महत्व रखता है, जैसा कि **पैरा संख्या 3.4** और **5.1** पर टिप्पणी की गई है।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि लेखे का एकसमान प्रारूप केवल भूमि और भवनों के मूल्य को ध्यान में रखने का आदेश देता है और कब्जे के अंतर्गत भूमि के क्षेत्र की अनिवार्य पुष्टि का आदेश नहीं देता है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाए कि भूमि का मूल्य भूमि के क्षेत्र पर निर्भर करता है और इसलिए, सीएसबी को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर भूमि के क्षेत्र का भौतिक सत्यापन करना आवश्यक था, जो लेखे में भूमि मूल्य का सटीक चित्रण करने में सक्षम होगा।

6.1.1 सीएसबी के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की भूमिका

आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका में संस्थान में परिसंपत्ति रजिस्टरों का सत्यापन और वार्षिक लेखे के आंकड़ों के साथ उनका मिलान सम्मिलित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने इकाइयों की संपत्ति (अर्थात, भूमि और भवन), अतिक्रमण/विवाद, भूमि का गैर-सर्वेक्षण और भवनों के गैर-भौतिक सत्यापन आदि के अपर्याप्त दस्तावेजीकरण पर टिप्पणी/रिपोर्ट नहीं की है, जो संपत्ति रजिस्टर की तैयारी/अद्यतन का आधार बनाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने सूचित किया कि भूमि/भवन/अप्रयुक्त खाली भूमि/विवादित

भूमि/अतिक्रमण की गई भूमि के भौतिक सत्यापन के संबंध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और इसे केंद्रीय कार्यालय में संबंधित अनुभाग द्वारा निपटाया जाना था। यह इंगित करता है कि सीएसबी की भूमि और संपत्ति के सत्यापन के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को सीएसबी में भूमि और संपत्ति प्रबंधन पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है।

सीएसबी ने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के दायरे में स्वामित्व दस्तावेजों के सत्यापन, सुरक्षा उपायों के प्रावधान, अतिक्रमण और भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स की स्थिति को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करने के लिए लेखापरीक्षा सुझाव को स्वीकार किया (जनवरी 2025)।

6.1.2 लाभार्थियों द्वारा खरीदी/बनाई गई परिसंपत्तियां

सीएसबी के माध्यम से वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा खरीदी गई/बनाई गई संपत्तियों का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा सीएसबी द्वारा जारी योजना निधि के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियों पर सीएसबी द्वारा निरीक्षण की प्रणाली के साथ-साथ ऐसी परिसंपत्तियों के सुरक्षा उपायों पर टिप्पणी नहीं कर सका।

हालांकि लाभार्थियों द्वारा बनाई गई संपत्तियों की सूची 11 नवंबर 2024 को निकास सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा के अनुसार लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन जनवरी 2025 में प्रस्तुत प्रबंधन प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में या अन्यथा कोई भी अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

अनुशंसा # 9: सीएसबी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सीएसबी फंड के माध्यम से लाभार्थियों द्वारा बनाई गई संपत्तियों के विवरण को समय-समय पर निरीक्षण और अधिदेश के अनुसार ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा के साथ रिकार्ड करने, बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए एक तंत्र तैयार करे।

6.2 नियामक बोर्ड द्वारा निरीक्षण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नियामक बोर्ड की देखरेख में इस हद तक कमी थी कि सीएसबी के वार्षिक लेखे को संस्थानों/अंतर्निहित इकाइयों से भूमि/भवनों/संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट किए गए आंकड़े के सही होने के न्यूनतम आश्वासन के बिना अनुमोदित किया जा रहा था; सुरक्षित अभिरक्षा, उपयोग, समय-समय पर सर्वेक्षण/सत्यापन, रिपोर्टिंग आदि के लिए दस्तावेज़ीकरण और दिशा-निर्देश निर्धारित करने वाली कोई संपत्ति प्रबंधन नीति नहीं

थी। इस प्रकार, सीएसबी में संपत्ति प्रबंधन की देखरेख के लिए केंद्रीय कार्यालय में कोई समर्पित विभाग/प्रकोष्ठ नहीं था। संस्थानों और केंद्रीय कार्यालय के पास अतिक्रमण के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी क्योंकि अंतर्निहित इकाई द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई थी।

इसलिए, लेखापरीक्षा का मानना है कि सीएसबी के नियामक बोर्ड को सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए और अपने कब्जे में संपत्ति के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्देश देना चाहिए।

इस विषय पर 11 नवंबर 2024 को आयोजित निकास सम्मेलन में चर्चा की गई जिसमें सीएसबी ने कहा कि वह सुधारात्मक कार्रवाई करने और केंद्रीय रेशम बोर्ड के कब्जे वाली संपत्ति के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश देने के लिए नियामक बोर्ड के मौजूदा तंत्र की समीक्षा करेगा।

अनुशंसा # 10: नियामक बोर्ड समय-समय पर सीएसबी के संपत्ति प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक तंत्र तैयार करे जिसमें उसके कब्जे में संपत्ति के हक और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अध्याय - 7

निष्कर्ष

अध्याय 7: निष्कर्ष

सीएसबी ने अपनी भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स की अभिलेखित करने, रखरखाव, सुरक्षा आदि पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कोई भूमि और संपत्ति प्रबंधन नीति/नियमावली तैयार नहीं की है। 31 मार्च 2024 तक सीएसबी के पास संपत्ति प्रबंधन की गतिविधियों की देखरेख के लिए कोई संपदा विभाग नहीं था। सीएसबी के पास इसके द्वारा रखी गई भूमि/भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स के संबंध में कोई सूचना प्रणाली (आईएस) नहीं थी और सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) पोर्टल में भूमि डेटा को अद्यतित करके सभी इकाइयों के लिए उचित भूमि डेटा का रखरखाव नहीं किया गया था। सीएसबी ने इकाइयों/संस्थानों/केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध भूमि, भवनों और आधारभूत संरचना का भौतिक सत्यापन नहीं किया। संस्थानों और केंद्रीय कार्यालय द्वारा बताई गई भूमि क्षेत्र में अंतर था हालांकि, सीएसबी ने भूमि/भवनों का कोई मिलान नहीं किया है।

लेखापरीक्षा में (i) परिसंपत्ति रजिस्टर के रखरखाव/समय-समय पर अद्यतन न करने; (ii) स्वामित्व/विक्रय विलेख/खाता/पट्टा का अभाव; (iii) सर्वेक्षण का अभाव; (iv) खाली/निष्क्रिय पड़े इकाइयों के कब्जे में भूमि; (v) वैध पट्टा व्यवस्था के बिना किराए पर दी गई संपत्ति; (vi) भवनों/स्टाफ क्वार्टर्स के समय-समय पर निरीक्षण और रखरखाव का अभाव; (vii) बंद/विलय की गई इकाइयों की भूमि/भवनों/क्वार्टरों की सुरक्षा/उपयोग के लिए प्रणाली का अभाव; (viii) अतिक्रमण की रिपोर्टिंग के लिए सही प्रणाली का अभाव; और (ix) भूमि के कब्जे का अभाव देखा गया।

सीएसबी में भूमि और संपत्ति प्रबंधन पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए भूमि और संपत्ति के सत्यापन से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को आंतरिक लेखापरीक्षा को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, सीएसबी द्वारा प्रस्तुत इकाइयों की सूचियाँ गलत और व्यापक नहीं थीं। इसलिए, लेखापरीक्षा सीएसबी की कार्यात्मक और बंद इकाइयों की वास्तविक संख्या की पुष्टि करने में असमर्थ था।

केंद्रीय कार्यालय और संस्थानों द्वारा सूचित भूमि डेटा पर लेखापरीक्षा में देखी गई विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे पाया कि सीएसबी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से संकलित सभी सीएसबी इकाइयों द्वारा धारित भूमि 217.82 लाख वर्ग मीटर भूमि का विवरण व्यापक और सटीक था। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमण, भूमि सर्वेक्षण न करने और नमूना चयनित इकाइयों में देखी गई भूमि पर कब्जा न होने के कारण इकाइयों के कब्जे में सटीक भूमि को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

सीएसबी नियामक बोर्ड ने सूचना के अभिलेखन, स्वामित्व दस्तावेजों को रखने, संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा, सर्वेक्षण/अतिक्रमण पर समय-समय पर रिपोर्टिंग की अनुपस्थिति आदि

में पाई गई कमियों के बावजूद सीएसबी की संपत्ति प्रबंधन के मामलों की निगरानी नहीं की।

सीएसबी ने 11 नवंबर 2024 को आयोजित निकास सम्मेलन के दौरान, आम तौर पर सभी अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि प्रत्येक अनुशंसा से संबंधित विवरणों का इकाइयों से सत्यापन करने के बाद मौजूदा तंत्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें लागू किया जाएगा। ***इस संबंध में, लेखापरीक्षा का सुझाव है कि यह अभ्यास सभी सीएसबी इकाइयों में किया जाए और केवल लेखापरीक्षा नमूने तक ही सीमित न रखा जाए।***

अंत में, अभिलेख की अनुपलब्धता और कुछ दस्तावेजों के न होने के साथ-साथ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में अशुद्धियों और सीएसबी में उपलब्ध परिसंपत्तियों और आधारभूत संरचना से संबंधित केंद्रीय कार्यालय/संस्थानों/इकाइयों में अपर्याप्त डेटा के रखरखाव को देखते हुए, लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ***सीएसबी के लिए यह आवश्यक है कि वह इकाइयों/संस्थानों/केंद्रीय कार्यालय द्वारा रखी गई संपत्ति को अभिलेखित करने, बनाए रखने, अद्यतन करने और अंत में रिपोर्ट करने के लिए एक व्यापक योजना स्थापित करे और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर गतिविधियों की देखरेख और समन्वय के लिए जिम्मेदारी तय करे ताकि नियामक बोर्ड को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए विवरण समय-समय पर दिया किया जा सके। नियामक बोर्ड सीएसबी के कब्जे वाली संपत्ति के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए भी कदम उठाए एवं निर्देश दे।***

नई दिल्ली
दिनांक: 04 अगस्त 2026

(आनंद मोहन बजाज)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
(वाणिज्यिक एवं रिपोर्ट केंद्रीय)
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 04 अगस्त 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संक्षिप्ताक्षर

संक्षिप्ताक्षर

क्र.सं.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप	क्र.सं.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
1	एसीई	सहायक आयुक्त, बंदोबस्ती	15	सीएसडी	रेशम विकास केंद्र
2	बीबीएमपी	बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका	16	सीएसपी	शीत भंडारण संयंत्र
3	बीडीए	बैंगलोर विकास प्राधिकरण	17	सीएसआरटीआई	केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
4	बीआईएडीए	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण	18	सीएसटीआरआई	केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान
5	बीएमआरसीएल	बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19	सीटीआरटीआई	केंद्रीय तसर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान
6	बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20	सीटीएसएसएस	केंद्रीय तसर रेशमकीट बीज स्टेशन
7	बीएसएफ	मूल बीज फार्म	21	डीएफएल	रोग मुक्त लेइंग्स
8	बीएसएमटीसी	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	22	डीएफओ	विभागीय वन अधिकारी
9	बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड	23	डीओएस	रेशम उत्पादन विभाग
10	बीटीएसएसओ	बेसिक तसर रेशमकीट बीज संगठन	24	एफआरसी	उचित किराया प्रमाण पत्र
11	सीएमसी	चित्तूर नगर निगम	25	जीएलआईएस	सरकारी भूमि सूचना प्रणाली
12	सीएमईआरटीआई	केंद्रीय मूगा एरी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	26	जीपीएस	वैश्विक अवस्थिति प्रणाली
13	सीपीडब्ल्यूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	27	एचआरए	मकान किराया भत्ता
14	सीएसजीआरसी	केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र	28	आईएसडीएसआई	रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना

29	आईएसपीईसी	भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद	46	आरएसआरएस	क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र
30	जेएसईबी	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	47	आरएसटीआरएस	क्षेत्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र
31	केआईएडीबी	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	48	एसबीआरएल	सेरी बायोटेक रिसर्च लेबोरेटरी
32	एमआईएस	सूचना प्रबंधन प्रणाली	49	एससीपीसी	रेशम कोकून खरीद केंद्र
33	एमओटी	वस्त्र मंत्रालय	50	सेरिफ़ेड	रेशम उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड
34	एमओयू	समझौता ज्ञापन	51	एसकेएलटीएसएचयू	श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय
35	एमआरओ	मंडल राजस्व अधिकारी	52	एसएमओआई	भारत का रेशम चिह्न संगठन
36	एमईएसएसओ	मूगा एरी रेशमकीट बीज संगठन	53	एसआरओ	उप-पंजीयक कार्यालय
37	एमयूडीए	मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण	54	एसएससी	बीज सेवा केंद्र
38	एनएयू	नवासारी कृषि विश्वविद्यालय	55	एसएसपीसी	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र
39	एनएसएसओ	राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन	56	एसएसटीएल	रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला
40	पीपीसी	पायलट प्रोजेक्ट सेंटर	57	एसएसयू	बीज सेवा इकाई
41	पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग	58	एसटीएस	रेशम उत्पादन प्रशिक्षण स्कूल
42	आरडीओ	क्षेत्रीय विकास कार्यालय	59	एसटीएससी	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर
43	आरईसी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	60	एसयू	उप इकाई
44	आरएमबी	कच्चा माल बैंक	61	टी. कुलेन	तुमुयोन कुलेन
45	आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय	62	जेडएसएसओ	क्षेत्रीय रेशमकीट बीज संगठन

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1

समीक्षा के लिए चयनित नमूनाकृत इकाइयों की सूची

(संदर्भ पैरा संख्या 1.3)

क्र.सं.	कार्यात्मक इकाई का नाम
1	बीएसएफ अडोकिगिरी
2	बीएसएमटीसी अंबिकापुर
3	सीएसटीआरआई बेंगलुरु
4	एसएसपीसी बेंगलुरु
5	आरएसआरएस बारीपदा
6	बीएसएमटीसी बारीपदा
7	बीएसएमटीसी भंडारा
8	आरएसआरएस भीमताल
9	आरईसी बीदर
10	बीएसएमटीसी बोड़रदादर
11	बीएसएमटीसी चिन्नूर
12	एसएसपीसी चिंतामणि
13	एसएसपीसी देहरादून
14	बीएसएफ धर्मपुरा
15	आरएसटीआरएस धर्मवरम
16	बीएसएफ गवीमाता
17	बीएसएफ हाहिम
18	एसएसपीसी हिन्दूपुर
19	आरओ हैदराबाद
20	आरएसआरएस जम्मू
21	आरएसआरएस जोरहाट
22	एसएसपीसी जोरहाट
23	एसएसपीसी केआर नगर
24	बीएसएफ कर्णसुबर्णा
25	बीएसएमटीसी केओन्झर
26	एसएसटीएल कोडाथी
27	आरईसी लैम्बरी
28	एसएसपीसी मदनपल्ले
29	बीएसएमटीसी मधुपुर
30	आरईसी मंगलदोई
31	सीएसआरटीआई मैसूर
32	बीएसएफ पलक्कड़
33	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहारा
34	बीएसएफ पारिगी
35	बीएसएफ पूर्णिया
36	एसएसपीसी रामनगरम
37	सीटीआरटीआई रांची
38	आरएसआरएस सहसपुर
39	आरएसआरएस सेलम
40	आरईसी टी. कुलेन
41	एरी बीएसएफ टोपाटोली
42	बीएसएफ तुरा
43	एसएसपीसी उधमपुर

क्र.सं.	बंद/विलय की गई इकाई का नाम
1	बीएसएफ बंगुरिया
2	आरईसी भद्रासी
3	आरईसी बुरहानपुर
4	आरईसी चक्रधरपुर
5	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी
6	सीटीसी कोयंबटूर
7	जेडएसएसओ देहरादून
8	सीएसपी होसुर
9	एसएससी/एससीपीसी केआर पेट

क्र.सं.	बंद/विलय की गई इकाई का नाम
10	बीएसएफ कलीमोपोंग
11	आरईसी कनकपुरा
12	एमईएसडीपी किशनगंज
13	आरईसी मदकसिरा
14	आरओ मुंबई
15	सीएसपी मैसूर
16	बीएसएफ नागामंगला
17	सीडीसी सहरसा
18	आरएसआरएस शादनगर
19	आरईसी सूर्यपेट
20	एसएसपीसी तिरुपत्तूर
21	सीसी वाराणसी

अनुलग्नक 2

केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भूमि धारिता का विवरण

(संदर्भ पैरा संख्या 2.1.1)

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
1	अंबरी फालाकाटा	मूल बीज फार्म - पी3	एनएसएसओ बेंगलुरु	1,63,007.38	संस्थान	कार्यात्मक
2	अदोकिगिरी	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	68,227.00	संस्थान	कार्यात्मक
3	अगरतला	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	11,331.20	संस्थान	कार्यात्मक
4	आइजॉल	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	4,046.85	केंद्रीय कार्यालय	कार्यात्मक
5	अमरावती	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
6	अंबिकापुर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	8,00,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
7	अनंतपुर	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	1,64,828.61	संस्थान	कार्यात्मक
8	औरंगाबाद	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
9	बागमारा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	9,833.86	संस्थान	कार्यात्मक
10	बालाघाट	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	8,00,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
11	बेंगलूरु	केंद्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	0	केंद्रीय कार्यालय	कार्यात्मक
12	बेंगलूरु	केंद्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	29,079.40	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
13	बेंगलुरु (कोडाथी)	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	2,70,775.40	संस्थान	कार्यात्मक
14	बेंगलुरु (कोडाथी)	सेरी बायोटेक रिसर्च लेबोरेटरी	केंद्रीय कार्यालय	0	एसबीआरएल कोडाथी	कार्यात्मक
15	बेंगलूरु	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	सीएसटीआरआई बेंगलुरु में शामिल क्षेत्र	कार्यात्मक
16	बेंगलूरु	राष्ट्रीय रेशमकीट बीज संगठन	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक
17	बारामती	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
18	बारीपदा	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	55,199.17	संस्थान	कार्यात्मक
19	बारीपदा	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	1,80,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
20	बस्तर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	9,96,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
21	बस्ती	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	कार्यात्मक
22	बेरहामपुर	केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	2,29,618.61	संस्थान	कार्यात्मक
23	बेरहामपुर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	7,203.40	संस्थान	कार्यात्मक
24	भागलपुर	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	6,070.29	केंद्रीय कार्यालय	कार्यात्मक
25	भंडारा	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	11,34,000.00	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
26	भंडारा	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	60,702.90	संस्थान	कार्यात्मक
27	भांद्रा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	45,931.82	संस्थान	कार्यात्मक
28	भीमताल	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	10,319.00	संस्थान	कार्यात्मक
29	बीदर	अनुसंधान विस्तार केंद्र - उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	47,833.89	संस्थान	कार्यात्मक
30	बिलासपुर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	40,468.56	संस्थान	कार्यात्मक
31	बिलासपुर	बेसिक तसर रेशमकीट बीज संगठन	बीटीएसएसओ बिलासपुर	0	संस्थान	कार्यात्मक
32	बिलासपुर	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	उपलब्ध नहीं कराया गया		कार्यात्मक
33	बोइरदादर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	11,78,100.00	संस्थान	कार्यात्मक
34	बोको	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	2,02,343.00	संस्थान	कार्यात्मक
35	चायबासा	कच्चा माल बैंक	सीटीआर और टीआई रांची	2,104.28	संस्थान	कार्यात्मक
36	चक्रधरपुर	मूल बीज फार्म - पी4	सीटीआर और टीआई रांची	13,476.04	संस्थान	कार्यात्मक
37	चंपा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	50,585.75	संस्थान	कार्यात्मक
38	चामराजनगर	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	56,656.04	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
39	चेन्नई	भारत का रेशम चिह्न संगठन	केंद्रीय कार्यालय	0	एसएमओआई चेन्नई	कार्यात्मक
40	चिन्नूर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	4,80,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
41	चिंतामणि	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	8,093.71	संस्थान	कार्यात्मक
42	चित्रदुर्ग	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	28,328.02	संस्थान	कार्यात्मक
43	कूचबिहार	मूगा रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	0	संस्थान	कार्यात्मक
44	कूनूर	सैटेलाइट सिल्कवर्क प्रजनन स्टेशन	सीएसआर और टीआई मैसूर	14,164.01	संस्थान	कार्यात्मक
45	कटक	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक
46	दक्षिणभवानीपुर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	27,755.85	संस्थान	कार्यात्मक
47	देहरादून	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक
48	देहरादून	मूल बीज फार्म/एसएसपीसी	एनएसएसओ बेंगलुरु	12,585.72	संस्थान	कार्यात्मक
49	दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं कराया गया		कार्यात्मक
50	धर्मपुरा	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	80,937.20	संस्थान	कार्यात्मक
51	धर्मपुरी	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	9,186.37	संस्थान	कार्यात्मक
52	धर्मवरम	रेशम कंडीशनिंग एंड टेस्टिंग हाउस/आरएसटीआरएस	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	9,692.22	संस्थान	कार्यात्मक
53	धुबुलिया	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	1,45,646.49	संस्थान	कार्यात्मक
54	दीमापुर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	40,468.56	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
55	दुमका	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	56,494.00	संस्थान	कार्यात्मक
56	एलुरु	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
57	फतेहपुर	ईआरआई रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	0	संस्थान	कार्यात्मक
58	गाविमाता	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	2,99,467.92	संस्थान	कार्यात्मक
59	घुमारविन	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	कार्यात्मक
60	गोबिचेट्टी पलायम	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
61	गुवाहाटी	मूगा एरी रेशमकीट बीज संगठन	मेसो गुवाहाटी	511.00	संस्थान	कार्यात्मक
62	गुवाहाटी	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	4,047.00	संस्थान (मेसो गुवाहाटी)	कार्यात्मक
63	गुवाहाटी	क्षेत्रीय रेशम कृषि प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	802.68	संस्थान	कार्यात्मक
64	हाहिम	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	1,41,149.00	संस्थान	कार्यात्मक
65	हालियाल	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	81,058.53	संस्थान	कार्यात्मक
66	हसन	मूल बीज फार्म - 4	सीएसआर और टीआई मैसूर	70,213.02	संस्थान	कार्यात्मक
67	हिंदूपुर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	8,093.71	संस्थान	कार्यात्मक
68	हॉर्सली हिल्स	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	45,891.35	संस्थान	कार्यात्मक
69	होशंगाबाद	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
70	होसुर	ईआरआई - रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र	मेसो गुवाहाटी	28,328.02	संस्थान	कार्यात्मक
71	होसुर	केंद्रीय रेशम जननद्रव्य संसाधन केंद्र	सीएसजीआरसी	2,39,897.86	संस्थान	कार्यात्मक
72	होसुर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	6,960.60	संस्थान	कार्यात्मक
73	हैदराबाद	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	0	आर.ओ. हैदराबाद	कार्यात्मक
74	इम्फाल	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	55,887.14	संस्थान	कार्यात्मक
75	जगदलपुर	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	3,03,514.24	संस्थान	कार्यात्मक
76	जम्मू	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	1,39,697.61	संस्थान	कार्यात्मक
77	जम्मू	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक
78	जोरहाट	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	48,966.96	संस्थान	कार्यात्मक
79	जोरहाट	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	48,829.41	संस्थान	कार्यात्मक
80	के.आर. नगर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	11,331.20	संस्थान	कार्यात्मक
81	कैलाबारी	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	मेसो गुवाहाटी	5,342.00	संस्थान	कार्यात्मक
82	कालिम्पोंग	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	63,879.62	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
83	कांचीपुरम	क्षेत्रीय रेशम कृषि प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	1,335.46	संस्थान	कार्यात्मक
84	कपिटा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	91,742.32	संस्थान	कार्यात्मक
85	कारगी कोटा	केंद्रीय तसर रेशमकीट बीज स्टेशन	बीटीएसएसओ बिलासपुर	3,46,070.28	संस्थान	कार्यात्मक
86	कर्णसुबर्ण	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	2,69,864.86	संस्थान	कार्यात्मक
87	काठीकुंड	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	3,75,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
88	केंदुझार	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	7,60,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
89	खरसवां	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	3,07,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
90	कोबुलोंग	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	40,468.00	संस्थान	कार्यात्मक
91	कोडाथी	रेशम कीट बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला	एनएसएसओ बेंगलुरु	2,28,404.78	संस्थान	कार्यात्मक
92	कोलकाता	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	365.67	केंद्रीय कार्यालय	कार्यात्मक
93	कोप्पल	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	32,374.88	संस्थान	कार्यात्मक
94	कोरापुट	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	2,02,342.80	संस्थान	कार्यात्मक
95	कोवाबली	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	49,775.00	संस्थान	कार्यात्मक
96	कृष्णागिरी	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	40,468.60	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
97	कृष्णागिरी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	22,257.73	संस्थान	कार्यात्मक
98	लाडोइगढ़	सेंट्रल एमयूजीए ईआरआई रिक और प्रशिक्षण संस्थान	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	2,40,383.48	संस्थान	कार्यात्मक
99	लखीमपुर	मूगा रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	12,140.58	संस्थान	कार्यात्मक
100	लैम्बरी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	8,093.71	संस्थान	कार्यात्मक
101	मदाकिसरा	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	50,545.24	संस्थान	कार्यात्मक
102	मदनपल्ली	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	10,117.10	संस्थान	कार्यात्मक
103	मद्दुर	अनुसंधान विस्तार केंद्र, उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
104	मधुपुर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	10,92,600.00	संस्थान	कार्यात्मक
105	मादीवाला	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	32,374.88	संस्थान	कार्यात्मक
106	माजरा	मूल बीज फार्म - पी3	एनएसएसओ बेंगलुरु	25,535.66	संस्थान	कार्यात्मक
107	मालवल्ली	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	9,307.77	संस्थान	कार्यात्मक
108	मालदा	क्षेत्रीय रेशम कृषि प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	353.05	केंद्रीय कार्यालय	कार्यात्मक
109	मानसबल	मूल बीज फार्म - पी4	सीएसआर और टीआई पम्पोर	1,32,332.32	संस्थान	कार्यात्मक
110	मेंडिपाथर	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	42,006.00	संस्थान	कार्यात्मक
111	मोंगोल्दाई	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	28,327.99	संस्थान	कार्यात्मक
112	मुलुगु	क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	**स्थान का नाम**	**श्रेणी**	**संस्थान**	**भूमि (वर्ग मीटर)**	**स्रोत दस्तावेज़**	**स्थिति**
113	मुंबई	भारत का रेशम चिह्न संगठन	केंद्रीय कार्यालय	0	आर.ओ. मुंबई	कार्यात्मक
114	मैसूर	केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	सीएसआर और टीआई मैसूर	5,38,232.38	संस्थान	कार्यात्मक
115	मैसूर	मूल बीज फार्म - पी3	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	सीएसआरटीआई मैसूर में शामिल क्षेत्र	कार्यात्मक
116	मैसूर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	सीएसआरटीआई मैसूर में शामिल क्षेत्र	कार्यात्मक
117	नारायणपुर	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	61,510.00	संस्थान	कार्यात्मक
118	नोंगपाह	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	24,280.00	संस्थान	कार्यात्मक
119	नवरंगपुर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	3,70,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
120	पलक्कड़	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	7,162.94	संस्थान	कार्यात्मक
121	पलक्कड़	भारत का रेशम चिह्न संगठन	केंद्रीय कार्यालय	0	एसएमओआई पलक्कड़	कार्यात्मक
122	पलक्कड़	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	37,190.61	संस्थान	कार्यात्मक
123	पालमपुर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	16,187.44	संस्थान	कार्यात्मक
124	पाली	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	9,70,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
125	पालियापूल	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	40,468.00	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
126	पल्लाहरा	फील्ड यूनिट	बीटीएसएसओ बिलासपुर	18,50,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
127	पम्पोर	केंद्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान	सीएसआर और टीआई पम्पोर	78,913.77	संस्थान	कार्यात्मक
128	परभणी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
129	पेरिगी	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	44,474.95	संस्थान	कार्यात्मक
130	पटेलनगर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	2,85,708.32	संस्थान	कार्यात्मक
131	पूर्णिया	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	40,468.60	संस्थान	कार्यात्मक
132	रामनगरम	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	3,642.17	संस्थान	कार्यात्मक
133	रामनगरम	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक
134	रम्पाचोडावरम	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	4,71,400.00	संस्थान	कार्यात्मक
135	रामपारा	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	85,619.00	संस्थान	कार्यात्मक
136	रांची	केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	सीटीआर और टीआई रांची	3,49,284.14	संस्थान	कार्यात्मक
137	रंगपू	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	0	संस्थान	कार्यात्मक
138	रायाचोटी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	20,234.30	संस्थान	कार्यात्मक
139	रायापुरा	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	उपलब्ध नहीं कराया गया		कार्यात्मक
140	सहसपुर	क्षेत्रीय रेशम उत्पादनअनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	61,755.08	संस्थान	कार्यात्मक
141	सेलम	क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	80,937.20	संस्थान	कार्यात्मक
142	सेलम	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
143	सामयानल्लूर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	11,007.46	संस्थान	कार्यात्मक
144	शीशंबरा	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	61,795.53	संस्थान	कार्यात्मक
145	शिलांग	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	8,093.71	संस्थान	कार्यात्मक
146	सिदलाघट्टा	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक
147	सिल्ले	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	4,046.85	केंद्रीय कार्यालय	कार्यात्मक
148	सुंदरगढ़	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	13,90,000.00	संस्थान	कार्यात्मक
149	टी. कुलेन	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	2,42,816.87	संस्थान	कार्यात्मक
150	टोपाटोली	ईआरआई बेसिक सीड फार्म्स	मेसो गुवाहाटी	40,468.00	संस्थान	कार्यात्मक
151	तुरा	मूल बीज फार्म - पी4	मेसो गुवाहाटी	20,072.00	संस्थान	कार्यात्मक
152	ऊधमपुर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	22,965.91	संस्थान	कार्यात्मक
153	उडुमलपेट	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
154	वाराणसी	क्षेत्रीय रेशम कृषि प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	कार्यात्मक
155	वेंकटगिरी कोटा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
156	विजयपुरा	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	8,093.71	संस्थान	कार्यात्मक
157	विकाराबाद	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	कार्यात्मक
158	वारंगल	क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	1,92,225.85	संस्थान	कार्यात्मक
159	येलागिरी हिल्स, वेल्लोर	मूल बीज फार्म - पी2	एनएसएसओ बेंगलुरु	39,578.26	संस्थान	कार्यात्मक
	कार्यात्मक इकाइयों का भूमि क्षेत्र (159 इकाइयाँ)			**210,85,184.68**		

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
160	अगाली	क्लस्टर विकास केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
161	अलीनगर	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
162	अमृति	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
163	आत्मकुर	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
164	अत्तिबेले	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
165	अविनाशी	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
166	अज़ारा	ईआरआई - रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र	मेसो गुवाहाटी	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
167	बहराइच	उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
168	बेंगलूरु	प्रमाणन केंद्र	केंद्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
169	बेंगलूरु	रेशम कंडीशनिंग एंड टेस्टिंग हाउस	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
170	बंगरीपोसी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	0	संस्थान	बंद
171	बंगुरिया	पी2 - बेसिक सीड फार्म	एनएसएसओ बेंगलुरु	1,37,593.24	केंद्रीय कार्यालय	बंद
172	बार्नोटी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
173	बेलगाम	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
174	बेरिगाई	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
175	भद्राचलम	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	0	संस्थान	बंद
176	भद्रासी	उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
177	भागलपुर	कच्चा माल बैंक - एसडी	केंद्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
178	भंडारा	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
179	भंडारा	कच्चा माल बैंक - एसडी	सीटीआर और टीआई रांची	0	संस्थान	बंद
180	भुवनेश्वर	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
181	बिदारागुप्पे	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	28,328.02	संस्थान	बंद
182	बीजापुर	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
183	बुरहानपुर	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
184	चक्रधरपुर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	0	सीएसबी का उत्तर दिनांक 01/01/25	बंद
185	चेब्रोलू	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
186	चेन्नई	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
187	चिक्कमलवाड़ी	मूल बीज फार्म - पी1	एनएसएसओ बेंगलुरु	36,421.74	केंद्रीय कार्यालय	बंद
188	चित्तूर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	10,117.15	केंद्रीय कार्यालय	बंद
189	कोयम्बटूर	कोकून परीक्षण केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
190	देहरादून	शीत भंडारण संयंत्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
191	देहरादून	क्षेत्रीय रेशमकीट बीज संगठन	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
192	देवघर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
193	ढेंकीकोट	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	0	संस्थान	बंद
194	दुधी	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
195	फतेहनगर	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसआर और टीआई पम्पोर			बंद
196	फतेहनगर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	80,937.20	संस्थान	बंद
197	गोंडा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
198	गौरीबिदनूर	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
199	हल्द्वानी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	मेसो गुवाहाटी	0	संस्थान सीएसआरटीआई पम्पोर	बंद
200	हल्द्वानी	ईआरआई - रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र	मेसो गुवाहाटी	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
201	हावेरी	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
202	हिंदूपुर	प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
203	होसाकोटे	क्लस्टर विकास केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
204	होसुर	शीत भंडारण संयंत्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
205	इम्फाल	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
206	जालना	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
207	जामखंडी	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
208	जम्मू	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
209	के.पी. डोडी	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	20,234.30	केंद्रीय कार्यालय	बंद
210	के.आर. पेट	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
211	के.आर. पेट	बीज कोकून खरीद केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	13,111.83	केंद्रीय कार्यालय	बंद
212	कालियाचक	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
213	कालिम्पोंग	मूल बीज फार्म - पी3	मेसो गुवाहाटी	58,962.75	केंद्रीय कार्यालय	बंद
214	कलिता	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	13,030.89	केंद्रीय कार्यालय	बंद
215	कलसी	क्लस्टर विकास केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
216	कल्याणीदुर्गम	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
217	कामनगर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	3,682.63	केंद्रीय कार्यालय	बंद
218	कनकपुरा	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
219	कटघोरा	मूल बीज फार्म - 4	सीटीआर और टीआई रांची	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
220	किक्रुमा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची			बंद
221	किनकनहल्ली	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	75,919.09	केंद्रीय कार्यालय	बंद
222	किशनगंज	एमईएसडीपी	केंद्रीय कार्यालय	7,486.69	केंद्रीय कार्यालय	बंद
223	कोकराझार	अनुसंधान विस्तार केंद्र - एस यूनिट	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	0	संस्थान	बंद
224	कोल्लेगल	सिल्क टेक्निकल सर्विस सेंटर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
225	कोटद्वार	अनुसंधान विस्तार केंद्र - उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
226	कुदलागी	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
227	कुनिगल	बीज कोकून खरीद केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	323.75	केंद्रीय कार्यालय	बंद
228	लोलाब	उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
229	लखनऊ	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय			बंद
230	मदाकिसरा	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	2,023.43	केंद्रीय कार्यालय	बंद
231	महेशपुरराज	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	0	संस्थान	बंद
232	मार्कापुर	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
233	मेंडिपाथर	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
234	मेटपल्ली	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
235	मोथाबाड़ी	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
236	मुंबई	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय	686.29	आर.ओ. मुंबई	बंद
237	मैसूर	शीत भंडारण संयंत्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	सीएसटीआरआई बेंगलुरु में शामिल क्षेत्र	बंद
238	नादुआन	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
239	नागमंगला	मूल बीज फार्म - पी3	एनएसएसओ बेंगलुरु	56,251.35	केंद्रीय कार्यालय	बंद
240	नरसपुर	मूल बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र	बीटीएसएसओ बिलासपुर	0	संस्थान	बंद

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
241	नुरुपुर	प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
242	ओल्ड खूं	अनुसंधान विस्तार केंद्र - उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
243	उस्मानाबाद	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
244	पलक्कड़	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
245	पालमनेर	क्लस्टर विकास केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
246	पालमनेर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
247	पंचग्राम	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
248	पंचकुला	उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
249	पांडवपुरा	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
250	पटेलनगर	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
251	पाथरी	उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर			बंद
252	पटना	क्षेत्रीय कार्यालय	केंद्रीय कार्यालय			बंद
253	पेद्दापुरम	ईआरआई- रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र	मेसो गुवाहाटी			बंद
254	पेनुकोंडा	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
255	पीलीभीत	उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
256	पिथौरागढ़	उप इकाई	सीटीआर और टीआई रांची	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
257	रायगंज	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	8,741.22	केंद्रीय कार्यालय	बंद
258	रायगंज	क्षेत्रीय रेशमकीट बीज संगठन	एनएसएसओ बेंगलुरु	3,154.14	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
259	रायगढ़	कच्चा माल बैंक - एस.डी	केंद्रीय कार्यालय	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
260	रामगिरी	रेशम विकास केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	76,890.34	केंद्रीय कार्यालय	बंद
261	रनेबेन्नूर	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
262	रॉबर्ट्सगंज	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीटीआर और टीआई रांची	0	संस्थान	बंद
263	सहस्र	क्लस्टर विकास केंद्र	केंद्रीय कार्यालय	0	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
264	सरनाल	अनुसंधान विस्तार केंद्र - उप इकाई	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद
265	शादनगर	क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
266	शाहपुर	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
267	शिराहाट्टी	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
268	शिवसागर	मूगा कच्चा माल बैंक	केंद्रीय कार्यालय	0	संस्थान (सीएमईआरटीआई लाहदोईगढ़)	बंद
269	श्रीनगर	प्रमाणन केंद्र	केंद्रीय कार्यालय	0	संस्थान	बंद
270	श्रीनगर	रेशम कंडीशनिंग एंड टेस्टिंग हाउस	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
271	श्रीविल्लीपुथुर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
272	सुआलकुची	मूगा कच्चा माल बैंक उप डिपो	केंद्रीय कार्यालय	0	संस्थान (सीएमईआरटीआई लाहदोईगढ़)	बंद
273	सुजानपुर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पम्पोर	0	संस्थान	बंद

क्र.सं.	स्थान का नाम	श्रेणी	संस्थान	भूमि (वर्ग मीटर)	स्रोत दस्तावेज़	स्थिति
274	सुरी	प्रदर्शन सह तकनीकी सेवा केंद्र	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
275	सूर्यपेट	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
276	तिरुपतूर	रेशम कीट बीज उत्पादन केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	10,643.24	केंद्रीय कार्यालय	बंद
277	टिटाबर	मूगा फील्ड प्रयोगशाला	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	0	संस्थान	बंद
278	त्रिची	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
279	तुमकुर	उप इकाई	सीएसआर और टीआई मैसूर	0	संस्थान	बंद
280	तुरा	मूगा - अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएमईआर और टीआई लाडोइगढ़	12,140.00	केंद्रीय कार्यालय (आरसीएस)	बंद
281	तुरा	मूगा - रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र	मेसो गुवाहाटी	12,140.00	संस्थान	बंद
282	उधम सिंह नगर	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पंपोर	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
283	ऊना	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पंपोर			बंद
284	वाराणसी	प्रमाणन केंद्र	केंद्रीय कार्यालय			बंद
285	वाराणसी	अनुसंधान विस्तार केंद्र	सीएसआर और टीआई पंपोर	0	संस्थान	बंद
286	विजयवाड़ा	बीज सेवा केंद्र	एनएसएसओ बेंगलुरु	0	संस्थान	बंद
287	वारंगल	कच्चा माल बैंक - एसडी	सीटीआर और टीआई रांची	उपलब्ध नहीं कराया गया		बंद
288	येदियूर	मूल बीज फार्म	एनएसएसओ बेंगलुरु	28,328.02	केंद्रीय कार्यालय	बंद
	बंद इकाइयों (129 इकाइयाँ) का कुल भूमि क्षेत्रफल			**6,97,147.31**		
	288 इकाई का कुल ज़मीन का क्षेत्रफल			**2,17,82,331.99**		

अनुलग्नक 3

1 मार्च 2018 तक की परिचालन इकाइयों की सूची में शामिल नहीं की गई सीएसबी की 23 इकाइयों की सूची

(संदर्भ पैरा संख्या 2.1.2)

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थिति	बंद/विलय होने की तिथि	भूमि/भवन है
1	आरईसी टी.कुलेन	कार्यात्मक	लागू नहीं	हां
2	एसएमओआई मुंबई	कार्यात्मक	लागू नहीं	हां
3	एसएमओआई चेन्नई	कार्यात्मक	लागू नहीं	नहीं
4	आरईसी हलवानी	बंद	03-जुलाई-20	नहीं
5	आरईसी वाराणसी	बंद	03-जुलाई-20	नहीं
6	एसएससी ऐहो	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	नहीं
7	एसएससी एंडालूर गेट	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	उपलब्ध नहीं कराया गया
8	एसएससी सीआर पटना	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	नहीं
9	एसएससी गदाधरपुर	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	उपलब्ध नहीं कराया गया
10	आरईसी हरिद्वार	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	
11	एसएससी हेमाताबाद	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	नहीं
12	आरईसी हिन्दुपुर	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	उपलब्ध नहीं कराया गया
13	एसएससी कलियागंज	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	नहीं
14	एसएससी कलिथा	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	उपलब्ध नहीं कराया गया
15	एसएसयू कोल्हापुर	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	नहीं
16	आरईसी लखनऊ	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	उपलब्ध नहीं कराया गया
17	एसएसयू पलाकोड	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	नहीं
18	एसएसयू पुणे	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	
19	टीएसडी रायगढ़	बंद/विलय	11-जून-18	
20	एसएसयू शेरपुर	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	
21	बीएसएमटीसी सिहोरा	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	उपलब्ध नहीं कराया गया
22	एसएससी सुजापुर	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	
23	एसएसयू तुमकुर	बंद/विलय	18-अप्रैल-18	नहीं

अनुलग्नक 4

सीएसबी की 21 कार्यात्मक इकाइयों के भूमि क्षेत्र की रिपोर्टिंग में अंतर

(संदर्भ पैरा संख्या 2.1.3)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	संस्थान	संस्थान के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	केंद्रीय कार्यालय के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	नमूना/गैर-नमूना इकाई
1	4	आरईसी आइज़ोल	सीएसआरटीआई बेरहामपुर	0	4,047	गैर-नमूना
2	20	बीएसएमटीसी बस्तर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	9,96,000	0	गैर-नमूना
3	24	एसटीएससी भागलपुर	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	6,070	गैर-नमूना
4	52	आरएसटीआरएस धर्मवरम	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	9,692	6,070	नमूना
5	55	आरएसआरएस दुमका	सीटीआरटीआई रांची	56,494	5,649	गैर-नमूना
6	58	बीएसएफ गवीमाता	एनएसएसओ बेंगलुरु	2,99,468	2,10,437	नमूना
7	62	आरओ गुवाहाटी	केंद्रीय कार्यालय	4,047	0	गैर-नमूना
8	81	एसएसपीसी कैलाबारी	मेसो गुवाहाटी	5,342	87,492	गैर-नमूना
9	88	बीएसएमटीसी केन्दुझार	बीटीएसएसओ बिलासपुर	7,60,000	0	नमूना
10	91	एसएसटीएल कोडाथी	एनएसएसओ बेंगलुरु	2,28,405	4,99,180	नमूना
11	92	आरओ कोलकाता	केंद्रीय कार्यालय	0	366	गैर-नमूना
12	108	आर.एस.टी.आर.एस. मालदा	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	0	353	गैर-नमूना
13	109	बीएसएफ मानसबल	सीएसआरटीआई पम्पोर	1,32,332	1,57,827	गैर-नमूना
14	126	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहारा	बीटीएसएसओ बिलासपुर	18,50,000	0	नमूना
15	147	आरईसी सिले	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	0	4,047	गैर-नमूना
16	148	बीएसएमटीसी सुंदरगढ़	बीटीएसएसओ बिलासपुर	13,90,000	0	गैर-नमूना

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	संस्थान	संस्थान के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	केंद्रीय कार्यालय के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	नमूना/गैर-नमूना इकाई
17	158	आरएसआरएस वारंगल	सीटीआरटीआई रांची	1,92,226	17,859	गैर-नमूना
18	26	आरएसआरएस भंडारा	सीटीआरटीआई रांची	60,703	5,639	गैर-नमूना
19	75	आरएसआरएस जगदलपुर	सीटीआरटीआई रांची	3,03,514	28,197	गैर-नमूना
20	37	आरईसी चंपा	सीटीआरटीआई रांची	50,586	4,700	गैर-नमूना
21	18	आरएसआरएस बारीपदा	सीटीआरटीआई रांची	55,199	5,128	नमूना
कुल				**63,94,008**	**10,43,061**	
अंतर				**53,50,947**		

अनुलग्नक 5

केंद्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट न की गई लेकिन संस्थानों द्वारा रिपोर्ट की गई सीएसबी की 28 कार्यात्मक इकाइयों का भूमि क्षेत्र

(संदर्भ पैरा संख्या 2.1.3)

क्र.सं.	अनुलग्नक2 की क्र. संख्या	इकाई का नाम	संस्थान	संस्थान के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	नमूना गैर-नमूना इकाई
1	6	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	8,00,000	नमूना
2	7	आरएसआरएस अनंतपुर	सीएसआरटीआई मैसूर	1,64,829	गैर-नमूना
3	10	बीएसएमटीसी बालाघाट	बीटीएसएसओ बिलासपुर	8,00,000	गैर-नमूना
4	19	बीएसएमटीसी बारीपदा	बीटीएसएसओ बिलासपुर	1,80,000	नमूना
5	25	बीएसएमटीसी भंडारा	बीटीएसएसओ बिलासपुर	11,34,000	नमूना
6	30	बीएसएमटीसी बिलासपुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	40,469	गैर-नमूना
7	33	बीएसएमटीसी बोइरदादर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	11,78,100	नमूना
8	34	आरएसआरएस बोको	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	2,02,343	गैर-नमूना
9	40	बीएसएमटीसी चिन्नूर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	4,80,000	नमूना
10	63	आरएसटीआरएस गुवाहाटी	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	803	गैर-नमूना
11	70	इआरआइ एसएसपीसी होसुर	मेसो गुवाहाटी	28,328	गैर-नमूना
12	74	आरएसआरएस इम्फाल	सीटीआरटीआई रांची	55,887	गैर-नमूना
13	76	आरएसआरएस जम्मू	सीएसआरटीआई पम्पोर	1,39,698	नमूना
14	83	आरएसटीआरएस कांचीपुरम	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	1,335	गैर-नमूना
15	85	सीटीएसएसएस कारगी कोटा	बीटीएसएसओ बिलासपुर	3,46,070	गैर-नमूना
16	87	बीएसएमटीसी काथिकुंड	बीटीएसएसओ बिलासपुर	3,75,000	गैर-नमूना
17	89	बीएसएमटीसी खरसावां	बीटीएसएसओ बिलासपुर	3,07,000	गैर-नमूना
18	97	आरईसी कृष्णागिरी	सीएसआरटीआई मैसूर	22,258	गैर-नमूना
19	98	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	2,40,383	गैर-नमूना

क्र.सं.	अनुलग्नक2 की क्र. संख्या	इकाई का नाम	संस्थान	संस्थान के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	नमूना गैर-नमूना इकाई
20	99	मूगा रेक लखीमपुर	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	12,141	गैर-नमूना
21	100	आरईसी लैम्बरी	सीएसआरटीआई पम्पोर	8,094	नमूना
22	104	बीएसएमटीसी मधुपुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	10,92,600	नमूना
23	124	बीएसएमटीसी पाली	बीटीएसएसओ बिलासपुर	9,70,000	गैर-नमूना
24	130	बीएसएमटीसी पटेलनगर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	2,85,708	गैर-नमूना
25	134	बीएसएमटीसी रामपाचोडवरम	बीटीएसएसओ बिलासपुर	4,71,400	गैर-नमूना
26	138	आरईसी रायचोटी	सीएसआरटीआई मैसूर	20,234	गैर-नमूना
27	140	आरएसआरएस सहसपुर	सीएसआरटीआई पम्पोर	61,755	नमूना
28	149	आरईसी टी. कुलेन	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	2,42,812	नमूना
कुल				**96,61,247**	

अनुलग्नक 6

संस्थानों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार भूमि वाले सीएसबी की 27 बंद इकाइयों की सूची

(संदर्भ पैरा संख्या 2.1.4)

क्र.सं.	इकाई का नाम	संस्थान	संस्थान के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	केंद्रीय कार्यालय द्वारा सूचित भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर)	बंद करने का आदेश दिनांक	क्या प्रारंभिक 129 सूची में शामिल है
1	बीएसएफ बंगुरिया	एनएसएसओ बेंगलुरु	1,37,593	1,37,593	18-अप्रैल-18	हां
2	आरईसी बिदारगुप्पे	सीएसआरटीआई मैसूर	28,328	28,328	16-मई-18	हां
3	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	एनएसएसओ बेंगलुरु	36,422	36,422	14-जुलाई-20	हां
4	एसएसपीसी चित्तूर	एनएसएसओ बेंगलुरु	10,117	10,117	18-अप्रैल-18	हां
5	आरईसी फतेहनगर	सीएसआरटीआई पम्पोर	80,937	कोई क्षेत्र रिपोर्ट नहीं किया गया	18-अप्रैल-18	हां
6	एसएससी केपी डोड्डी	एनएसएसओ बेंगलुरु	20,234	20,234	18-अप्रैल-18	हां
7	एससीपीसी कृष्णराज पेट	एनएसएसओ बेंगलुरु	13,112	13,112	14-जुलाई-20	हां
8	बीएसएफ कलिम्पोंग	मेसो गुवाहाटी	83,385	58,963	18-अप्रैल-18	हां
9	एसएसपीसी कलिथा	एनएसएसओ बेंगलुरु	5,261	13,031	03-जुलाई-20	हां
10	आरईसी कामनगर	सीएसआरटीआई बेरहामपुर	3,683	3,683	18-अप्रैल-18	हां
11	आरईसी किकानाहल्ली	सीएसआरटीआई मैसूर	75,919	75,919	16-मई-18	हां
12	एससीपीसी कुनिगल	एनएसएसओ बेंगलुरु	324	324	14-जुलाई-20	हां
13	आरईसी मदकिसरा	सीएसआरटीआई मैसूर	2,023	2,023	18-अप्रैल-18	हां
14	आरओ मुंबई	आरओ मुंबई	686	कोई क्षेत्र रिपोर्ट नहीं किया गया	17-सितंबर-20	हां
15	बीएसएफ नागामंगला	एनएसएसओ बेंगलुरु	56,251	56,251	18-अप्रैल-18	हां
16	एसएसपीसी रायगंज	एनएसएसओ बेंगलुरु	8,741	8,741	03-जुलाई-20	हां
17	एसएसपीसी तिरुपत्तूर	एनएसएसओ बेंगलुरु	10,643	10,643	18-अप्रैल-18	हां

क्र.सं.	इकाई का नाम	संस्थान	संस्थान के अनुसार भूमि (वर्ग मीटर)	केंद्रीय कार्यालय द्वारा सूचित भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर)	बंद करने का आदेश दिनांक	क्या प्रारंभिक 129 सूची में शामिल है
18	मुगा एसएसपीसी तुरा	मेसो गुवाहाटी	12,140	कोई क्षेत्र रिपोर्ट नहीं किया	14-मई-19	हां
19	बीएसएफ येदियुर	एनएसएसओ बेंगलुरु	28,328	28,328	16-अगस्त-18	हां
20	सीएसडी रामगिरी	सीएसआरटीआई बेरहामपुर	60,703	76,890	18-अप्रैल-18	हां
21	बीएसएफ नागेनाहल्ली	एनएसएसओ बेंगलुरु	1,45,687	1,45,687	14-जुलाई-20	नहीं
22	एसएसपीसी कांडी	एनएसएसओ बेंगलुरु	10,117	10,117	उपलब्ध नहीं कराया गया.	नहीं
23	सीएसडी कोरापुट	एनएसएसओ बेंगलुरु	10,117	10,117		नहीं
24	आरईसी नवासरी	सीएसआरटीआई मैसूर	32,200	31,217	15-सितंबर-16	नहीं
25	बीएसएमटीसी भागलपुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	6,070	कोई क्षेत्र रिपोर्ट नहीं किया	18-जुलाई-22	नहीं
26	आरईसी गोपेश्वर	सीटीआरटीआई रांची	10,319	कोई क्षेत्र रिपोर्ट नहीं किया	08-अप्रैल-22	नहीं
27	आरईसी कटघोरा	सीटीआरटीआई रांची	3,10,000	कोई क्षेत्र रिपोर्ट नहीं किया	15-मई-18	नहीं
कुल			**11,99,340**	**7,77,740**		

अनुलग्नक-7

लेखापरीक्षा के दौरान सीएसबी की 17 नमूना इकाइयों के भूमि क्षेत्र में अंतर देखा गया

(संदर्भ पैरा संख्या 2.1.5)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	संस्थान	अनुलग्नक 2 के अनुसार सीएसबी द्वारा प्रस्तुत भूमि का विवरण (वर्ग मीटर)	लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए दस्तावेजों के अनुसार उपलब्ध भूमि (वर्ग मीटर)
1	6	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	8,00,000	8,04,047
2	12	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	29,079	43,300
3	18	आरएसआरएस बारीपदा	सीटीआरटीआई रांची	55,199	50,000
4	19	बीएसएमटीसी बारीपदा	बीटीएसएसओ बिलासपुर	1,80,000	1,82,000
5	29	आरईसी बीदर	सीएसआरटीआई मैसूर	47,834	45,380
6	58	बीएसएफ गवीमाता	एनएसएसओ बेंगलुरु	2,99,468	2,28,647
7	78	आरएसआरएस जोरहाट	सीएसआरटीआई बेरहामपुर	48,967	51,132
8	79	एसएसपीसी जोरहाट	एनएसएसओ बेंगलुरु	48,829	3,076
9	88	बीएसएमटीसी केओन्झर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	7,60,000	0
10	104	बीएसएमटीसी मधुपुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	10,92,600	11,09,243
11	114	सीएसआरटीआई मैसूर	सीएसआरटीआई मैसूर	5,38,232	6,50,856
12	126	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहारा	बीटीएसएसओ बिलासपुर	18,50,000	6,38,675
13	131	बीएसएफ पूर्णिया	एनएसएसओ बेंगलुरु	40,469	16,187
14	132	एसएसपीसी रामनगरम	एनएसएसओ बेंगलुरु	3,642	7,891
15	151	बीएसएफ तुरा	मेसो गुवाहाटी	20,072	63,544
16	230	आरईसी मदकिसरा	सीएसआरटीआई मैसूर	2,023	21,893
17	231	बीएसएफ नागामंगला	एनएसएसओ बेंगलुरु	56,251	0
कुल				**58,72,665**	**39,15,871**
अंतर (वर्ग मीटर में)				**19,56,794**	

अनुलग्नक 8

जीएलआईएस में अपलोड की गई सीएसबी इकाइयों का भूमि विवरण

(संदर्भ पैरा संख्या 2.1.8)

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
1	8668	114	निदेशक सीएसआरटीआई मैसूर	सीएसआरटीआई मैसूर	5,18,300	कार्यात्मक
2	10543	12	निदेशक सीएसटीआरआई बेंगलुरु	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	43,560	कार्यात्मक
3	10551	12	सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	2,150	कार्यात्मक
4	14623	12	केंद्रीय रेशम बोर्ड	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	12,043	कार्यात्मक
5	14743	22	केंद्रीय रेशम बोर्ड सीएसआर और टीआई बेरहामपुर	सीएसआरटीआई बेरहामपुर	2,53,954	कार्यात्मक
6	14755	71	निदेशक, सीएसजीआरसी होसुर	सीएसजीआरसी होसुर	2,37,120	कार्यात्मक
7	14790	217	केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसआरटीआई बेरहामपुर के तहत आरईसी कामनगर	आरईसी कामनगर	3,684	बंद

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
8	14792	13 & 91	निदेशक, एनएसएसओ बेंगलुरु, एसएसटीएल + आरएसआरएस + एसबीआरएल	एसएसटीएल कोडाथी और आरएसआरएस कोडाथी	4,99,180	कार्यात्मक
9	14824	63	आरएसटीआरएस, केंद्रीय रेशम बोर्ड, खानपारा, सीएसटीआरआई बेंगलुरु के तहत	आरएसटीआरएस गुवाहाटी	511	कार्यात्मक
10	14865	150	एरी पी2 फार्म, एमईएसएसओ गुवाहाटी के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड	एरी बीएसएफ टोपाटोली	40,483	कार्यात्मक
11	14889	136	निदेशक, सीटीआर और टीआई रांची	सीटीआरटीआई रांची	3,45,240	कार्यात्मक
12	14897	30	निदेशक बीएसएमटीसी बिलासपुर	बीएसएमटीसी बिलासपुर	28,328	कार्यात्मक
13	14900	30	निदेशक बीएसएमटीसी बिलासपुर	बीएसएमटीसी बिलासपुर	12,141	कार्यात्मक
14	14954	288	केंद्रीय रेशम बोर्ड बीएसएफ एनएसएसओ येदियूर	बीएसएफ येदियुर	28,328	बंद
15	15577	41	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी चिंतामणि	एसएसपीसी चिंतामणि	8,094	कार्यात्मक
16	15752	58	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएफ गवीमाता	बीएसएफ गवीमाता	2,10,437	कार्यात्मक
17	15837	98	निदेशक, सीएमईआर और टीआई लाहदोईगढ़, चनिजान	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	66,928	कार्यात्मक
18	15874	227	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एससीपीसी कुनिगल	एससीपीसी कुनिगल	3,254	बंद

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
19	15877	98	निदेशक, सीएमईआर और टीआई लाहदोईगढ़, फार्म नंबर-01	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	49,600	कार्यात्मक
20	15899	187	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	बीएसएफ पी1 चिक्कमलवाड़ी	36,422	बंद
21	15902	98	निदेशक, सीएमईआर और टीआई लाहदोईगढ़, फार्म नंबर-02	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	62,714	कार्यात्मक
22	15904		केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएफ नागेनाहल्ली		1,45,687	
23	15907	81	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी मेसो कलीबारी, बोको, असम	एसएसपीसी कैलाबारी	5,352	कार्यात्मक
24	15911	98	निदेशक, सीएमईआर और टीआई लाहदोईगढ़, फार्म-03	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	40,149	कार्यात्मक
25	15920		केंद्रीय रेशम बोर्ड, रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र, पी2 फार्म धोपगुड़ी		80,967	
26	15926	98	निदेशक, सीएमईआर और टीआई लाहदोईगढ़, क्वार्टर कॉम्प्लेक्स, सिनामारा	सीएमईआरटीआई लाडोइगढ़	20,074	कार्यात्मक
27	15953	125	केंद्रीय रेशम बोर्ड, मेसो, पी3 यूनिट पैलापूल, कछार जिला असम	बीएसएफ पालियापूल	40,483	कार्यात्मक
28	16010	277	निदेशक, सीएमईआर और टीआई लाहदोईगढ़, फील्ड लैब तिताबार	एमएफएल टीटाबर	8,59,182	बंद
29	16097	107	एमएस, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी मालवल्ली	एसएसपीसी मालवल्ली	9,308	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
30	16110	120	एमएस, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी पलक्कड़	एसएसपीसी पलक्कड़	7,163	कार्यात्मक
31	16123	110 और 233	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी4 यूनिट मेसो और आरईआरएस सीएमईआर और टीआई, मेंदीपाथर	बीएसएफ मेंदीपाथर और आरएसआरएस मेंदीपाथर	1,82,109	कार्यात्मक और बंद
32	16135	135	केंद्रीय रेशम बोर्ड, मेसो, पी3 यूनिट रोमपारा, मेघालय	बीएसएफ रामपारा	2,500	कार्यात्मक
33	16181	64	केंद्रीय रेशम बोर्ड, मेसो, पी3 यूनिट हाहिम, असम	बीएसएफ हाहिम	6,692	कार्यात्मक
34	16334	118	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 यूनिट, मेसो नोंगपोह	बीएसएफ नोंगपाह	24,281	कार्यात्मक
35	16338	64	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 यूनिट, मेसो हाहिम	बीएसएफ हाहिम	4,047	कार्यात्मक
36	16371	2	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 यूनिट, मेसो अडोकगिरी, मेघालय	बीएसएफ अडोकिगिरी	68,797	कार्यात्मक
37	16385	156	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी विजयपुरा	एसएसपीसी विजयपुरा	8,094	कार्यात्मक
38	16402	117	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 यूनिट, मेसो नारायणपुर	बीएसएफ नारायणपुर	9,712	कार्यात्मक
39	16431	151	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी4 यूनिट, मेसो डाकोपग्रे, तुरा	बीएसएफ तुरा	35,653	कार्यात्मक
40	16436	276	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी तिरुपुर	एसएसपीसी तिरुपत्तूर	10,663	बंद

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
41	16447	281	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी, मेसो तुरा	एसएसपीसी तुरा	12,141	बंद
42	16529	68	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएफ हॉर्सली हिल्स	बीएसएफ हॉर्सले हिल्स	45,891	कार्यात्मक
43	16707	117	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 इकाई , मेसो दुसुतिमुख फार्म, नारायणपुर, असम	बीएसएफ नारायणपुर	53,519	कार्यात्मक
44	16713	213	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 इकाई (फार्म 1), मेसो कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल	बीएसएफ कलिम्पोंग	28,611	बंद
45	16718	213	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 इकाई (फार्म 2), मेसो कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल	बीएसएफ कलिम्पोंग	30,695	बंद
46	16765	95	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 इकाई, मेसो कोवाबिल, कोकराझार, असम	बीएसएफ कोवाबली	49,776	कार्यात्मक
47	17233	211	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एससीपीसी, एनएसएसओ केआरपेट	एससीपीसी कृष्णराज पेट	13,112	बंद
48	17276	63	संयुक्त सचिव (टी) आरडीओ, सीएसबी, आरटीआरएस खानापारा	आरएसटीआरएस गुवाहाटी	803	कार्यात्मक
49	17341	83	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एस.सी.टी.एच	आरएसटीआरएस कांचीपुरम	4,000	कार्यात्मक
50	17355	239	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी2 बीएसएफ नागामनगाला	बीएसएफ नागामंगला	56,777	बंद

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
51	17531	82	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरएसआरएस कलिम्पोंग	आरएसआरएस कलिम्पोंग	44,506	कार्यात्मक
52	17565	25	विभागीय वन अधिकारी भंडारा	बीएसएमटीसी भंडारा	11,34,000	कार्यात्मक
53	17710	90	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 यूनिट, मेसो कुबोलोंग, नागालैंड	बीएसएफ कोबुलुंग	40,469	कार्यात्मक
54	17726	159	केंद्रीय रेशम बोर्ड, निदेशक, एनएसएसओ	बीएसएफ येलागिरी हिल्स वेल्लोर	39,578	कार्यात्मक
55	17734	51	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी, एनएसएसओ	एसएसपीसी धर्मपुरी	9,186	कार्यात्मक
56	17795	72	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी, एनएसएसओ होसुर	ईरी एसएसपीसी होसुर	6,961	कार्यात्मक
57	17961	20	डीएफओ, जगदलपुर	बीएसएमटीसी बस्तर	9,96,000	कार्यात्मक
58	17964	1	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी3 बीएसएफ अंबरी फलाकाटा	बीएसएफ ए. फलाकाटा	68,797	कार्यात्मक
59	17992	50	पी-2 बीएसएफ, धर्मपुरा	बीएसएफ धर्मपुरा	80,937	कार्यात्मक
60	18100	114	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	सीएसआरटीआई मैसूर	4,600	कार्यात्मक
61	18104	114	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	सीएसआरटीआई मैसूर	16,400	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
62	18106	114	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	सीएसआरटीआई मैसूर	7,800	कार्यात्मक
63	18238	35	उप निदेशक, आरएमबी चाईबासा	आरएमबी चाईबासा	2,104	कार्यात्मक
64	18268	96	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी2 बीएसएफ, एनएसएसओ	बीएसएफ कृष्णागिरी	40,469	कार्यात्मक
65	18356	114	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	सीएसआरटीआई मैसूर	84,500	कार्यात्मक
66	18379	38	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	आरएसआरएस चामराजनगर	56,080	कार्यात्मक
67	18400	42	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	आरईसी चित्रदुर्ग	28,000	कार्यात्मक
68	18406	66	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	बीएसएफ हसन	6,800	कार्यात्मक
69	18411	66	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	बीएसएफ हसन	62,600	कार्यात्मक
70	18430	44	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	एसएसबीएस कुन्नूर	20,000	कार्यात्मक
71	18437	44	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	एसएसबीएस कुन्नूर	2,755	कार्यात्मक
72	18445	29	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	आरईसी बीदर	45,380	कार्यात्मक
73	18448	141	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	आरएसआरएस सेलम	80,000	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
74	18481	38	निदेशक, सीएसआरटीआई मैसूर	आरएसआरएस चामराजनगर	69,600	कार्यात्मक
75	18484	80	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी केआरनगर, बेंगलुरु	एसएसपीसी केआर नगर	11,331	कार्यात्मक
76	18507	181	निदेशक सीएसआरटीआई मैसूर	आरईसी बिदारगुप्पे	28,000	बंद
77	18517		निदेशक सीएसआरटीआई मैसूर		32,000	
78	18566		निदेशक सीएसआरटीआई मैसूर		10,880	
79	18600	97	निदेशक सीएसआरटीआई मैसूर	आरईसी कृष्णागिरी	22,050	कार्यात्मक
80	18644	93	निदेशक सीएसआरटीआई मैसूर	आरईसी कोप्पल	32,000	कार्यात्मक
81	18689	32	जिला कलेक्टर	एसटीएससी बिलासपुर	6,070	कार्यात्मक
82	18702	188	एमएस, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी चित्तूर	एसएसपीसी चित्तूर	10,117	बंद
83	18917	129	निदेशक, एनएसएसओ, केंद्रीय रेशम बोर्ड पारिगी	बीएसएफ पारिगी	44,475	कार्यात्मक
84	18955	78	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरएसआरएस और एसएसपीसी, एनएसएसओ जोरहाट	आरएसआरएस जोरहाट	48,360	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
85	18959	88	जिला वन अधिकारी, केओंझर	बीएसएमटीसी केन्दुझार	6,38,675	कार्यात्मक
86	19021	102	केंद्रीय रेशम बोर्ड, निदेशक, एनएसएसओ	एसएसपीसी मदनपल्ले	10,117	कार्यात्मक
87	19171	23	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी बेरहामपुर	एसएसपीसी बेरहामपुर	7,203	कार्यात्मक
88	19621	67	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी, एनएसएसओ हिन्दुपुर	एसएसपीसी हिन्दूपुर	8,094	कार्यात्मक
89	19630	6	अधिकारी प्रभारी, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएमटीसी अंबिकापुर	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	4,047	कार्यात्मक
90	19668	6	अधिकारी प्रभारी, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएमटीसी अंबिकापुर	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	7,99,997	कार्यात्मक
91	19677	171	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एनएसएसओ, बीएसएफ बंगारिया	बीएसएफ बंगुरिया	1,37,593	बंद
92	19713	214	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एनएसएसओ, एसएसपीसी कलिता	एसएसपीसी कलिथा	13,031	बंद
93	19734	119	केंद्रीय रेशम बोर्ड, नबरंगपुर	बीएसएमटीसी नौरंगपुर	3,70,247	कार्यात्मक
94	19783	119	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएमटीसी नबरंगपुर	बीएसएमटीसी नौरंगपुर	4,452	कार्यात्मक
95	19823	53	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एनएसएसओ, बेंगलुरु बीएसएफ धुबुलिया	बीएसएफ धुबुलिया	1,18,920	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
96	19832	53	निदेशक, पी1, एनएसएसओ बेंगलुरु, बीएसएफ धुबुलिया	बीएसएफ धुबुलिया	26,779	कार्यात्मक
97	19901	122	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एनएसएसओ, बीएसएफ पलक्कड़	बीएसएफ पलक्कड़	37,191	कार्यात्मक
98	20027	240	वन विभाग डीएफओ मेडक	बीएसएमटीसी नरसपुर	5,00,000	बंद
99	20038		मुख्य वन संरक्षक, हैदराबाद		5,00,000	
100	20065	101	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एनएसएसओ, बीएसएफ मदकसिरा	बीएसएफ मदकिसरा	50,545	कार्यात्मक
101	20156	33	वन विभाग छत्तीसगढ़	बीएसएमटीसी बोइरदादर	11,78,000	कार्यात्मक
102	20261	86	पी2 बीएसएफ कर्णसुबर्णा निदेशक एनएसएसओ बेंगलुरु	बीएसएफ कर्णसुबर्णा	28,049	कार्यात्मक
103	20281	86	पी2 बीएसएफ कर्णसुबर्णा निदेशक एनएसएसओ बेंगलुरु	बीएसएफ कर्णसुबर्णा	34,073	कार्यात्मक
104	20662	132	उप निदेशक, एसएसपीसी, एनएसएसओ रामनगर	एसएसपीसी रामनगरम	3,846	कार्यात्मक
105	20672	132	उप निदेशक, एसएसपीसी, एनएसएसओ रामनगर, स्टाफ क्वार्टर	एसएसपीसी रामनगरम	4,047	कार्यात्मक
106	20784	144	पी2 बीएसएफ, शीशंबरा, पी.ओ. माजरा, देहरादून	बीएसएफ शीशंबरा	61,796	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
107	20790	48	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी और शीत भंडारण संयंत्र, प्रेम नगर, देहरादून	एसएसपीसी देहरादून	12,586	कार्यात्मक
108	20791	106	केंद्रीय रेशम बोर्ड, जेडएसएसओ और पी3 बीएसएफ माजरा, देहरादून	बीएसएफ माजरा	25,536	कार्यात्मक
109	20811		केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरईसी दुद्धी		2,00,000	
110	20883	134	एडीएस आर.सी. वरम आंध्र प्रदेश	बीएसएमटीसी रामपाचोडवरम	1,49,200	कार्यात्मक
111	20981	134	एडीएस आर.सी. वरम आंध्र प्रदेश	बीएसएमटीसी रामपाचोडवरम	2,64,800	कार्यात्मक
112	21037	152	एमएस, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु	एसएसपीसी उधमपुर	22,966	कार्यात्मक
113	21068	10	विभागीय वन अधिकारी, दक्षिण सामान्य वन कार्यालय, बालाघाट	बीएसएमटीसी बालाघाट	8,00,000	कार्यात्मक
114	21478	46	केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी दक्षिणभवानीपुर	एसएसपीसी दक्षिणभवानीपुर	28,328	कार्यात्मक
115	22429	257	अध्यक्ष, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी रायगंज	एसएसपीसी रायगंज	8,741	बंद
116	22683	131	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पी2 बीएसएफ पूर्णिया	बीएसएफ पूर्णिया	40,469	कार्यात्मक
117	22745	130	सहायक निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, पटेल नगर	बीएसएमटीसी पटेलनगर	12,141	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
118	22762	130	सहायक निदेशक, सीएसबी, पटेल नगर	बीएसएमटीसी पटेलनगर	12,141	कार्यात्मक
119	23116	209	एसएससी, केपी डोडी, एनएसएसओ, रेशम उत्पादन निदेशक, कर्नाटक सरकार	एसएससी केपी डोड्डी	20,234	बंद
120	23772	9	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरईसी बगमारा, मोथाबाड़ी	आरईसी बगमारा	12,558	कार्यात्मक
121	24790	260	केंद्रीय रेशम बोर्ड	सीएसडी रामगिरी	60,703	बंद
122	25566	40	वैज्ञानिक-सी बीएसएमटीसी चेन्नूर	बीएसएमटीसी चिन्नूर	1,45,687	कार्यात्मक
123	26842	34	केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएमईआर और टीआई, आरएमआरएस बोको, कामरूप, असम	आरएसआरएस बोको	2,00,743	कार्यात्मक
124	28294		केंद्रीय रेशम बोर्ड		8,094	
125	28673	52	एससीटीएच धर्मवरम	आरएसटीआरएस धर्मवरम	32,844	कार्यात्मक
126	28674	52	एससीटीएच धर्मवरम	आरएसटीआरएस धर्मवरम	3,052	कार्यात्मक
127	28715		निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एनएसएसओ		10,117	
128	29062	92	क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड, ढाकुरिया, कोलकाता	आरओ कोलकाता	358	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
129	29478		केंद्रीय रेशम बोर्ड		4,047	
130	29484		केंद्रीय रेशम बोर्ड		48,562	
131	29569	92	5 स्टाफ क्वार्टर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के स्वामित्व में हैं	आरओ कोलकाता	1,829	कार्यात्मक
132	29609	236	मित्तल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	आरओ मुंबई	228	बंद
133	29617	236	महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण	आरओ मुंबई	686	बंद
134	29736	148	एसआरओ सीटीआर और टीआई बीएसएम और टीसी सुंदरगढ़	बीएसएमटीसी सुंदरगढ़	7,649	कार्यात्मक
135	29859	222	निदेशक, एनएसएसओ	एमईएसडीपी किशनगंज	7,487	बंद
136	30060		वन अधिकारी दुमका रेंज		8,094	
137	30067		वन अधिकारी दुमका रेंज		3,70,000	
138	30415	7	निदेशक सीएसआरटीआई मैसूर	आरएसआरएस अनंतपुर	1,62,900	कार्यात्मक
139	30418	138	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसआरटीआई मैसूर	आरईसी रायचोटी	20,000	कार्यात्मक
140	30422	157	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसआरटीआई मैसूर	आरईसी विकाराबाद	23,100	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
141	30456	62	केंद्रीय रेशम बोर्ड, गुवाहाटी	आरओ गुवाहाटी	4,048	कार्यात्मक
142	30605	124	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएमटीसी पाली	बीएसएमटीसी पाली	4,20,000	कार्यात्मक
143	30607	124	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएमटीसी	बीएसएमटीसी पाली	2,48,000	कार्यात्मक
144	30639		केंद्रीय रेशम बोर्ड, एसएसपीसी कांडी		5,261	
145	30653	94	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरएसआरएस कोरापुट	आरएसआरएस कोरापुट	2,02,343	कार्यात्मक
146	30801	31	संयुक्त निदेशक, बीटीएसएसओ बिलासपुर	बीटीएसएसओ बिलासपुर	6,070	कार्यात्मक
147	30820	192	डीएफओ, भागलपुर रेंज	बीएसएमटीसी देवघर	10,90,000	बंद
148	31433	49	आरओ, केंद्रीय रेशम बोर्ड	आरओ नई दिल्ली	291	कार्यात्मक
149	32504	140	निदेशक, केंद्रीय रेशम बोर्ड, एनएसएसओ, आरएसआरएस सहसपुर	आरएसआरएस सहसपुर	61,757	कार्यात्मक
150	36429	89	केंद्रीय रेशम बोर्ड, बीएसएमटीसी खरसावां	बीएसएमटीसी खरसावां	28,328	कार्यात्मक
151	39548	229	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरओ लखनऊ	आरओ लखनऊ	699	बंद
152	39555	74	केंद्रीय रेशम बोर्ड	आरएसआरएस इम्फाल	64,835	कार्यात्मक

क्र.सं.	भूमि की पहचान संख्या	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	आवंटिती का नाम	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	कार्यात्मक/ बंद
153	39640		केंद्रीय रेशम बोर्ड, नवसारी		32,300	
154	39650	109	केंद्रीय रेशम बोर्ड, पी4, बीएसएफ मानसबल	बीएसएफ पी4 मानसबल	1,57,827	कार्यात्मक
155	39967	196	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरईसी फतेहनगर	आरईसी फतेहनगर	80,937	बंद
156	40234	27	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरईसी भंडारा	आरईसी भंडारा	11	कार्यात्मक
157	40248	273	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरईसी सुजानपुर	आरईसी सुजानपुर	1,214	बंद
158	40264	127	केंद्रीय रेशम बोर्ड, सीएसआरटी और टीआई पम्पोर	सीएसआरटीआई पम्पोर	78,914	कार्यात्मक
159	40282	273	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरईसी सुजानपुर	आरईसी सुजानपुर	8,903	बंद
160	40333		केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरईसी नौशेरा		12,141	
161	40334	76	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरएसआरएस जम्मू	आरएसआरएस जम्मू	1,39,697	कार्यात्मक
162	44590	54	सीएसआर और टीआई बेरहामपुर (डब्ल्यूबी) के अधीन, आरईसी दीमापुर, नागालैंड निदेशक	आरईसी दीमापुर	40	कार्यात्मक
163	44898	75	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरटीआरएस जगदलपुर	आरएसआरएस जगदलपुर	16,187	कार्यात्मक
164	56542	75	केंद्रीय रेशम बोर्ड, आरटीआरएस जगदलपुर	आरएसआरएस जगदलपुर	3,00,000	कार्यात्मक
			कुल		**1,77,33,898**	

अनुलग्नक-9

केंद्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की गई सीएसबी की 22 बंद इकाइयों के भूमि-वार विवरण

(संदर्भ पैरा संख्या 2.2)

क्र.सं.	इकाई का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्र फल (एकड़)	स्थिति	बंद करने के आदेश की तिथि
1	आरईसी किनाकानहल्ली	75,919	18.76	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	16-मई-18
2	आरईसी बिदारगुप्पे	28,328	7.00	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	16-मई-18
3	आरईसी नवासरी	31,217	7.71	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	15-सितंबर-16
4	आरईसी मदकसिरा	2,023	0.50	बीएसएफ मदकासिरा के साथ विलय	18-अप्रैल-18
5	एसएसपीसी चित्तूर	10,117	2.50	पट्टे पर डीओएस एपी को सौंपा गया	18-अप्रैल-18
6	एसएसपीसी तिरुपत्तूर	10,643	2.63	पट्टे पर डीओएस तमिलनाडु को सौंपा गया	18-अप्रैल-18
7	एसएसपीसी गढिंगलाज	10,117	2.50	डीओएस महाराष्ट्र को पट्टे पर सौंपा गया	उपलब्ध नहीं कराया गया.
8	एसएसपीसी किशनगंज	7,487	1.85	एमईएसडीपी परियोजना के तहत	18-अप्रैल-18
9	सीएसडी रामगिरी	76,890	19.00	डीओटी ओडिशा को सौंपा गया	18-अप्रैल-18
10	सीएसडी कोरापुट	10,117	2.50	सौंपा	उपलब्ध नहीं कराया गया.
11	बीएसएफ कलिम्पोंग	58,963	14.57	आरएसआरएस कलिम्पोंग के साथ विलय	18-अप्रैल-18
12	बीएसएफ बंगुरिया	1,37,593	34.00	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	18-अप्रैल-18
13	एसएसपीसी कांडी	10,117	2.50	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	उपलब्ध नहीं कराया गया.
14	एसएसपीसी कलिथा	13,031	3.22	एसएसपीसी बेरहामपुर के साथ विलय	03-जुलाई-20
15	एसएसपीसी रायगंज	8,741	2.16	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	03-जुलाई-20
16	बीएसएफ नागामंगला	56,251	13.90	डीओएस कर्नाटक को सौंपा गया	18-अप्रैल-18
17	बीएसएफ नागेनाहल्ली	1,45,687	36.00	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	14-जुलाई-20
18	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	36,422	9.00	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	14-जुलाई-20
19	बीएसएफ येदियुर	28,328	7.00	डीओएस कर्नाटक को सौंपा गया	16-अगस्त-18
20	एससीपी कुनिगल	324	0.08	सौंपा नहीं गया और अप्रयुक्त पड़ा रहा	14-जुलाई-20
21	एससीपीसी कृष्णराज पेट	13,112	3.24	बीएसएफ गवीमाता के साथ विलय	14-जुलाई-20
22	सीआरसी केपी डोड्डी	20,234	5.00	एसएसपीसी रामनगर के साथ विलय	18-अप्रैल-18
कुल		**7,91,661**	**195.62**		

22 बंद इकाइयों की भूमि की स्थिति			
स्थिति	**इकाइयों की संख्या**	**भूमि (वर्ग मीटर)**	**भूमि (एकड़)**
भूमि संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंपी गई	9	4,74,348	117.21
संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया	8	2,09,950	51.88
अन्य इकाइयों के साथ विलय	5	1,07,363	26.53
कुल	**22**	**7,91,661**	**195.62**

अनुलग्नक 10

सीएसबी की नमूना इकाइयों में भूमि के उचित दस्तावेजीकरण की कमी

(संदर्भ पैरा संख्या 3.1)

(भूमि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में)

क्र. सं	अनुलग्नक 1 का क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित/अधिग्रहित/पट्टे/उपहार में दी गई भूमि	उपलब्ध स्वामित्व	आज तक उपलब्ध किराये का करार	अनुपलब्ध स्वामित्व	नहीं किए गए पट्टे	पट्टा नवीनीकृत नहीं किया गया
क.	**उन इकाइयों की सूची जिनके पास धारित पूरी भूमि के लिए स्वामित्व/पट्टा दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।**							
1	276	एसएसपीसी तिरुपतूर	10,663	10,663	0	0	0	0
2	102	एसएसपीसी मदनपल्ले	10,117	10,117	0	0	0	0
3	122	बीएसएफ पलक्कड़	37,191	37,191	0	0	0	0
4	129	बीएसएफ पारिगी	44,475	44,475	0	0	0	0
5	67	एसएसपीसी हिन्दूपुर	8,093	8,093	0	0	0	0
6	41	एसएसपीसी चिंतामणि	8,093	8,093	0	0	0	0
7	210	एसएससी/एससीपीसी केआर पेट	14,568	14,568	0	0	0	0
8	2	बीएसएफ अडोकिगिरी	68,227	68,227	0	0	0	0
9	151	बीएसएफ तुरा	63,544	63,544	0	0	0	0
10	152	एसएसपीसी उधमपुर	22,946	22,946	0	0	0	0
11	140	आरएसआरएस सहसपुर	61,755	61,755	0	0	0	0

क्र. सं	अनुलग्नक 1 का क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित/अधिग्रहित/पट्टे/उपहार में दी गई भूमि	उपलब्ध स्वामित्व	आज तक उपलब्ध किराये का करार	अनुपलब्ध स्वामित्व	नहीं किए गए पट्टे	पट्टा नवीनीकृत नहीं किया गया
12	236	आरओ मुंबई	686	0	686	0	0	0
13	136	सीटीआरटीआई रांची	3,49,284	0	3,49,284	0	0	0
14	131	बीएसएफ पूर्णिया	40,468	0	40,468	0	0	0
		क.	**7,40,110**	**3,49,672**	**3,90,438**	**0**	**0**	**0**
ख. उन इकाइयों की सूची जिनके पास स्वामित्व/पट्टा दस्तावेज़ उपलब्ध हैं लेकिन धारित पूरी भूमि के लिए नहीं								
15	58	बीएसएफ गवीमाता	2,91,373	1,92,833	0	98,540	0	0
16	114	सीएसआरटीआई मैसूर	6,80,276	4,47,380	0	1,46,900	85,996	0
17	132	एसएसपीसी रामनगरम	7,891	4,047	0	3,844	0	0
18	80	एसएसपीसी केआर नगर	11,331	10,117	0	1,214	0	0
19	91	एसएसटीएल कोडाथी	5,01,305	3,22,029	0	1,79,276	0	0
20	12	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	54,065	15,013	0	39,052	0	0
21	64	बीएसएफ हाहिम	1,41,149	7,370	0	0	1,33,779	0
22	78	आरएसआरएस जोरहाट	51,132	5,852	0	45,280	0	0
23	52	आरएसटीआरएस धर्मवरम	9,692	0	3,622	6,070	0	0
		ख.	**17,48,214**	**10,04,641**	**3,622**	**5,20,176**	**2,19,775**	**0**
ग. उन इकाइयों की सूची जिनके पास धारित भूमि के लिए स्वामित्व/पट्टा दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं								
24	230	आरईसी मदकसिरा	21,893	0	0	21,893	0	0

क्र. सं	अनुलग्नक 1 का क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित/अधिग्रहित/पट्टे/उपहार में दी गई भूमि	उपलब्ध स्वामित्व	आज तक उपलब्ध किराये का करार	अनुपलब्ध स्वामित्व	नहीं किए गए पट्टे	पट्टा नवीनीकृत नहीं किया गया
25	187	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	36,422	0	0	36,422	0	0
26	141	आरएसआरएस सेलम	80,937	0	0	80,937	0	0
27	29	आरईसी बीदर	45,380	0	0	45,380	0	0
28	40	बीएसएमटीसी चिन्नूर	4,79,795	0	0	4,79,795	0	0
29	6	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	18,00,847	0	0	4,047	17,96,800	0
30	222	एमईएसडीपी किशनगंज	7,487	0	0	7,487	0	0
31	79	एसएसपीसी जोरहाट	3,076	0	0	3,076	0	0
32	149	आरईसी टी. कुलेन	2,42,811	0	0	2,42,811	0	0
33	76	आरएसआरएस जम्मू	1,39,697	0	0	1,39,697	0	0
34	48	एसएसपीसी देहरादून	12,586	0	0	12,586	0	0
35	19	बीएसएमटीसी बारीपदा	2,40,000	0	0	2,40,000	0	0
36	18	आरएसआरएस बारीपदा	50,000	0	0	50,000	0	0
37	126	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहरा	6,38,675	0	0	6,38,675	0	0
38	86	बीएसएफ कर्णसुबर्णा	2,69,865	0	0	2,69,865	0	0

क्र. सं	अनुलग्नक 1 का क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित/अधिग्रहित/पट्टे/उपहार में दी गई भूमि	उपलब्ध स्वामित्व	आज तक उपलब्ध किराये का करार	अनुपलब्ध स्वामित्व	नहीं किए गए पट्टे	पट्टा नवीनीकृत नहीं किया गया
39	213	बीएसएफ कलीमोपोंग	59,023	0	0	59,023	0	0
40	172	बीएसएफ बंगुरिया	1,37,593	0	0	1,37,593	0	0
41	25	बीएसएमटीसी भंडारा	11,34,000	0	0	0	11,34,000	0
42	33	बीएसएमटीसी बोइरदादर	11,78,100	0	0	0	11,78,100	0
43	104	बीएसएमटीसी मधुपुर	11,09,243	0	0	0	11,09,243	0
44	111	आरईसी मंगलदोई	28,328	0	0	0	28,328	0
45	150	एरी बीएसएफ टोपाटोली	40,468	0	0	0	40,468	0
46	100	आरईसी लैम्बरी	8,094	0	0	0	8,094	0
47	28	आरएसआरएस भीमताल	10,319	0	0	0	10,319	0
48	50	बीएसएफ धर्मपुरा	80,937	0	0	0	0	80,937
		ग.	**78,55,576**	**0**	**0**	**24,69,287**	**53,05,352**	**80,937**
घ. उन इकाइयों की सूची जिनके पास कोई धारित भूमि नहीं थी								
49	88	बीएसएमटीसी केओन्झर	0	0	0	0	0	0
50	265	आरएसआरएस शादनगर	0	0	0	0	0	0
51	275	आरईसी सूर्यपेट	0	0	0	0	0	0

क्र. सं	अनुलग्नक 1 का क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित/अधिग्रहित/पट्टे/उपहार में दी गई भूमि	उपलब्ध स्वामित्व	आज तक उपलब्ध किराये का करार	अनुपलब्ध स्वामित्व	नहीं किए गए पट्टे	पट्टा नवीनीकृत नहीं किया गया
52	204	सीएसपी होसुर	0	0	0	0	0	0
53	183	आरईसी बुरहानपुर	0	0	0	0	0	0
54	239	बीएसएफ नागामंगला	0	0	0	0	0	0
55	218	आरईसी कनकपुरा	0	0	0	0	0	0
56	189	सीटीसी कोयंबटूर	0	0	0	0	0	0
57	15	एसएसपीसी बेंगलुरु	0	0	0	0	0	0
58	237	सीएसपी मैसूर	0	0	0	0	0	0
59	73	आरओ हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
60	263	सीडीसी सहरसा	0	0	0	0	0	0
61	184	आरईसी चक्रधरपुर	0	0	0	0	0	0
62	191	जेडएसएसओ देहरादून	0	0	0	0	0	0
63	176	आरईसी भद्रासी	0	0	0	0	0	0
64	284	सीसी वाराणसी	0	0	0	0	0	0
		घ.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (क+ख+ग+घ)			**1,03,43,900**	**13,54,313**	**3,94,060**	**29,89,463**	**55,25,127**	**80,937**

अनुलग्नक 11

सीएसबी की नमूना इकाइयों द्वारा भूमि/भवनों को पट्टे पर देना

(संदर्भ पैरा संख्या 3.2)

क्र. सं.	अनुलग्नक 1 की संख्या	इकाई का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई भूमि (वर्ग मीटर)	पट्टे पर दिया भवन स्थल (वर्ग फीट)	क्या किराया मुक्त पट्टा	पट्टे की अवधि	31 मार्च 2023 तक पट्टे का लंबित किराया (राशि ₹ में)	पट्टे की स्थिति	क्या ठीक से वापस लिया गया
1	276	एसएसपीसी तिरुपत्तूर	रेशम विज्ञान विभाग, तमिलनाडु	10,663	15,947	हां	अगस्त 2033 तक 10 साल	0	समाप्त नहीं	लागू नहीं
2	122	बीएसएफ पलक्कड़	सेरिफ़, केरल	4,815	3,617	नहीं	2014 तक 15 साल	0	समाप्त	नहीं
3	52	आरएसटीआरएस धर्मवरम	रेशम विज्ञान विभाग, आंध्र प्र देश	लागू नहीं	9,492	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	लागू नहीं

क्र. सं.	अनुलग्नक 1 की संख्या	इकाई का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई भूमि (वर्ग मीटर)	पट्टे पर दिया भवन स्थल (वर्ग फीट)	क्या किराया मुक्त पट्टा	पट्टे की अवधि	31 मार्च 2023 तक पट्टे का लंबित किराया (राशि ₹ में)	पट्टे की स्थिति	क्या ठीक से वापस लिया गया
4	236	आरओ मुंबई	भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (आईएसईपीसी), मुंबई	लागू नहीं	200	किराया मुक्त	नवंबर 2022 तक 5 साल	11,28,925	समाप्त	नहीं
5	12	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	368	लागू नहीं	नहीं	अगस्त 2039 तक 20 साल	0	समाप्त नहीं	लागू नहीं
6	12	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	लागू नहीं	756	हां	2037 तक 30 साल	0	समाप्त नहीं	लागू नहीं
7	152	एसएसपीसी उधमपुर	रेशम विज्ञान विभाग, जम्मू और कश्मीर	337	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया.	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	लागू नहीं

अनुलग्नक 12(i)

सीएसबी की नमूना इकाइयों में परिसंपत्ति रजिस्टरों के अद्यतन की स्थिति

(संदर्भ पैरा संख्या 3.4)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र. संख्या	इकाई का नाम	कार्यात्मक/बंद	क्या जमीन उपलब्ध है	संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव	अद्यतित परिसंपत्ति रजिस्टर
1	265	आरएसआरएस शादनगर	बंद	नहीं	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
2	114	सीएसआरटीआई मैसूर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
3	50	बीएसएफ धर्मपुरा	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
4	204	सीएसपी होसुर	बंद	नहीं	रखा	अद्यतित
5	25	बीएसएमटीसी भंडारा	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
6	102	एसएसपीसी मदनपल्ले	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
7	122	बीएसएफ पलक्कड़	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
8	129	बीएसएफ पारिगी	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
9	52	आरएसटीआरएस धर्मवरम	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
10	141	आरएसआरएस सेलम	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
11	29	आरईसी बीदर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
12	40	बीएसएमटीसी चिन्नूर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
13	15	एसएसपीसी बेंगलुरु	कार्यात्मक	नहीं	रखा	अद्यतित नहीं किया गया

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र. संख्या	इकाई का नाम	कार्यात्मक/बंद	क्या जमीन उपलब्ध है	संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव	अद्यतित परिसंपत्ति रजिस्टर
14	132	एसएसपीसी रामनगरम	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
15	73	आरओ हैदराबाद	कार्यात्मक	नहीं	रखा	अद्यतित
16	67	एसएसपीसी हिन्दूपुर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
17	80	एसएसपीसी केआर नगर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
18	41	एसएसपीसी चिंतामणि	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
19	91	एसएसटीएल कोडाथी	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
20	12	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
21	6	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
22	33	बीएसएमटीसी बोइरदादर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
23	2	बीएसएफ अडोकिगिरी	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
24	78	आरएसआरएस जोरहाट	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
25	79	एसएसपीसी जोरहाट	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
26	150	एरी बीएसएफ टोपाटोली	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
27	151	बीएसएफ तुरा	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
28	76	आरएसआरएस जम्मू	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
29	152	एसएसपीसी उधमपुर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
30	140	आरएसआरएस सहसपुर	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित
31	28	आरएसआरएस भीमताल	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया
32	48	एसएसपीसी देहरादून	कार्यात्मक	हां	रखा	अद्यतित नहीं किया गया

अनुलग्नक 12 (ii)

सीएसबी की नमूना इकाइयों में परिसंपत्ति रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किया गया

(संदर्भ पैरा संख्या 3.4)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र. संख्या	इकाई का नाम	कार्यात्मक/बंद	क्या जमीन उपलब्ध है
1	276	एसएसपीसी तिरुपत्तूर	बंद	हां
2	58	बीएसएफ गवीमाता	कार्यात्मक	हां
3	275	आरईसी सूर्यपेट	बंद	नहीं
4	183	आरईसी बुरहानपुर	बंद	नहीं
5	230	आरईसी मदकसिरा	बंद	हां
6	239	बीएसएफ नागामंगला	बंद	नहीं
7	187	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	बंद	हां
8	218	आरईसी कनकपुरा	बंद	नहीं
9	189	सीटीसी कोयंबटूर	बंद	नहीं
10	237	सीएसपी मैसूर	बंद	नहीं
11	236	आरओ मुंबई	बंदबंद	हां
12	210	एसएससी/एससीपीसी केआर पेट	बंदबंद	हां
13	136	सीटीआरटीआई रांची	कार्यात्मक	हां
14	104	बीएसएमटीसी मधुपुर	कार्यात्मक	हां
15	131	बीएसएफ पूर्णिया	कार्यात्मक	हां
16	263	सीडीसी सहरसा	बंद	नहीं
17	222	एमईएसडीपी किशनगंज	बंद	हां
18	184	आरईसी चक्रधरपुर	बंद	नहीं
19	64	बीएसएफ हाहिम	कार्यात्मक	हां
20	111	आरईसी मंगलदोई	कार्यात्मक	हां
21	149	आरईसी टी. कुलेन	कार्यात्मक	हां
22	100	आरईसी लैम्बरी	कार्यात्मक	हां
23	191	जेडएसएसओ देहरादून	बंद	नहीं

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र. संख्या	इकाई का नाम	कार्यात्मक/बंद	क्या जमीन उपलब्ध है
24	176	आरईसी भद्रासी	बंद	नहीं
25	284	सीसी वाराणसी	बंद	नहीं
26	19	बीएसएमटीसी बारीपदा	कार्यात्मक	हां
27	18	आरएसआरएस बारीपदा	कार्यात्मक	हां
28	88	बीएसएमटीसी केओन्झर	कार्यात्मक	नहीं
29	126	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहारा	कार्यात्मक	हां
30	86	बीएसएफ कर्णसुबर्णा	कार्यात्मक	हां
31	214	बीएसएफ कलिमोपंग	बंद	हां
32	172	बीएसएफ बंगुरिया	बंद	हां

अनुलग्नक 13

सीएसबी की नमूना कार्यात्मक इकाइयों में अप्रयुक्त/खाली जमीन

(संदर्भ पैरा संख्या 3.5)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	बिक्री/समर्पण के बाद उपलब्ध भूमि (वर्ग मीटर)	अप्रयुक्त/खाली भूमि (वर्ग मीटर)	अप्रयुक्त/खाली भूमि (%)
1	58	बीएसएफ गवीमाता	2,28,647	1,85,953	81.33
2	114	सीएसआरटीआई मैसूर	6,50,856	31,606	4.86
3	50	बीएसएफ धर्मपुरा	80,937	39,133	48.35
4	25	बीएसएमटीसी भंडारा	11,34,000	7,74,000	68.25
5	129	बीएसएफ पारिगी	44,475	21,982	49.43
6	52	आरएसटीआरएस धर्मवरम	9,692	3,166	32.67
7	141	आरएसआरएस सेलम	80,937	74,228	91.71
8	29	आरईसी बीदर	45,380	23,058	50.81
9	40	बीएसएमटीसी चिन्नूर	4,79,795	1,38,139	28.79
10	91	एसएसटीएल कोडाथी	2,28,405	80,937	35.44
11	12	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	43,300	12,039	27.80
12	78	आरएसआरएस जोरहाट	51,132	19,991	39.10
13	79	एसएसपीसी जोरहाट	3,076	1,520	49.41
14	111	आरईसी मंगलदोई	28,328	4,047	14.29
15	126	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहारा	6,38,675	मापा नहीं गया	
16	86	बीएसएफ कर्णसुबर्णा	2,69,865	1,66,079	61.54
17	150	बीएसएफ टोपाटोली	40,468	3,960	9.78
कुल			**40,57,968**	**15,79,838**	**38.93**

अनुलग्नक 14

सीएसबी की आठ नमूना बंद/विलय इकाइयों में भूमि की रिक्ति

(संदर्भ पैरा संख्या 3.6)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	असमर्पित /अधिग्रहित/पट्टे/ उपहार में दी गई भूमि (वर्ग मीटर)	भूमि अधिगृहीत/हस्तांतरित और खाली पड़ी (वर्ग मीटर)	अभ्युक्तियाँ
1	276	एसएसपीसी तिरुपत्तूर	10,663	10,663	रेशम उत्पादन विभाग को हस्तांतरित किया गया और अप्रैल 2018 से नवंबर 2023 तक रिक्त रहा, इससे पहले कि इसे डीओएस को सौंप दिया गया।
2	230	आरईसी मदकसिरा	21,893	21,893	बीएसएफ मदकासिरा के साथ विलय कर दिया गया है लेकिन इकाई के बंद होने के बाद से भूमि खाली और अप्रयुक्त पड़ी है
3	187	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	36,422	36,422	इकाई बंद होने के बाद से बंद और खाली पड़ी भूमि।
4	236	आरओ मुंबई	686	686	नवंबर 2021 में स्टाफ क्वार्टरों के विध्वंस के बाद खाली पड़ी भूमि और अनुपयोगी बंद कर दी गई
5	210	एसएससी/एससीपीसी केआर पेट	14,568	10,522	बीएसएफ गवीमाता के साथ विलय लेकिन 10,522 वर्ग मीटर भूमि। 1987 से खाली पड़ा है क्योंकि भूमि मुकदमेबाजी के अधीन है।
6	214	बीएसएफ कलिम्पोंग	59,023	59,023	आरएसआरएस कलिम्पोंग के साथ विलय हो गया है लेकिन इकाई के बंद होने के बाद से भूमि खाली पड़ी है और इसका उपयोग नहीं किया गया है।
7	172	बीएसएफ बंगुरिया	1,37,593	उपलब्ध नहीं कराया गया	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई
8	222	एमईएसडीपी किशनगंज	7,487	5,742	भूमि का यह हिस्सा मई 1996 से अक्टूबर 2018 तक खाली था और बंद होने के तुरंत बाद अक्टूबर 2018 में डीओएस को सौंप दिया गया था
		कुल	**2,88,335**	**1,44,951**	

अनुलग्नक 15

सीएसबी की 43 नमूना कार्यात्मक इकाइयों के लिए भवन का उपयोग

(संदर्भ पैरा संख्या 4.1)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	भूमि की श्रेणी (स्वामित्व/पट्टा)	भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	उपयोग के अंतर्गत भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	रिक्त भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)
1	58	बीएसएफ गवीमाता	स्वामित्व	28,270	18,682	9,588
2	114	सीएसआरटीआई मैसूर	स्वामित्व और पट्टा	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया
3	50	बीएसएफ धर्मपुरा	पट्टा	14,178	14,178	0
4	25	बीएसएमटीसी भंडारा	पट्टा	8,688	6,852	1,836
5	102	एसएसपीसी मदनपल्ले	स्वामित्व	13,482	12,665	817
6	122	बीएसएफ पलक्कड़	स्वामित्व	19,822	19,822	0
7	129	बीएसएफ पारिगी	स्वामित्व	19,669	14,926	4,743
8	52	आरएसटीआरएस धर्मवरम	पट्टा	10,246	10,246	0
9	141	आरएसआरएस सेलम	स्वामित्व	13,046	12,332	714

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	भूमि की श्रेणी (स्वामित्व/पट्टा)	भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	उपयोग के अंतर्गत भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	रिक्त भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)
10	29	आरईसी बीदर	स्वामित्व	669	283	386
11	40	बीएसएमटीसी चिन्नूर	स्वामित्व	9,977	7,052	2,925
12	15	एसएसपीसी बेंगलुरु	स्वामित्व	19,904	19,904	0
13	132	एसएसपीसी रामनगरम	स्वामित्व	41,382	41,382	0
14	73	आरओ हैदराबाद	किराया	2,000	2,000	0
15	67	एसएसपीसी हिन्दूपुर	स्वामित्व	13,234	13,234	0
16	80	एसएसपीसी केआर नगर	स्वामित्व	1,01,059	1,01,059	0
17	41	एसएसपीसी चिंतामणि	स्वामित्व	24,058	24,058	0
18	91	एसएसटीएल कोडाथी	स्वामित्व	88,619	उपलब्ध नहीं कराया गया.	उपलब्ध नहीं कराया गया.
19	12	सीएसटीआरआई बेंगलुरु	स्वामित्व	उपलब्ध नहीं कराया गया.	उपलब्ध नहीं कराया गया.	उपलब्ध नहीं कराया गया.
20	6	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	स्वामित्व	43,560	43,560	0

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	भूमि की श्रेणी (स्वामित्व/पट्टा)	भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	उपयोग के अंतर्गत भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	रिक्त भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)
21	33	बीएसएमटीसी बोइरदादर	पट्टा	2,15,278	2,15,278	0
22	104	बीएसएमटीसी मधुपुर	किराया	7,152	7,152	0
23	136	सीटीआरटीआई रांची	पट्टा	32,296	32,296	0
24	131	बीएसएफ पूर्णिया	पट्टा	19,250	19,250	0
25	2	बीएसएफ अडोकिगिरी	स्वामित्व	21,780	150	21,630
26	64	बीएसएफ हाहिम	स्वामित्व	7,493	7,493	0
27	78	एसएसपीसी जोरहाट	स्वामित्व	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन
28	79	आरएसआरएस जोरहाट	स्वामित्व	20,643	15,924	4,719
29	111	आरईसी मंगलदोई	पट्टा	21,779	1,431	20,348
30	149	आरईसी टी. कुलेन	स्वामित्व	720	720	0
31	150	बीएसएफ टोपाटोली	पट्टा	17,420	17,420	0
32	151	बीएसएफ तुरा	स्वामित्व	96,032	93,832	2,200
33	76	एसएसपीसी देहरादून	स्वामित्व	17,417	17,417	0
34	100	आरएसआरएस सहसपुर	स्वामित्व	1,59,604	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	भूमि की श्रेणी (स्वामित्व/पट्टा)	भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	उपयोग के अंतर्गत भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	रिक्त भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)
35	152	आरएसआरएस जम्मू	स्वामित्व	3,05,791	3,05,791	0
36	140	आरईसी लैम्बरी	पट्टा	6,098	6,098	0
37	28	एसएसपीसी उधमपुर	स्वामित्व	17,023	17,023	0
38	48	आरएसआरएस भीमताल	पट्टा	43,560	42,937	623
39	19	बीएसएमटीसी बारीपदा	किराया	2,400	2,400	0
40	18	आरएसआरएस बारीपदा	किराया	2,700	2,700	0
41	88	बीएसएमटीसी केओन्झर	किराया	2,628	2,628	0
42	126	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहारा	किराया	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया
43	86	बीएसएफ कर्णसुबर्णा	स्वामित्व	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया	उपलब्ध नहीं कराया गया
कुल				**14,88,927**	**11,70,175**	**70,529**

अनुलग्नक 16

नमूना कार्यात्मक इकाइयों के तहत स्टाफ क्वार्टरों का विवरण

(संदर्भ पैरा संख्या 4.2)

(संख्या में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	स्थान	कर्मचारी क्वार्टरों की योग संख्या	भरे हुए स्टाफ क्वार्टरों की संख्या	खाली स्टाफ क्वार्टरों की संख्या	रिक्त क्वार्टरों में से सीएसबी द्वारा अयोग्य घोषित स्टाफ क्वार्टरों की संख्या
1	सीएसआरटीआई	मैसूर	143	63	80	30
2	बीएसएफ	धर्मपुरा	9	0	9	9
3	एसएसपीसी	मदनपल्ली	11	4	7	0
4	बीएसएफ	पलक्कड़	7	0	7	7
5	बीएसएफ	पेरिंगी	7	1	6	0
6	आरएसटीआरएस	धर्मवरम	10	0	10	0
7	आरएसआरएस	सलेम	9	0	9	9
8	एसएसपीसी	रामनगरम	11	3	8	0
9	एसएसपीसी	हिंदूपुर	11	2	9	0
10	एसएसपीसी	केआर नगर	11	3	8	0
11	एसएसपीसी	चिंतामणि	11	3	8	0
12	एसएसटीएल	कोडाथी	35	13	22	0
13	सीएसटीआरआई	बेंगलूरु	100	81	19	0
14	सीटीआरटीआई	रांची	123	34	89	0
15	बीएसएफ	पूर्णिया	7	3	4	0
16	आरएसआरएस	जोरहाट	4	1	3	0
17	एरी बीएसएफ	टोपाटोली	5	5	0	0
18	बीएसएफ	हाहिम	10	0	10	10
19	बीएसएफ	तुरा	12	1	11	0
20	बीएसएफ	अदोकिगिरी	9	0	9	7
21	आरएसआरएस	जम्मू	22	15	7	0
22	एसएसपीसी	ऊधमपुर	11	0	11	11
23	आरएसआरएस	सहसपुर	15	10	5	0
24	एसएसपीसी	देहरादून	14	7	7	0
25	आरएसआरएस	भीमताल	5	5	0	0
26	बीएसएफ	कर्णसुबर्ण	14	1	13	13
कुल			**626**	**255**	**371**	**96**

अनुलग्नक 17

सीएसबी की नमूना 11 बंद/विलय की गई इकाइयों के भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का उपयोग

(संदर्भ पैरा संख्या 4.4)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	बंद होने की तिथि/विलय	भवनों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	भवनों का उपयोग	कुल स्टाफ क्वार्टर	कुल रिक्त स्टाफ क्वार्टर खाली हैं	बिजली/संपत्ति कर/सुरक्षा पर व्यय
1	276	एसएसपीसी तिरुपत्तूर	18-अप्रैल-18	15,947	नवंबर 2023 में डीओएस को सौंपा गया	7	7 डीओएस को सौंपे जाने तक बंद होने के बाद खाली पड़ा	विद्युत - ₹9,428 (केवल अगस्त और सितंबर 2023 का विवरण उपलब्ध कराया गया) संपत्ति कर - ₹82,640 (दिसंबर 2022 - नवंबर 2023) सुरक्षा - ₹6,04,356 (दिसंबर 2022 - नवंबर 2023)
2	204	सीएसपी होसुर	16-अगस्त-18	उपलब्ध नहीं कराया गया.	एसएसपीसी होसुर द्वारा उपयोग किया गया	कोई क्वार्टर नहीं		
3	230	आरईसी मदकसिरा	18-अप्रैल-18		बंद होने के बाद से	7	7 बंद होने के बाद से	विद्युत - ₹27,455 (अप्रैल 2018 - मार्च 2023) संपत्ति कर - ₹1,72,245 (अप्रैल 2019 - मार्च 2023) सुरक्षा - उपलब्ध नहीं कराया गया
4	239	बीएसएफ नागामंगला	18-अप्रैल-18		सितंबर 2018 में डीओएस को सौंपा गया	कोई क्वार्टर नहीं		

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	बंद होने की तिथि/विलय	भवनों का kul क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	भवनों का उपयोग	कुल स्टाफ क्वार्टर	कुल रिक्त स्टाफ क्वार्टर	बिजली/संपत्ति कर/सुरक्षा पर व्यय
5	187	बीएसएफ चिक्कमलवाड़ी	14-जुलाई-20	उपलब्ध नहीं कराया गया.	बंद होने के बाद से अप्रयुक्त	11	11 बंद होने के बाद से अप्रयुक्त	विद्युत - ₹80,936 (अप्रैल 2022 - नवंबर 2023) संपत्ति कर - उपलब्ध नहीं कराया गया सुरक्षा - ₹8,08,000 (जुलाई 2022 - नवंबर 2023)
6	237	सीएसपी मैसूर	16-अगस्त-18	9,410	एसएसपीसी मैसूर द्वारा उपयोग किया गया	कोई क्वार्टर नहीं		
7	236	आरओ मुंबई	17-सितंबर-20	2,458	एसएमओआई मुंबई द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किया गया			
8	210	एसएससी केआर पेट	14-मई-19	10,882	बीएसएफ गवीमाता द्वारा आंशिक रूप से उपयोग किया गया			
9	222	एमईएसडीपी किशनगंज	18-अप्रैल-18	18,774	अक्टूबर 2018 में डीओएस को सौंपा गया			
10	214	बीएसएफ कलिम्पोंग	04-मई-18	21,690	बंद होने के बाद से अप्रयुक्त	13	11	विद्युत - ₹5,07,000 (अप्रैल 2018 - मार्च 2024) संपत्ति कर - ₹4,80,000 (अप्रैल 2018 - मार्च 2024) सुरक्षा - उपलब्ध नहीं कराया गया
11	172	बीएसएफ बगुरिया	18-अप्रैल-18	उपलब्ध नहीं कराया गया.	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई	उपलब्ध नहीं कराया गया.	उपलब्ध नहीं कराया गया.	

अनुलग्नक 18 (i)

सीएसबी की नमूना इकाइयों में बाड़/सीमा की दीवार की अनुपलब्धता

(संदर्भ पैरा संख्या 5.1)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	कुल भूमि (वर्ग मीटर)
1	25	बीएसएमटीसी भंडारा	11,34,000
2	40	बीएसएमटीसी चिन्नूर	4,79,795
3	6	बीएसएमटीसी अंबिकापुर	8,00,000
4	33	बीएसएमटीसी बोड़रदादर	11,78,100
5	104	बीएसएमटीसी मधुपुर	11,09,243
6	2	बीएसएफ अडोकिगिरी	68,227
7	149	आरईसी टी. कुलेन	2,42,811
8	19	बीएसएमटीसी बारीपदा	1,82,000
9	126	क्षेत्रीय इकाई पल्लाहारा	6,38,675
10	214	बीएसएफ कलिम्पोंग	59,023
बिना बाड़/सीमा दीवार वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल			**58,91,874**

अनुलग्नक 18 (ii)

सीएसबी की नमूना इकाइयों में बाड़/सीमा की आंशिक उपलब्धता

(संदर्भ पैरा संख्या 5.1)

क्र.सं.	अनुलग्नक 2 की क्र.सं.	इकाई का नाम	कुल भूमि (वर्ग मीटर)	आंशिक बाड़/सीमा दीवार (वर्ग मीटर)
1	52	आरएसटीआरएस धर्मवरम	9,692	5,645
2	141	आरएसआरएस सेलम	80,937	79,058
3	29	आरईसी बीदर	45,380	20,234
4	210	एसएससी/एससीपीसी केआर पेट	14,568	585
5	86	बीएसएफ कर्णसुबर्णा	2,69,865	54,389
कुल			**4,20,442**	**1,59,911**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-26-of-26